खण्ड–38, अंक–06
मंगलवार, 22 माघ, शक संवत, 1935
(दिनाँक 11 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 38 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2014

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग	1–3
प्रश्नोत्तर	3–40
नियम–310 के अन्तर्गत सूचनाएं	41
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	41
विधान सभा क्षेत्र सल्ट के सराईखेत आई.टी.आई. में उचित प्रशिक्षण न दिये जाने के कारण उत्पन्न असन्तोष की स्थिति के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	41–42
हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल/मेला हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	42
विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव स्थित स्वास्थ्य समुदायिक केन्द्र को पी0पी0पी0 मोड में देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत रा.इ.का. नागराजाधार, रा.इ.का. मैण्डखाल तथा रा.इ.का. बंगियाल का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	43
विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मार्ग को ई.पी.सी. मोड से हटाकर एस.पी.ए. में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	43–44
विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के साथ ही प्रदेश में 66 इण्टर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद सृजन किए जाने की माँग के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	44
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य डा0 पृथ्वी सिंह विकसित के निधन पर शोकोद्‌गार	44–48
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री हीरा सिंह बोरा के निधन पर शोकोद्‌गार	48–52
सत्र के मध्य किसी भी योजना की घोषणा सदन के बाहर किये जाने तथा जिला योजनाओं का उद्‌घाटन श्री मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	53–70
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लांघा के मजरे 1–डूंगाखेत, 2–पसौली की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम पंचायत पपडियान के मजरे लटीखेत की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	70

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के मजरे डूमेट की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	71
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौलीमूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	71
जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कांडी बिचला ढांगू ब्यासघाट किनसुर मोटर मार्ग स्थान पुलनावढ से कांडी खण्ड तक का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	71
जनपद पौड़ी गढ़वाल के मष्टखाल नैल, रैंस कोठार मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	71–72
भारतीय स्टॉम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	72
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	72–100
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित)	100–102
वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा। (जारी)	102–127
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं।	127
जनपद बागेश्वर में ए0डी0बी0 द्वारा 02 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य न किये जाने के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य।	127–128
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत आई0टी0आई0 गैंडाखाल के निर्माणाधीन भवन का कार्य पूर्ण करने के संबंध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य।	128–129
नत्थियॉं	129–138

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अजय भट्ट
3. डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्री आदेश चौहान
7. श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8. श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9. श्री गणेश गोदियाल
10. श्री चन्दन राम दास
11. श्री चन्द्र शेखर
12. श्री तीरथ सिंह रावत
13. श्री दलीप सिंह रावत
14. श्री दान सिंह भण्डारी
15. श्री दिनेश अग्रवाल
16. श्री दिनेश धनै
17. श्री नवप्रभात
18. श्री नारायणराम आर्य
19. श्री पुष्कर सिंह धामी
20. श्री पूरन सिंह फर्त्याल
21. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
22. श्री प्रदीप बत्रा
23. श्री प्रीतम सिंह
24. श्री प्रीतम सिंह पंवार
25. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
26. श्री प्रेम सिंह
27. श्री फुरकान अहमद
28. श्री बंशीधर भगत
29. श्री भीमलाल आर्य
30. श्री मदन कौशिक
31. श्री मदन सिंह बिष्ट
32. श्री मनोज तिवारी
33. श्री मयूख सिंह
34. श्री महावीर सिंह
35. श्री माल चन्द
36. श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37. श्री यतीश्वरानन्द
38. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
39. श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
40. श्री राजकुमार
41. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
42. श्री राजेश शुक्ला
43. श्री ललित फर्स्वाण
44. श्री विजयपाल सिंह सजवाण
45. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
46. श्री बिशन सिंह चुफाल
47. श्रीमती शैला रानी रावत
48. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
49. श्री संजय गुप्ता
50. श्री सरवत करीम अंसारी
51. श्रीमती सरिता आर्या
52. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
53. श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
54. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
55. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
56. श्री सुरेन्द्र राकेश
57. श्री हरक सिंह रावत
58. श्री हरबन्स कपूर
59. श्री हरभजन सिंह चीमा
60. श्री हरिदास
61. श्री हरीश धामी
62. श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63. श्री हेमेश खर्कवाल

मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजकुमार ठुकराल को झूठे मुकदमें में फसाये जाने संबंधी प्रकरण पर नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर व्यवस्था दिये जाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज से तीन दिन पहले जब हाउस चला था तो उसमें यह बात स्पष्ट आ गयी थी कि नियम–310 की सूचना के आधार पर जो राजकुमार ठुकराल वाला मामला चला था, आपने उस दिन स्पष्टतः जो आदेश रात बारह बजे दिये थे और हम आपका विश्वास एवं आपकी आज्ञा का पालन करके उठ गये थे। मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि राजकुमार ठुकराल कहां हैं और कैसे हैं? लेकिन आज सवाल दूसरा हो गया है कि उस समय सरकार द्वारा और माननीय नेता सदन, जो यहां पर उपस्थित भी हैं, उनके द्वारा हमको एक स्पष्ट आश्वासन भी दिया गया तो उस आश्वासन का पालन कैसे होगा? और आश्वासन देने के बाद यह सदन की अवमानना की श्रेणी में आ गया है। क्योंकि यदि कोई भी बात सदन के अन्दर विश्वास दिलाकर कही जाती है, और हो सकता है कि कई चीजें ऐसी भी होंगी, जो ऑप्शन कहे गये थे और वह ऑप्शन खोजे गये होंगे तो उन ऑप्शन्स को दूसरे दिन सदन में आ जाना चाहिए था। जब सदन में कोई ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि प्रदेश के मुख्य सदन के अन्दर कोई आश्वासन दें और उस आश्वासन की प्रतिपूर्ति न हो, और उस पर कोई कार्यवाही न हो तो फिर इससे खेदजनक और कोई बात नहीं हो सकती है। मान्यवर, यह सीधे–सीधे पीठ का भी अपमान है, सदन का भी अपमान है। क्योंकि माननीय नेता सदन ने कहा था कि यह एक विधायक का मामला नहीं है, सारे विधायकों का मामला है, इसलिए हम ऑप्शन 1,2,3 और 4 पर कार्यवाही करेंगे। अगले दिन की सुबह बहुत हसीन होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, जो परम्परा रही है उसके अनुसार प्रश्नकाल चलने दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें इतनी बड़ी बात हुई थी। हम अभी प्रश्नकाल चलाते हैं। हमने नियम–310 की सूचना में दिया हुआ है। आप कृपापूर्वक कोई व्यवस्था देंगे, हम आपसे कोई बाहर थोड़ी जायेंगे, आपकी जो भी व्यवस्था हो, लेकिन उस दिन एक चीज के लिए पूरा सदन बाधित रहा और आपको आना पड़ा तथा

माननीय नेता सदन को 12:00 बजे आना पड़ा और दो बजे रात तक हम लोग यहां पर रहे हैं और हमारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को यहां पर आना पड़ा, यहां तक कि सारे लोगों को आना पड़ा और आखिर इतनी बड़ी बात होने के बाद, हम आपकी व्यवस्था के खिलाफ नहीं जायेंगे। लेकिन मान्यवर, यहां पर आपकी कोई व्यवस्था तो आये और कुछ तो आपकी तरफ से आये। अब राजकुमार ठुकराल की लड़ाई दूसरे नम्बर पर हो गयी है। माननीय नेता सदन ने जो आश्वासन दिया है और मैंने खुद भी कहा है कि आपकी बात को सत्य मानते हुए, हम सदन को चलाने में आपका सहयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विश्वास की डोर बनी रहनी चाहिए। आपने एक विश्वास दिलाया है तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि सदन चलेगा और सदन को हम किसी तरह से बाधित नहीं करेंगे और बजट पास कराना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि हम लोगों ने आपका सहयोग किया है। माननीय नेता सदन ने कहा है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यह एक विधायक का प्रश्न नहीं है, सारे सदन के विधायकों का प्रश्न है। मैं जानता हूँ कि उनका मान सम्मान होना चाहिए और 1,2,3 एवं 4 जो ऑप्शन्स हैं, उस पर मैंने आदेश भी दे दिये हैं।.......... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इस मामले को प्रश्नकाल के बाद लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उन्होंने कहा कि हम कल सुबह तक इसको निपटा देंगे। यदि आप कहते हैं कि इसको प्रश्नकाल के बाद लीजिए, हम आपके आदेश को बिल्कुल नहीं टालेंगे। लेकिन आप किस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नकाल के बाद लेंगे, क्या आप नियम–310 में लेंगे? और हम अपनी बात को किसमें कहेंगे। इसमें आपकी व्यवस्था आ जायेगी, हम यहां तक भी सहयोग कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि सदन बाधित हो और लोग यह कहें कि जानबूझकर विपक्ष यह कर रहा है और सरकार ने झूठ बोला। इसमें एक सॉल्यूशन निकालने की बात है और यह सदन की एक प्रापर्टी है और वह हट नहीं सकता है। जब तक यह सदन रहेगा और इसमें माननीय नेता सदन की बात अंकित हो चुकी है। वह हट नहीं सकती है। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना संरक्षण सरकार को है। मान्यवर, आपका उतना ही संरक्षण हमको भी होता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष परसों रात दो–ढाई बजे तक इनके साथ बैठे रहे और कई घण्टे तक उनसे विचार–विमर्श और बात–चीत की और अभी उन्होंने अपेक्षा की है कि पीठ प्रतिपक्ष की भी रक्षा करे जो आप हमेशा करते आये हैं, तो इसके लिए सरकार तैयार है, इसलिए पीठ की ओर से जो निर्देश होंगे उसका पालन होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारा जो मामला नियम–310 का है, तो क्या इसे आप बाद में नियम–310 में सुनेंगे या नियम–58 में सुनेंगे और फिर पीठ निर्देश देगी तो ऐसी कोई बात इस समय आ जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो प्रश्नकाल चले, हमको कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि यह विक्रमादित्य की कुर्सी है यहाँ से कुछ भी होगा, हम उससे बाहर नहीं जायेंगे, हम आदेश मानते हैं क्योंकि हम लॉ अबाईडिंग लोग हैं, संविधान को जानने वाले लोग हैं और इस कुर्सी का क्या महत्व है हम जानते हैं। इस कुर्सी के सामने कोई भी बात हम जो कहेंगे वह ब्रह्मा की लकीर होगी, वह हट नहीं सकती है, इसलिए जो आप निर्देश देंगे वह हमको मान्य होगा, इससे ज्यादा कोऑपरेशन क्या होगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की जो सूचना श्री राजकुमार ठुकराल जी के प्रश्न पर प्राप्त हुई है, उसको नियम–58 में मैं प्रश्नकाल के बाद सुन लूँगा।

तारांकित प्रश्न

*01. श्री दलीप सिंह रावत–

विस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त।

राज्य में संचालित होने वाली 108 सेवा में रोगी वाहन की संख्या, सुविधा के मानक तथा स्वीकृत धनराशि का विवरण

*02. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में संचालित होने वाली 108 आपातकालीन सेवा में उपयोग की जा रही रोगी वाहनों की संख्या क्या है ?

तथा क्या सभी संचालित एम्बुलेंस मानकों के अनुरूप हैं ?

यदि नहीं, तो क्या अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने की योजना है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य की संचित निधि से उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कितनी धनराशि व्यय हो रही है तथा केन्द्र से कितनी धनराशि सहयोग के रूप में प्राप्त हो रही है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

108 आपातकालीन सेवा में उपयोग की जा रही रोगियों के वाहनों की संख्या–140 है, जिसमें 1 बोट एम्बुलेंस भी शामिल है। इसके अतिरिक्त

90 मारुति इको एम्बुलेंस (खुशियों की सवारी) भी 108 सेवा द्वारा संचालित की जा रही हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

108 आपातकालीन सेवा में वर्ष 2008 से माह जनवरी, 2014 तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार (एन0आर0एच0एम0) से निम्नवत् धनराशि स्वीकृति की गयी है:–

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	केन्द्र (एन0आर0एच0एम0) द्वारा प्रदान की गई धनराशि (₹ करोड़ में)	योग (₹ करोड़ में)	व्यय की गई धनराशि
2008–09	14.60	10.00	24.60	22.26
2009–10	3.0	13.30	16.30	14.66
2010–11	3.00	8.98	11.98	15.80
2011–12	10.00	13.36	23.36	20.19
2012–13	13.00	18.45	31.45	24.05
2013–14 (जनवरी, 2014 तक)	13.30	8.22	21.52	19.41
योग . .	56.90	72.31	129.21	116.37

राज्य में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे वाहनों की टैक्स माफी अथवा मुआवजे की सुविधा

*03. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि राज्य में आपदा के कारण कई रास्ते अवरूद्ध होने के कारण अनेकों वाहन फंसे हैं व वापसी नहीं कर पाये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे परिवहन व्यवसाईयों की गाड़ियों के टैक्स माफी व मुआवजा जैसी कोई सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

जी हाँ।

शासन द्वारा मोटर वाहन कर की वसूली में राहत दिये जाने हेतु करों की वसूली को 06 माह के लिए स्थगित रखते हुए आपदा के दौरान आपदाग्रस्त मार्गों में फंसे/बह गये और तकनीकी रूप से पूर्णतः क्षतिग्रस्त वाहनों को सत्यापन के उपरान्त समर्पित (सरेण्डर) मानते हुए मोटर वाहन कर से मुक्त रखा गया है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*04. श्री भीम लाल आर्य–

प्रथम बुधवार के तारा0–07 में स्थानान्तरित।

जनपद बागेश्वर में समाज कल्याण अधिकारी के पद की रिक्ति

*05. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर में पिछले 12 वर्षों से जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है ?

यदि हाँ, तो बागेश्वर जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

उक्त जनपद में दिनांक 12.07.2002 से 12.08.2002 तक श्री नन्दन सिंह गस्याल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, प्रभारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में, दिनांक 13.08.2002 से 20.12.2002 तक श्री जगमोहन कफोला, जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में तैनात रहे तथा वर्तमान में दिनांक 21.12.2002 से श्री नन्दन सिंह गस्याल, प्रभारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्थाई अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिला समाज कल्याण अधिकारियों की कमी होने के कारण सभी जनपदों में जिला समाज कल्याण अधिकारी तैनात नहीं हैं, उसके लिए हमने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज रखा है, जैसे ही अधिकारी हमें प्राप्त होंगे तत्काल नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर जनपद के अलावा पूरे प्रदेश में कितने ऐसे जनपद हैं, जहाँ व्यवस्था चल रही है और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इस विभाग का पुनर्गठन कब होगा जिससे कि लम्बे समय से एक ही जगह पर जो अधिकारी बैठे हैं उनकी पदोन्नति कब तक होगी ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न मात्र बागेश्वर जिले का है, इसलिए अन्य जिले का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, यह तो पूरे प्रदेश का है और यह तो समाज कल्याण विभाग का ही प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह स्पेसिफिक प्रश्न बागेश्वर जिले का है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे हैं तो कितने पदों के लिए प्रस्ताव भेजा है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने पद यहाँ खाली हैं, उन सबके लिए अधियाचन भेजा गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, कितने पद खाली हैं, कितने पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वैसे तो यह बागेश्वर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पूरे प्रदेश का इससे संबंध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत सारे पद खाली हैं और उनका अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यह अधियाचन केवल बागेश्वर जिले का भेजा गया है ? यदि अधियाचन भेजा गया है तो यह पूरे प्रदेश का अधियाचन भेजा गया होगा। माननीय मंत्री जी को संख्या बताने में क्या दिक्कत है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि बहुत सारे स्थानों पर पद खाली हैं और उसके लिए अधियाचन भेजा गया है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि कितनी जगहों पर पद खाली हैं और कुल कितने पद खाली हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, अवगत कराना चाहता हूँ कि वरिष्ठ पदों पर जहां पर पद खाली हैं इसके लिए हम लोक सेवा आयोग से फिर से अनुरोध करने जा रहे हैं कि उन शीर्ष पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जाय। माननीय सदस्य का बिल्कुल माकूल सवाल है, जहां–जहां पर भी इस स्तर के रिक्त पद हैं, इस सम्बन्ध में आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं माननीय मंत्री जी के साथ बैठ कर, उसकी समीक्षा करके, उसको दूर करूंगा और जल्द ही पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी। चूंकि यहाँ पर सवाल बागेश्वर को लेकर उठाया गया था, इसलिए माननीय मंत्री जी ने उसी सापेक्ष में उत्तर दिया है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद पिथौरागढ़ में समाज कल्याण अधिकारी जो सत्याग्रह में बैठे हुए हैं तो वह सत्याग्रह में क्यों बैठे हैं, इसका कारण क्या है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो माननीय सदस्य के सवाल का उत्तर देने का कोई औचित्य तो नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर कोई अधिकारी ऐसे अनशन पर बैठा है तो इसके कारणों की जाँच करायी जायेगी कि किस कारण से वह अनशन पर बैठा है और फिर उसके खिलाफ कार्यवाई की जायेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, कारणों की जाँच की जायेगी कि किस कारण से वह बैठा है, यदि वह गलत होगा तो उसके

खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि कोई उच्च अधिकारी गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रदेश में मोबाइल हॉस्पिटलों की संख्या व सुविधाएं

*06. श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने मोबाइल हॉस्पिटल चिकित्सालय कार्यरत हैं तथा इन चिकित्सालयों में क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन चिकित्सालयों का उपयोग चार धाम यात्रा/दुर्घटनाओं के समय किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

लोक निजी सहभागिता के आधार पर प्रत्येक जनपद में एक सचल चिकित्सा वाहन का संचालन किया जा रहा है। इन वाहनों में केवल बाह्य रोगियों की जाँच की जाती है, प्रत्येक सचल चिकित्सा वाहन में एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, ई0सी0जी0 एवं पैथोलॉजी की सुविधा प्रदान की जाती है। इन वाहनों में एक रेडियोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, एक महिला चिकित्सक, स्टॉफ नर्स, एक्स–रे एवं लैब टेक्नीशियन, फॉर्मासिस्ट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक तैनात रहते हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं अपने उत्तर में थोड़ा सा संशोधन करते हुए कहना चाहूँगा कि वर्तमान में तकनीकी कारणों से उत्तरकाशी में एक सचल वाहन नहीं चल पा रहा है। शेष जनपदों में चल रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो उत्तर यहां पर आया था, वह प्रदेश के 13 जनपदों का आया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने खुद ही इसमें संशोधन कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें सहभागिता किसके साथ है और सरकार ने पिछले दो वर्षों में संस्था को कुल कितना भुगतान किया है और जो सुविधाएं हैं, इनका सरकार द्वारा क्या रेट तय किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि दो संस्थाओं के साथ पी0पी0पी0 मोड में इनका एम0ओ0यू0 साईन किया गया था, ये संस्थाएं जैन वीडियो और दूसरा राजमरा हैं। इस योजना को उत्तराखण्ड हैल्थ सेंटर के माध्यम से संचालित किया गया था और

इसमें धनराशि प्रतिवर्ष लगभग खर्च की जाती है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में ₹ 75 लाख प्रतिवर्ष दी जाती है, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चम्पावत में ₹ 93 लाख प्रतिवर्ष दी जाती है। जनपद उत्तरकाशी और चमोली में ₹ 61,87,891 प्रतिवर्ष और पिथौरागढ़ में ₹ 106 लाख प्रतिवर्ष दी जाती है।

श्री मदन कौशिक–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि इसमें एक्स रे, ई0सी0जी0, अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलॉजी आदि का रेट क्या लेंगे, यह बतायें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इसमें पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह सुविधा बी0पी0एल0 परिवारों के लिये निःशुल्क है और जो ए0पी0एल0 परिवार हैं, उनको सरकारी अस्पतालों में जो रेट तय हैं, उसी रेट पर दी जाती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने यह तो तय कर दिया कि इन कम्पनियों को हमने इतना एमाउण्ट देना है, लेकिन क्या यह भी तय किया गया है कि जो पेशेन्ट वहां पर आयेंगे, उनसे आप कितने पैसे किस–किस चीज के लेंगे ? अल्ट्रासाउण्ड के कितने लेंगे, एक्स–रे के कितने लेंगे और यह पैसा सरकार के एकाउंट में जायेगा या इन कम्पनियों का होगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसमें सभी प्रकार के परीक्षणों के अलग–अलग रेट हैं और जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि यह बी0पी0एल0 परिवारों के लिये निःशुल्क है। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे आप पूरे के पूरे सिस्टम की जानकारी चाह रहे हैं कि कुल मरीजों की संख्या क्या है या गर्भवती महिलाओं की संख्या क्या है, अल्ट्रासाउंड कितने हुये हैं, यदि यह भी बताना है तो मैं बता सकता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने रेट्स के बारे में जानना चाहा है कि अल्ट्रासाउंड की फीस कितनी लेंगे, उसका रेट क्या होगा, दस रुपये, पन्द्रह रुपये या बीस रुपये ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ए0पी0एल0 के जो तमाम रेट हमारे सरकारी अस्पतालों में हैं, वही रेट लिये जाते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वह रेट क्या हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, क्या ये आपको अभी तक मालूम नहीं है। (हँसी)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, रेट्स तो नहीं आ पाये, शायद मंत्री जी को जानकारी भी नहीं है, जो मेरी जानकारी है कि जितने स्टाफ का एम0ओ0यू0 इनके द्वारा किया गया

है, इनमें किसी भी जनपद में पूरा स्टाफ उपलब्ध नहीं है, लेकिन भुगतान हो रहा है। दूसरी बात हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई थी, तीन जिलों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रूद्रप्रयाग में। जो भी सचल अस्पताल थे, ये वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाये। आप इस संबंध में तीनों जिलाधिकारियों से बात कर सकते हैं, हो सकता है आपने बात की भी हो, क्या कारण था कि यह उपलब्ध नहीं हो पाये और इनके पास स्टाफ उपलब्ध क्यों नहीं है, क्या विभाग ने इसकी जांच कराई है, यदि जांच कराई है तो क्या रिजल्ट निकला है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं इससे सहमत भी हूं। दुर्भाग्य से इसमें हुआ यह कि जब इन दोनों कम्पनियों के साथ एम0ओ0यू0 साईन हो रहा था, उसमें पैनाल्टी का क्लॉज कहीं नहीं रखा गया था। जब मेरे संज्ञान में यह बात आई कि बहुत सारे सचल वाहनों और एम्बुलेंस में कभी अल्ट्रासाउंड खराब हो जाता है, कभी एक्स–रे मशीन खराब हो जाती है या कभी कोई डॉक्टर गिरा हो जाता है। जब हमने उसकी छान–बीन की और जांच की तो पता चला कि काफी कुछ अनियमिततायें इन सचल वाहनों के संचालन में हैं। मैंने इसके लिये विभागीय स्तर पर बैठक की और इसके सख्त निर्देश दिये। करीब डेढ़ साल पहले हम लोगों ने इसमें पाया कि कुछ कमियां हैं और उन औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा रहा है, जो इसमें आच्छादित होनी चाहिये थी और उन कमियों को पूरा करने के लिये मैंने पैनाल्टी इम्पोज करने की बात कही। इसमें हमने धनराशि की कटौती के आदेश भी जारी किये, कटौती भी की गई, चूंकि यह एम0ओ0यू0 में नहीं था, इसलिये उन्होंने यह भी धमकी देने का प्रयास किया कि पैनाल्टी का क्लाज एम0ओ0यू0 में नहीं था, इसलिये मार्च के बाद जो हम नया एम0ओ0यू0 साईन करने वाले हैं, उसमें इस व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं। (व्यवधान)

दूसरा प्रश्न आपने आपदा के संदर्भ में पूछा था, मैं बताना चाहता हूं कि आपदा काल में यह गाड़ियां चलती रहीं और हम लोग इसका एक रोस्टर बनाते हैं, यात्रा के दौरान सी0एम0ओ0 इसके कन्सर्न होते हैं, चाहे वह टिहरी हो, उत्तरकाशी हो या चमोली हो, मान्यवर, इनको यह निर्देशित किया जाता है कि आप जब यात्रा सीजन चले तो इसी के साथ एक रोस्टर बनाएं और उन यात्रा रोड पर इन गाड़ियों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने एक और व्यवस्था की थी, जो 108 में हमारी सर्विसेज हैं, उनको भी अलग से लगाया था ताकि वहां पर कोई दिक्कत न हो।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वहां एक रेडियोलॉजिस्ट, एक फिजीशियन, महिला चिकित्सक, स्टाफ नर्स, यह इन्होंने कहा कि एम0ओ0यू0 में रखे गये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी सचल वाहन, किसी भी सचल चिकित्सालय में 13 की 13 जिलों की बात कर रहा हूँ, उत्तरकाशी में तो चल ही नहीं रहा है, 12 की

बात कर रहा हूँ। किसी में भी रेडियोलॉजिस्ट, फिजीशियन, महिला चिकित्सक किसी में भी नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि हम उन पर पैनाल्टी लगाएंगे। अगर 04 आदमी मर जाते हैं जो आते हैं दिखाने के लिए, यह इमरजेन्सी वाली चीज है तो पैनाल्टी लगाकर क्या होगा जब है ही नहीं किसी में, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। मेरी जानकारी है कि किसी में भी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं हमारे सम्मानित सदस्य। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। इस बात पर मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन से हम लोगों ने इसकी जाँच बैठायी और पैनाल्टी का क्लाज उन पर करने का और कटौती करने का जो सिलसिला हम लोगों ने कायम किया उसके बाद एम्बुलेन्स में 10 का 10 स्टॉफ मौजूद है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप जांच करा लीजिए। आप उन डॉक्टरों के कागज मंगा लीजिए जो उन्होंने नियुक्ति की है। अगर रेडियोलॉजिस्ट, फिजीशियन और महिला चिकित्सक हैं तो आप हाउस में उसको रख दीजिए। नहीं हैं, मेरी निश्चित जानकारी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरी भी यही जानकारी है कि वहां पर उपलब्ध हैं और अगर कोई स्पेसिफिक केस आपकी जानकारी में है और आप लिखित दे देंगे तो उस पर जांच कर ली जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसी में भी नहीं हैं। 12 के 12 में सम्पूर्ण नहीं हैं। किसी में एक स्टाफ रखा हुआ है, किसी में दो हैं। किसी में भी ये पाँचों लोग उपलब्ध नहीं हैं। (व्यवधान) मान्यवर, न तो रेट बताये जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, रेट तो आपको मालूम होने चाहिए। विधान सभा के सम्मानित सदस्य हैं आप। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अगर सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, स्टाफ भी है तो आपदा के समय में सचल वाहनों के माध्यम से कितने यात्रियों को यह सुविधा दी गयी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जहाँ तक आपदा का प्रश्न है आपको यह अवगत कराना बहुत जरुरी होगा कि जिस समय आपदा आयी थी और उसमें बहुत सारी एजेन्सीज के माध्यम से हमने हेलीकाप्टर से भी लोगों को शिफ्ट किया, शायद आपको मालूम होगा। (व्यवधान)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, सचल वाहन ने कितने लोगों को सुविधा प्रदान की ? छोटा सा प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, हमारी सम्मानित सदस्या ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और उस प्रश्न का उत्तर मैं यह देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार थी, वह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन तमाम लोगों को जो वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला और कोई भी घटना आपको सुनने को न मिली होगी, जिसको कि हमने सेवा उपलब्ध नहीं करायी। तरीके चाहे वो सचल वाहन से हो, चॉपर से हो या कोई दूसरी सेवाओं से हों, निश्चित रूप से तमाम लोगों को उनके गन्तव्य स्थानों तक पहुँचाने का हम लोगों ने काम किया। आप अकेले सचल वाहन की क्यों बात करते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को कैसे हम लोगों ने भेजा। हम लोगों ने सभी लोगों को सुरक्षित भेजा। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, कितने लोगों को आपके सचल दल द्वारा सुविधायें दी गई ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, हजारों लोगों को दी गई।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, आपके पास आंकड़ा होना चाहिए, आखिर यह आपदा का सवाल है। यह गम्भीर मसला है। आपदा के समय कम से कम इससे कितनी सुविधायें दी गई?

प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थिति पर मितव्ययता

*7. श्री मदन कौशिक–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा मितव्ययता हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रोटोकाल, संसदीय एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

वर्तमान में प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति नियंत्रण में है। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने एवं विषम आर्थिक स्थिति उत्पन्न न होने पावे इस उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही वास्तविक मांग व संसाधन उपलब्धता आधार पर बजट प्राविधान करने, व्यय वित्त समितियों के माध्यम से अनावश्यक व्यय को रोकने, अधिप्राप्ति नियमावली के माध्यम से लागत को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि ....।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं सभी का जवाब दे रही हूँ, माननीय मदन कौशिक जी, आप बैठिये। मान्यवर, आर्थिक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वे अगर विगत सालों को देखें तो इस बीच ओवर ड्राफ्ट कोई नहीं है। वेज एण्ड मीन्स में बॉरोईंग लिमिट में है। हमें दो हजार करोड़ की बॉरोईंग एलॉउड है, हमने दो हजार करोड़ की बॉरोईंग नहीं ली है, उससे कम ली। जी0डी0पी0 रेशियो लगातार बढ़ रहा है, इस समय हायेस्ट है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के अन्तर्गत भी हम उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, ऐसा बताया गया है। 2012 में इस प्रदेश पर कितना कर्ज था, जो अभी बजट पेश किया, इस समय कितना है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री को यह नहीं मालूम है कि इस प्रदेश को कितना कर्ज है और कितना प्राफिट है तो डिटेल क्या बतायेंगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब कर्ज ज्यादा होगा, तो विकास भी ज्यादा होगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मुझे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ही पता नहीं है कि मैं कहाँ कर्ज में हूँ तो आगे बच्चों को किस स्कूल में दाखिला दिलाऊँगा, यह कैसे पता लगेगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने पैसा बढ़ाने की भी माँग कर रखी है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो गजब हो गया कि हमको यही पता नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम घाटे और प्रॉफिट का बजट पेश कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 31–03–2013 तक 18800 करोड़ रुपया हमने लिया था, 31–03–2014 को 21987 करोड़ है अर्थात लगभग पौने चार हजार करोड़ हमें कर्जा देना है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने कहा कि 2012 में जो बजट पेश हुआ, उस समय इस राज्य के ऊपर कितना कर्ज था ? फिर एक साल के बाद 2013 में और 2014 में बजट पेश किया। आज वर्तमान में इस राज्य के ऊपर कितना कर्ज है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उस समय 18800 करोड़ रुपया कर्जा था। इस समय 2014 में 21987 करोड़ है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार की तरफ से सदन में गलत जानकारी दी जा रही है। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप ही आंकड़े बतायें। जो हमने बजट साहित्य दिया है, उसमें पूरी डीटेल लिखी हुई है। उसके आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समय 21 हजार 9 सौ 87 करोड़ रुपये हैं और वर्ष 2012–13 में 18 हजार 8 सौ करोड़ रुपये थे और वर्ष 2013–14 में 21 हजार 9 सौ 87 करोड़ रुपये है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम इनकी ही बात मान लेते हैं कि 18 हजार करोड़ और 21 हजार करोड़ रुपये ही हैं। लगभग चार हजार करोड़ रुपये का कर्जा बढ़ा है तो आर्थिक स्थिति कैसे नियंत्रण में है ? (घोर व्यवधान) एक तरफ आप कह रहे हैं कि नियंत्रण में है, दूसरी तरफ आप कर्जे में चल रहे हैं। (घोर व्यवधान) वहां से सारे मंत्री जवाब देंगे क्या ? एक मंत्री को जवाब देने दें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य को वित्तीय प्रबन्धन एवं वित्तीय अनुशासन की पूरी जानकारी है और कर्ज के आधार पर ही विकास होता है, कोई सा भी बजट बने चाहे भारत सरकार में बने या राज्य सरकार में बने और आपके समय में बने या हमारे समय में बने, यानी वित्तीय घाटा माने विकास की गति अच्छी है। हमारी जितनी आमदनी है, अगर उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो इसका मतलब इस राज्य में विकास अच्छा हो रहा है। (मेज की थपथपाहट) यह वित्तीय प्रबन्धन का नियम है। आप अपने समय का उठा लें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (घोर व्यवधान के मध्य) जहाँ पर विकास के लिए, पैसे की कमी होती है तो वहाँ पर मार्केट से पैसा लिया जाता है। पूरे देश में, चाहे भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों में मार्केट बॉरोइंग से ही विकास की गति अच्छी होती है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपने तभी तो कर्जा खाते–खाते रात को उसका सोना बेच दिया। यहाँ भी क्या बेचने का इरादा है ? (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, ऐसा है जरा अपने समय के कागज देख लीजिए। हम एफ0आर0बी0एम0 एक्ट का पूरा पालन कर रहे हैं। हम रिजर्व बैंक का पूरा पालन कर रहे हैं। आप अपने समय का बजट देखें तो उसकी हालत बहुत खराब थी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का कर्ज इस राज्य के ऊपर बताया है और आर्थिक स्थिति फिर भी नियंत्रण में है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन–कौन से अनावश्यक व्यय पिछले वर्ष में रोकने का काम किया ? और उसमें इस राज्य को कितना फायदा हुआ ? यह आपके उत्तर में है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, वह भी नीतियां अपनाई गयी हैं, जिससे खर्चे में सन्तुलन किया जा सके। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं हमने उन सब में ई–टेण्डरिंग की व्यवस्था की है और पारदर्शिता रखी है और प्रतियोगिता के आधार पर कार्य कराये जा रहे हैं और पेंशन स्कीम लागू हैं उसमें भी वित्त नियंत्रित है और वाहन नीति बनायी गयी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ, यह ठीक बात है कि आपने ई–टेण्डरिंग की और उससे क्या बचा इससे मतलब नहीं है। मैंने पूछा तो आपने

कहा कि हमने वित्त समिति बनायी है और आपने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि समिति के माध्यम से अनावश्यक व्यय को रोका है। वित्त समिति के माध्यम से कौन–कौन से बिन्दु हैं और कितना अनावश्यक व्यय आज तक आपने रोक दिया है ? एक साल में इस राज्य को कितनी बचत करायी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब बजट प्राविधान हुआ तो वित्त नियंत्रण की विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से अनावश्यक व्यय रोकने तथा अनौचित्य पूर्ण मामलों में धनावंटन को रोकने की व्यवस्था है। जैसे 5 करोड़ रुपये से कम नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 5 करोड़ या 4 करोड़ रुपये की विभागीय योजना से कोई मतलब नहीं है। हम मितव्ययता कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है ? आपने अपने खर्च में कहां पर रोक लगाई ? (व्यवधान) आपने अपने मंत्रियों के कमरों में क्या चाय–पानी बन्द कर दी है ? (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब आप जानना चाहेंगे, तभी तो हम बतायेंगे। जब हमारा जी0डी0पी0 सही है। हम एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के तहत कार्य कर रहे हैं। जब हमें भारत सरकार की वित्तीय समितियां प्रमाण–पत्र दे रही हैं कि हम वित्तीय नियंत्रण में हैं। अब हम आपको कैसे बतायें ? (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपकी सरकार वित्तीय नियंत्रण में नहीं है। लगभग चार हजार करोड़ रुपये का कर्जा आपने एक साल में कर दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो भी राज्य सरकार बजट बनायेगी तो उस पर कर्जा होगा। यदि आप कर्जा नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप विकास नहीं कर रहे हैं और विकास करने वाले राज्य कर्जा लेकर ही विकास करते हैं। यह कर्जा आपकी लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ जैसा माननीय मदन कौशिक जी ने पूछा है कि आपने कौन–कौन से ऐसे कार्य किये हैं, जिसके कारण राज्य सरकार के बजट में कटौती हुई या खर्च में कमी हुई ? सरकार उसमें एक–दो बिन्दु बता दे कि उसमें कितनी बचत हुई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पहले तो यह जान लीजिए कि हमारी लाइबिलिटी जी0डी0पी0 की 37 प्रतिशत तक अनुमन्य है, अभी हम 25 प्रतिशत कर चुके हैं, इसके अलावा

वेतन में, नियुक्तियों में आऊट सोर्सिंग का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पी0पी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत अपने धन का बचत कर रहे हैं, पी0पी0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कर रहे हैं, नये वाहन पर भी नियंत्रण है, आप जो जानना चाहते हैं मैं जवाब दे रही हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या आपने सरकार के हैलीकॉप्टर में कटौती की है, आपने गाड़ियों में कटौती की है ? आपने कुछ और इस तरह की कटौती की होगी, आपकी जो वित्त समिति बनी है, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश सरकार को दिये होंगे, कि ऐसा करने से हमें बचत होगी, तो उनके माध्यम से कहाँ–कहाँ इस खर्च को कम किया है, किन–किन बिन्दुओं पर किया है ? आपने 23 हजार करोड़ का खर्चा कहा है जबकि मेरे हिसाब से 29 हजार करोड़ का है और आपने 23 हजार करोड़ कहा है तो आपने क्या किया है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, देखिये जहाँ तक आप हैलीकॉप्टर और हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, तो आपदा के समय सभी से मांगा गया, जितनी भी व्यवस्था की जा सकती थी की। आज भी आप केदारनाथ या उन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ आपदा प्रबन्धन करने जा रहे हैं वहाँ हैलीकॉप्टर से पहुँचेंगे। वह आवश्यक खर्चे हैं जिसका व्ययभार हम पर नहीं पड़ा है, आपदा प्रबन्धन के लिए वह धन हमें भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, अभी हम उसे खर्च नहीं कर पाये हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपदा की बात नहीं हो रही है, आप उसे आपदा से नहीं जोड़ें, हम तो कह रहे हैं कि कहाँ फिजूल खर्ची हुई है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप बतायें कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है, कोई फिजूल खर्ची राज्य में नहीं हो रही है। आप बतायें कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है तो हम बतायें, आवश्यक खर्च ही किये जा रहे हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आपने लिखा है कि फिजूल खर्ची पर कटौती की है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम तो कह रहे हैं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से काम हो रहे हैं, प्रतियोगिता के आधार पर कार्य हो रहे हैं, नई पेंशन नीति लागू की गई है, नई वाहन नीति बनाई गई है, पी0पी0पी0 के माध्यम से निर्माण कार्य हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि 21987 करोड़ के कर्जे में क्या ए0डी0बी0 और वर्ल्ड बैंक का कर्जा शामिल है या वह अतिरिक्त है ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सभी तरह की बॉरोईंग इसमें शामिल है।

प्रदेश में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास की योजनाएं

*08. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास की क्या–क्या योजनायें हैं ?

उक्त योजनाओं का सही लाभ इस वर्ग को मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी योजना बनायी है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)–

विवरण संलग्न है।†

उक्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनाओं से संबंधित शासनादेशों के प्राविधानों तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों के लिए जो छात्रवृत्तियों की स्थिति है वह बहुत खराब है, आपकी नॉलेज में है और पिछले लगभग 2 वर्षों में देखें तो 2 वर्षों में उसकी बहुत बड़ी देनदारी है। जिन बच्चों ने किसी भी क्लास में प्रवेश लिया था आज उनकी छात्रवृत्ति न आने के कारण स्थिति खराब है, तो उस स्थिति के लिए क्या कर रहे हैं या उसका कोई प्राविधान है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के संबंध में भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए धनराशि निर्धारित की गई है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष भारत सरकार से हमें प्राप्त होते हैं और पिछली सरकार में माननीय सदस्य मंत्री थे और जो जिज्ञासा उन्होंने व्यक्त की तो उस सरकार में जो भारत सरकार से पैसा आता था तो केवल उतनी ही छात्रवृत्ति छात्रों को आवंटित की जाती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये दिये जाते हैं, हमने पिछले वर्ष 2012–13 में 12 करोड़ 19 लाख 57 हजार रुपये से

† देखिए संलग्नक नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 129–130 पर है।

लगभग 20523 छात्रों को छात्रवृत्ति आवंटित की है, जिसमें 7 करोड़ 19 लाख 57 हजार राज्य सरकार ने व्यय किया है।...........

श्री मदन कौशिक–

मानानीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने छात्रवृत्ति का बजट बढ़ाया होगा। माननीय मंत्री जी की जानकारी में भी है कि जिन बच्चों ने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, हमने उनको पिछड़ा वर्ग मानकर उनकी फीस भी दी थी, लेकिन जब ये छात्र द्वितीय वर्ष में आये। इनकी संख्या बढ़ने के कारण या किसी अन्य कारण से, चूंकि आपने तो बजट 12 करोड़ रु0 रख लिया और अगले साल बच्चों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण, आपने उसमें से कुछ प्रतिशत फिक्स कर दिया कि प्रथम वर्ष में उनको फीस देंगे और द्वितीय वर्ष में इन बच्चों की छात्रवृत्ति रोक दी गयी। यह बात आपकी नॉलेज में इसलिए है, चूंकि आप विभाग को देख रहे हैं। आपसे व्यक्तिगत रूप से भी इस विषय में कई बार बातचीत हुई है। मान्यवर, आज प्रदेश में इन बच्चों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, न तो वे बच्चे कॉलेज से बाहर आ सकते हैं और यदि वे आगे पढ़ेंगे तो उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा इसमें राशि निर्धारित की गयी है। हम इस सम्बन्ध में कई बार भारत सरकार से भी मिले और माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन के माध्यम से भी हमने कई बार भारत सरकार को पत्र लिखे। मान्यवर, भारत सरकार से उत्तर आया कि सभी प्रदेशों को छात्रवृत्ति निर्धारित की गयी है, उतनी ही छात्रवृत्ति दी जायेगी, उससे ज्यादा छात्रवृत्ति किसी भी प्रदेश को नहीं दी जायेगी। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमने एक शासनादेश जारी किया कि जिन पिछड़ी जाति के बच्चों का एडमिशन काउंसलिंग के द्वारा होगा, चाहे वह एडमिशन प्राइवेट कॉलेजों में हो, तो ऐसे बच्चों को एडमिशन देना राज्य सरकार का दायित्व होगा, लेकिन जो एडमिशन प्राइवेट कोटे में अपने पैसे से होगा, ऐसे छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। जो भी छात्र काउंसलिंग के द्वारा भर्ती होंगे, उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे किसी बच्चे ने बी0एड0 में एडमिशन ले लिया। जब इन बच्चों ने पहले फार्म भरा होगा तो उन्हें कहा गया होगा कि आपकी फीस राज्य सरकार देगी, लेकिन बाद में ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। यह छात्रवृत्ति क्यों रोकी गयी है ? मान्यवर, यह सही है कि एक निश्चित बजट है, लेकिन वर्तमान में छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। क्योंकि छात्रों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह तो निर्धारित है। मान्यवर, जो बच्चे काउंसलिंग के द्वारा दाखिल हो रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। मान्यवर, जब से मैं समाज कल्याण मंत्री बना हूँ, उस समय से यह व्यवस्था लागू है। इसमें शासनादेश भी हुआ है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप एक बार इसको दिखवा लीजिए, आप चाहें तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल दिखवाया हुआ है। जब मैं समाज कल्याण मंत्री बना था तो उस समय 8700 करोड़ रु0 पिछड़ी जाति का बैकलॉग था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस 8700 करोड़ का क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वह राशि ज्यों की त्यों है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है, यही मैं जानना चाहता था। माननीय मंत्री ने कहा 8700 करोड़ रु0 बैकलॉग है, यानि कि जब पहले बच्चों का एडमिशन हुआ था तो उनको सरकार ने एक साथ छात्रवृत्ति दी थी। बैक लॉग आप किसको कहेंगे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं डिमाण्ड की बात कर रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने बैकलॉग कहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसे डिमाण्ड समझा जाय। मान्यवर, जब मैं मंत्री बना तो उस समय हरिद्वार से कॉलेजों की डिमाण्ड ₹ 4700 करोड़ थी और पूरे प्रदेश से ₹ 8700 करोड़ थी। मान्यवर, इसी डिमाण्ड के सम्बन्ध में मैं भारत सरकार में गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी मैंने कई बार पत्र लिखवाये थे, लेकिन केन्द्र सरकार ने स्पष्टतौर पर मना कर दिया कि हमने यह निर्धारित कर दिया है कि किस राज्य को कितनी छात्रवृत्ति, पिछड़ी जाति के लोगों को दी जायेगी। मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए तो हम बाध्य हैं कि जितने भी छात्र होंगे सबको देंगे, लेकिन बैकवर्ड के लिए हमने जो निर्धारित की है, उसी के लिए हम बाध्य हैं, इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी। मान्यवर, इसके बाद हमने एक शासनादेश जारी किया कि जो भी छात्र सरकारी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं या सरकारी सीटों पर निजी संस्थानों में काउंसलिंग के द्वारा भर्ती हो रहे हैं, उन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि पिछड़ी जाति के जिन बच्चों को एडमिशन के समय यदि आपने एक बार छात्रवृत्ति दी है। यानी चार साल के कोर्स में एडमीशन लिया और आपने पहले वर्ष छात्रवृत्ति दे दी, तो क्या

अगले तीन साल के लिये वजीफा देने के लिये सरकार बाध्य है या नहीं ? आपने उनको एडमीशन दे दिया, एक साल छात्रवृत्ति भी दे दी, अब वह आगे मिलेगी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम उन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये बाध्य हैं, (व्यवधान) हम उसके लिये बाध्य नहीं हैं, वह आपकी सरकार के समय दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी कोटे में भर्ती हैं या सरकारी सीट पर भर्ती हैं, उनको देने के लिये हम बाध्य हैं, औरों को देने के लिये सरकार बाध्य नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने शासनादेश जारी कर दिया कि जो सरकारी कॉलेजों में जायेंगे या काउंसलिंग में जायेंगे, उनको हम देंगे, लेकिन जिन बच्चों की दो साल की छात्रवृत्ति चली गई और तीसरे साल में रोक दी गई, वह बैकवर्ड का है और इसका उसके पास प्रमाण–पत्र भी है, बैकवर्ड श्रेणी में ही उनका एडमीशन भी हुआ है, पहले और दूसरे साल उनको छात्रवृत्ति भी मिल गई है। तीसरे और चौथे साल इस कारण से रुक गई है, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार रहे या बदले, सरकार तो सरकार ही होती है, यदि उन बच्चों की तीसरे और चौथे साल छात्रवृत्ति रोक दी जाती है तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कॉलेज ऐसे भी खोल दिये गये हैं, जो कि मात्र छात्रवृत्ति पर डिपेण्ड हैं, लड़कों को वे लोग बुला–बुला कर भर्ती कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो सरकारी स्कूलों में भर्ती हैं या जो काउंसलिंग के द्वारा भर्ती हुए हैं, उनको हम छात्रवृत्ति देने को बाध्य हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अटल आवास योजना की स्थिति के संबंध में बता दीजिये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अटल आवास योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष 870 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और इस वर्ष अब तक 840 लोगों को इसका लाभ दिया गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस साल इसके लिये कितना बजट प्रस्तावित किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इस वर्ष 8 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के बाद प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में समूह–ग की चयन परीक्षा प्राविधिक शिक्षा परिषद् से कराया जाना

01. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र जो राज्य सरकार का एक विभाग है, में समूह 'ग' का चयन प्राविधिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से कराया जाता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र एक स्वायत्तशासी संस्था है, जो सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। केन्द्र के मेमोरेण्डम एण्ड रूल्स ऑफ एसोसिएशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के अधीन समूह 'ग' के कार्मिकों का चयन 'उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र कार्मिक सेवा दिशा–निर्देश 2011' के आलोक में शासन एवं केन्द्र की प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाता है।

देहरादून से देवप्रयाग–व्यासघाट–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मोटर मार्गों पर बसों का संचालन

02. डा0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून–देवप्रयाग–व्यासघाट–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मोटर मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम में बसों की कमी के कारण बस संचालित करवाने हेतु परिवहन आयुक्त को निर्देश किए जाने की जानकारी दी गई थी ?

यदि हाँ, तो उक्त मार्गों पर बस सेवायें संचालित करने हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा कृत कार्यवाही और उसके परिणाम क्या हैं तथा कब तक उक्त मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग देहरादून–ऋषिकेश एवं ऋषिकेश–देवप्रयाग मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित हैं। देवप्रयाग–व्यासघाट–सतपुली मार्ग बार–बार अवरूद्ध होने के कारण बस सेवायें संचालित नहीं हो पाई। लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मार्ग पर कोटद्वार से सतपुली मार्ग पर 2 सेवायें प्रारम्भ की गई हैं। प्रथम सेवा

कोटद्वार से डांडानागराजा तथा दूसरे दिन वाया सुरपुर–बहेड़ाखाल–खाण्डा से कोटद्वार द्वितीय सेवा कोटद्वार से बहेड़ाखाल व बहेड़ाखाल से कोटद्वार।

वर्तमान में प्रथम बस सेवा संचालन के लिए सम्बन्धित परिवहन कम्पनियों को निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त देहरादून–देवप्रयाग होकर सतपुली तक बस संचालित की गई थी जो कम आय एवं यात्रियों की कम उपलब्धता होने के कारण निगमहित में बन्द कर दी गई थी। वर्तमान में देहरादून से देवप्रयाग तक अनेकों मार्गों में निगम की बस संचालित है। देवप्रयाग से व्यासघाट–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा तक का मार्ग अत्यन्त संकरा व कई स्थानों पर कच्चा है। जिसमें प्राइवेट जीप, टैक्सी संचालित हो रही हैं। देवप्रयाग–व्यासघाट मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नियमित वाहन संचालन नहीं हो पा रहा है।

प्रदेश में विधायकों के प्रोटोकॉल हेतु दिशा निर्देश

03. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या प्रोटोकॉल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विधायकों के प्रोटोकॉल हेतु क्या निर्देश हैं ?

क्या अधिकारियों को प्रोटोकॉल पालन हेतु कोई प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

विधान सभा के मा0 सदस्यगणों/जनप्रतिनिधियों को सामान्य शिष्टाचार अन्तर्गत सम्मान प्रदर्शित किये जाने एवं समुचित प्रोटोकॉल प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 245/प्रोटोकॉल–2/2002, दिनांक 03 सितम्बर, 2002, शासनादेश सं0 282/प्रोटोकॉल–2/2002, दिनांक 26 अक्टूबर, 2002, शासनादेश सं0 821/XXXIII/13/59(01)2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 एवं शासनादेश सं0 789/ XXXIII/12–13/52(01)2013, दिनांक 28 फरवरी, 2013 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त शासनादेशों में सरकारी अधिकारीगणों को मा0 विधायकगणों/मा0 सांसदों/मा0 जनप्रतिनिधियों के जनपद भ्रमण पर पूर्ण सम्मान किये जाने, समारोहों के अवसर पर वारन्ट ऑफ प्रेसिडेंस के अनुरूप बैठने की व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने, माननीय जैसे सम्मानीय शब्दों से सम्बोधित किये जाने, मा0 विधायकगणों/मा0 सांसदों/मा0 जनप्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हर सम्भव सहयोग प्रदान किये जाने एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप अपेक्षित शिष्टाचार एवं सौजन्यता का समुचित अनुपालन किये जाने आदि के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

रुड़की के बिहारीगढ़ मोटर मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन

04. श्री चन्द्रशेखर–

क्या परिवहन मंत्री, बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में रुड़की से बिहारीगढ़ मोटर मार्ग पर उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम की बसें चल रही हैं, जिससे यहाँ की जनता को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मार्ग पर सरकारी बसों को चलाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

रुड़की से बिहारीगढ़ वाया छुटमलपुर काफी संख्या में निगम बसें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में छोटे, बड़े, प्राइवेट तथा धमार्थ पंजीकृत चिकित्सालयों की संख्या

05. श्री भीमलाल आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितने छोटे–बड़े प्राइवेट तथा धर्मार्थ चिकित्सालय पंजीकृत हैं ?

क्या सरकार नाम सहित सूची उपलब्ध करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

वर्तमान में राज्य के विभिन्न जनपदों में कुल 153 छोटे–बड़े प्राइवेट तथा धर्मार्थ चिकित्सालय पंजीकृत हैं।

जी हाँ। सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिए संलग्नक नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 131–135 पर।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नव निर्मित मोटर मार्गों में वाहनों का संचालन

06. डॉ0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के ऐसे नव निर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों का विवरण क्या है, जिन पर अभी तक नियमित बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन मार्गों पर कब तक बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इन मार्गों का संयुक्त निरीक्षण कब–कब किया गया है और संयुक्त निरीक्षण में मार्गों की अद्यतन स्थिति क्या–क्या पाई गई है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

विवरण संलग्न है।†

बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

इन मार्गों का संयुक्त निरीक्षण एवं अद्यतन स्थिति उपरोक्तानुसार विवरण संलग्न है।

अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में देघाट और देवायल स्वास्थ्य केन्द्रों के मानकानुसार कार्य होना

07. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा के देघाट और देवायल नामक स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य मानकों, समयानुसार और स्वीकृत धनराशि में हो रहा है और जनता को इसका लाभ मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो तद्संबंधित विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि जनता को लाभ न मिल पाने के कारण जनता आन्दोलित भी हो सकती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्तरदायी संस्था या विभाग के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिए संलग्नक नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 136 पर।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बुग्गावाला उर्फ नोकाग्रान्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की नियुक्ति एवं उच्चीकरण

08. श्री चन्द्रशेखर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम बुग्गावाला उर्फ नोकाग्रान्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में केवल एक ही डॉक्टर है, जो नियमित रूप से उपलब्ध नहीं रहता और पूरे घाट क्षेत्र की जनता को उपचार हेतु जिला या तहसील के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर अन्य चिकित्सकों की व्यवस्था करने की कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुग्गावाला में 01 स्वीकृत पद के सापेक्ष 01 चिकित्सक नियुक्त है।

जी नहीं।

बुग्गावाला क्षेत्र की जनसंख्या 55,000 है। मानकों के अनुरूप सामुदायिक केन्द्र हेतु 1,20,000 की आबादी होनी आवश्यक है।

प्रदेश में बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त मासिक पेंशन की वृद्धि

09. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त उनके द्वारा आज भी मासिक पेंशन हेतु ₹ 1,000 या उससे कम मासिक आय के मानक पर ही पेंशन की स्वीकृत दी जाती है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा ₹ 1,000 मासिक आय के मानक को बढ़ा दिया गया है ?

यदि हाँ, तो कब और कितना ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

वित्तीय मानक (मासिक आय) की सीमा का निर्धारण शासनादेश संख्या 936/XVII(1)–02/2006–39(विविध)/2002 समाज कल्याण अनुभाग–2, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 के अनुसार निम्नवत् निर्धारित है:–

पेंशन योजना	मानक (सभी स्रोतों से मासिक आय)
1. वृद्धावस्था पेंशन योजना	₹ 1,000 तक
2. विधवा पेंशन योजना	₹ 1,000 तक
3. विकलांग पेंशन योजना	ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का कोई साधन नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के रिखणीखाल के अन्तर्गत किल्बोंखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण

10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड रिखणीखाल में कितने नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जा रहे हैं तथा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की सैद्धान्तिक स्वीकृति व दिनांक क्या है ?

क्या सरकार द्वारा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को शीघ्र निर्मित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पौड़ी के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत किल्बोंखाल में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति शासनादेश दिनांक 13.05.2010 द्वारा प्रदान की गयी है।

जी हाँ। चिकित्सालय के मुख्य भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों में रिक्त स्थानों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

11. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चिकित्सालयों में वर्तमान में स्वीकृत चिकित्सकों के पदों के सापेक्ष कितने चिकित्सक नियुक्त हैं ?

क्या सरकार रिक्त स्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जनपद पौड़ी के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में कुल 37 स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 13 चिकित्सक नियुक्त हैं।

चिकित्सकों के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

छावनी परिषद् क्षेत्र में बी0पी0एल0 सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा

12. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में छावनी परिषद् क्षेत्र के नागरिकों को बी0पी0एल0 सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा दी जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

प्रदेश में छावनी परिषद् क्षेत्र के नागरिकों को समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत बी0पी0एल0 व्यक्तियों हेतु संचालित योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के मल्ला दानपुर क्षेत्र के रातिरकेठी में निर्मित आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति

13. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के मल्ला दानपुर क्षेत्र के रातिरकेठी में 18 वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन बन चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि अभी तक इस अस्पताल में एक भी डाक्टर नियुक्त नहीं है ?

यदि हाँ, तो अस्पताल में डाक्टर की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्‌देशीय शिविरों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

14. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा समाज कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुलभ करवाने हेतु बहुउद्‌देशीय शिविरों का अयोजन किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुलभ करवाने हेतु बहुउद्‌देशीय शिविरों का अयोजन समय–समय पर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट एवं कांडा में महिला चिकित्सक की नियुक्ति

15. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपकोट व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कांडा में महिला चिकित्सक नियुक्त है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपकोट में महिला चिकित्सक दिनांक 02.01.2011 तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डा में दिनांक 30.04.2013 से नियुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट में चिकित्सकों के आवासीय भवनों का निर्माण

16. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कपकोट में चिकित्सकों के आवासीय भवन निर्माण हेतु योजना स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के पाटीसैंण स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करने की योजना

17. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के पाटीसैंण स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निकटवर्ती स्थान सतपुली में संयुक्त चिकित्सालय एवं नौगांवखाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

जनपद पौड़ी में कोटद्वार से सतपुली, पोखड़ा, बैजरों तक उत्तराखण्ड परिवहन निगम के वाहनों का संचालन

18. श्री तीरथ सिंह रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार से सतपुली, पोखड़ा, बैजरों तक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में कोटद्वार से सतपुली तक परिवहन निगम की बसें संचालित हैं। उत्तराखण्ड परिवहन निगम में छोटी बसें सीमित संख्या में होने के कारण पोखड़ा–बैजरों तक बस संचालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

19. श्री तीरथ सिंह रावत–

तृतीय सोमवार के अता0–59 में स्था0।

उत्तराखण्ड में परित्यक्त महिलाओं को पेंशन योजना

20. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब पेंशन लागू की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

उत्तराखण्ड में परित्यक्ता विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण–पोषण अनुदान (पेंशन) प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 1393/XVII–02/2011–10(1)/2009, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के माध्यम से नियमावली, 2011

प्रख्यापित है, जिसमें उक्त श्रेणी में चिन्हित महिलाओं को पात्रतानुसार ₹ 400 प्रतिमाह भरण–पोषण अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

शासनादेश संख्या 1393/XVII–02/2011–10(1)/2009, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 के द्वारा योजना राज्य में 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में रोडवेज डिपो की स्वीकृति

21. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में रोडवेज डिपो स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो यह डिपो कब तक अस्तित्व में आयेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रदेश में स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर रिक्त पदों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति

22. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर रिक्त चल रहे फार्मासिस्टों के पदों पर नियुक्ति की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

वर्तमान में विभाग में फार्मासिस्ट के 04 पद रिक्त हैं, पर्याप्त पद रिक्त होने पर नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत आयुर्वेदिक अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति

23. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल रातिरकेठी, नामतीचेटाबगड़,

जगथाना, कन्यालीकोट, चौरा, बैड़ा मझेड़ा, भिताड़ी, दफौट, गुरना, झाड़ापानी, चामी क्वैराली, पिंगलो, जखेड़ा में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रातिरकेठी एवं बेड़ामझेड़ा में चिकित्सक के पद रिक्त हैं। शेष चिकित्सालय नामतीचेटाबगड़, जगथाना, कन्यालीकोट, चौरा, भिताड़ी, गुरना, झोड़ापानी, चामीक्वैराली, पिंगलो एवं जखेड़ा में चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है तथा दफोट में नवनियुक्त चिकित्सक द्वारा अद्यावधि कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रातिरकेठी एवं बेड़ामझेड़ा में चिकित्सकों की तैनाती यथाशीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार–सतपुली–बाड़ियूं–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मोटर पर बसों के संचालन का विवरण

24. डा0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार–सतपुली–बाड़ियूं–बहेड़ाखाल–डांडानागराजा मार्ग पर प्रातः 11:00 बजे चलने वाली नियमित बस सेवा के संचालन के संबंध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार के पत्रांक 649/सा0प्रशा0–बस संचालन/2011–12, दिनांक 05 सितम्बर, 2011 पर अब तक की गई कार्यवाही का वाहनवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मार्ग पर नियमित एवं व्यवस्थित बस सेवाओं के संचालन हेतु की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी0एम0ओ0यू0लि0 कम्पनी को वर्णित मार्ग पर सेवा प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में कम्पनी द्वारा दिनांक 01–01–2014 से 16–01–2014 तक प्रश्नगत मार्ग पर सेवायें संचालित की गई हैं।

बस सेवाओं का विवरण संलग्न है।

---

† (देखिए संलग्न नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या 137 पर।)

जनपद पौड़ी के विभिन्न मोटर मार्गों पर बसों का संचालन

25. डा0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 में वर्णित मोटर मार्गों पर बस सेवाओं के संचालन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन मार्गों पर नियमित बस सेवाओं के संचालन हेतु अब क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम सत्र मंगलावार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 में वर्णित मोटर मार्गों पर वर्तमान में बस सेवाओं के संचालन की स्थिति निम्नवत् है:–

1. पौड़ी–जमालाखाल–चराकोट मार्ग–चराकोट से पहले सड़क पर चट्टान गिरने से दुर्घटना का भय बना हुआ है, अतः भारी वाहनों का संचालन सम्भव नहीं हो पा रहा है।
2. पौड़ी–डाण्डानागराजा–धिन्डवाडा मार्ग–इस मार्ग पर नियमित रूप से वाहनों का संचालन किया जा रहा है।
3. कोटद्वार–डाण्डानागराजा–इस मार्ग पर वर्तमान में प्रातः 11:00 बजे नियमित रूप से बस सेवा संचालित है।
4. पौड़ी–बनेख–द्यूसी–इस मार्ग पर छोटे वाहनों के अत्यधिक संचालन के कारण लोड फैक्टर के अभाव में बस संचालित नहीं हो पा रही है।
5. श्रीनगर–रामपुर–मुछ्याली–इस मार्ग पर लोड फैक्टर के अभाव में बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।
6. पौड़ी–ब्यासघाट वाया कांसखेत–इस मार्ग पर लोड फैक्टर के अभाव में बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त जो मार्ग बस सेवाओं के संचालन हेतु सुलभ पाये गये हैं, वहाँ पर नियमित बस सेवा प्रारम्भ की गई है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत उपयुक्त पाये गये मोटर मार्गों पर बसों का संचालन

26. डा0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से मोटर मार्ग हैं जो संयुक्त निरीक्षण में बस सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त पाए गए हैं और उन पर अभी तक बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ नहीं किया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त मोटर मार्गों पर कब तक बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

संयुक्त निरीक्षण में पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग–ब्यासघाट मार्ग संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। वर्तमान में उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण बस सेवायें चलाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त मार्ग वाहन संचालन हेतु सुलभ होने पर वाहनों का नियमित संचालन किया जायेगा।

जनपद देहरादून के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर में सी0एच0सी0 में स्टाफ की नियुक्ति किया जाना

27. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून की सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सहसपुर में सी0एच0सी0 में स्टाफ व तकनीकी उपकरण का अभाव है ?

यदि हाँ, तो उपरोक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सामु0 स्वा0 केन्द्र, सहसपुर में तकनीकी उपकरण एवं स्टाफ पर्याप्त है किन्तु विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुछ पद रिक्त हैं।

लोक सेवा आयोग से नियमित/वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से संविदा के आधार पर चिकित्सक उपलब्ध होने पर उल्लिखित चिकित्सा इकाई में चिकित्सकों को तैनात किया जाना सम्भव हो जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी के अन्तर्गत निर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर बस संचालन की कार्यवाही

28. डा0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी तथा टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अब तक निर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किए जाने के संबंध में दिनांक 12 सितम्बर, 2013 का पत्रांक 15196/सम/7–परिवहन/2013, सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड

शासन को कब प्राप्त हुआ तथा पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का बिन्दुवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक नव निर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

निर्मित एवं विस्तारित मोटर मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किए जाने विषयक पत्र दिनांक 16–09–2013 को प्राप्त हुआ।

प्रश्नगत मामले में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।†

संयुक्त सर्वेक्षण में संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले मार्गों को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग पर बसों का संचालन

29. डा0 जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत देवप्रयाग–व्यासघाट मोटर मार्ग पर बस सेवाओं के संचालन के संबंध में दिनांक 03 अगस्त, 2013 का पत्रांक 15074/सम–7–परिवहन/2013–14, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को कब प्राप्त हुआ है और प्रश्नगत मोटर मार्ग पर बस सेवाओं के संचालन हेतु की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान तक उक्त मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ न किये जाने के कारण क्या हैं और कब तक इस मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

प्रश्नगत पत्र सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को दिनांक 13–08–2013 को प्राप्त हुआ।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रश्नगत मार्ग की सूची संख्या 1, 2, 4 के परमिटों पर पृष्ठांकित किया गया है।

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर वाहनों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

---

† (देखिए संलग्नक नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ संख्या 138 पर।

विधान सभा क्षेत्र सहसपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेण्ट्रल होप टांऊन में ट्रामा सेन्टर खोलने का प्रस्ताव

30. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेन्ट्रल होप टाऊन में ट्रामा सेन्टर खोलने की कार्यवाही प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकानुसार ट्रामा सेन्टर की स्थापना राष्ट्रीय राजमार्ग पर किये जाने का प्राविधान है तथा निकटतम ट्रामा सेन्टर से दूरी 50 कि0मी0 होनी चाहिए। विकासनगर में ट्रामा सेन्टर स्थापित है, जिसकी सहसपुर से दूरी लगभग 16 कि0मी0 है।

प्रदेश में आपदा पीड़ित किसानों/व्यवसाइयों का कर्जा माफी पर विचार

31. श्री मालचन्द–

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के आपदा पीड़ित जनपदों में किसानों/व्यवसाय कार्य करने वाले लोगों का कर्जा माफ करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

राज्य कैबिनेट की दिनांक 01.07.2013 को आहूत बैठक में निर्णय पारित किया गया कि "आपदा से प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को जिनके द्वारा उत्तराखण्ड सहकारी बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया गया है, के ऋणों की किश्तों को 01 वर्ष के लिये स्थगित रखा जाय तथा जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लिया है, की ऋण की किश्तों के भुगतान को 01 वर्ष तक के लिये स्थगित रखे जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाय। इस अवधि में उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाय"। कैबिनेट के उक्त निर्णय के क्रम में भारत सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2013 तथा 02 अगस्त, 2013 द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया है तथा सहकारिता विभाग के शासनादेश दिनांक 08 जुलाई, 2013 के द्वारा इस सम्बन्ध यथा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

32. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

तृतीय सोमवार के अता0–60 में स्थानान्तरित।

विधान सभा क्षेत्र सहसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर 30 बेड की व्यवस्था की कार्यवाही

33. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सहसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर कम से कम 30 बेड की व्यवस्था की जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक पूर्ण नहीं करता है।

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय अनुसूची में सम्मिलित किये गये समुदाय व क्षेत्रों का विवरण

34. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश गठन के बाद प्रदेश के किस–किस समुदाय व क्षेत्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय अनुसूची में सम्मिलित करने की कार्यवाही की गई एवं की गई कार्यवाही के अभी तक क्या परिणाम रहे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

प्रदेश गठन के बाद प्रदेश के कुथलिया बोरा, धुव बाहती/बाहंग एवं "महर"/"गुजर महरा" जाति तथा गोरखा समुदाय, रवांल्टा/जौनपुरी समुदाय तथा बिन्हारी समुदाय को उत्तराखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित/सम्मिलित किया गया है। कुथलिया बोरा को भारत सरकार की अधिसूचना संकल्प संख्या 1201/13/2010–BC.II, दिनांक 08.12.2011, गोरखा समुदाय अधिसूचना/संकल्प संख्या–12015/15/2008–BCC, दिनांक 16.06.2011 एवं रवांल्टा/जौनपुरी समुदाय को अधिसूचना/संकल्प संख्या–12015/15/2008–BCC, दिनांक 16.06.2011 द्वारा केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में अंकित क्रमांक

84 "महर"/"गूजर. महरा" एवं क्रमांक 85 "बिन्हारी समुदाय" को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किये जाने के आशय से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–48/2013–14, दिनांक 18 नवम्बर, 2013 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध किया गया है।

प्रदेश में निराश्रित अपंग बाल/बालिकाओं के लिये अनाथालय का प्रस्ताव

35. श्री मदन कौशिक–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में निराश्रित अपंग बाल बालिकाओं के लिए अनाथालय की व्यवस्था है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा निराश्रित अपंग बाल बालिकाओं को क्या–क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत सतपुली–व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर बस सेवाओं के संचालन की कार्यवाही

36. डा० जीतराम–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली–व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण कब किया गया है और इस मार्ग पर देवप्रयाग तक अभी तक बस सेवाओं का संचालन न किए जाने के कारण क्या हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक सतपुली–व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर बस सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली–व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण दिनांक 30–06–2006 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्ण किया गया है।

पूर्व में देहरादून से देवप्रयाग होकर सतपुली तक निगम बस संचालित की गयी थी जो कि कम आय अर्जित होने के कारण निगम हित में बन्द कर दी गयी थी।

सतपुली–व्यासघाट–देवप्रयाग मोटर मार्ग पर यात्रियों की अनुपलब्धता एवं मार्ग की आय कम प्राप्त होने के कारण बस संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

नियम-310 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल के संबंध में मदन कौशिक जी, हरबन्स कपूर जी आदि सम्मानित साथियों की है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य भीमलाल आर्य जी की है, जो चीन, तिब्बत देश की सीमा से लगे हुए गाँव हैं, उनमें सड़क और शिक्षा के संबंध में है और तीसरी सूचना माननीय सदस्य हरबन्स कपूर एवं मदन कौशिक जी की है जिसमें प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस अत्यधिक होने तथा अन्य चार्ज बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। मैं इनमें से जो माननीय सदस्य राजकुमार ठुकराल जी से संबंधित सूचना है, को नियम-58 में ग्राह्यता पर सुनूंगा, शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुई।

नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

आज नियम-300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री मदन कौशिक, श्री मालचन्द, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अरविन्द पाण्डेय तथा श्री चन्दन राम दास की कुल 09 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री मालचन्द, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अरविन्द पाण्डेय तथा श्री चन्दन राम दास की सूचनाओं को नियम-300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुई।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के सराईखेत आई.टी.आई. में उचित रूप से प्रशिक्षण न दिये जाने के कारण उत्पन्न असन्तोष की स्थिति के संबंध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

मान्यवर, मेरी विधान सभा सल्ट के सराईखेत नामक स्थान पर 2010-11 से 5 विषयों के साथ स्वीकृत आई0टी0आई0 का प्रारम्भ बहुत समय बीत जाने के उपरान्त वर्ष 2013 में किया गया। 02 वर्ष के लम्बे इन्तजार के बाद जब आई0टी0आई0 प्रारम्भ की गई तो वहाँ न तो पूरे स्टाफ की नियुक्ति की गई है और न ही किसी प्रकार के उपकरण ही वहाँ भेजे गये हैं। यहाँ तक कि कोई बैठने हेतु फर्नीचर भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिन युवकों ने वहाँ प्रवेश लिया है, वो भी अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, विभागीय अनदेखी के कारण बच्चों के भविष्य से हो रहे मजाक को देखकर क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है और वह कभी भी आन्दोलित हो सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।

हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल/मेला हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, हरिद्वार के जिला हॉस्पिटल/मेला हॉस्पिटल में डॉक्टरों के क्रमशः 19 एवं 14 पदों के सापेक्ष में केवल 15 डॉक्टर कार्य कर रहे हैं, कोई भी फिजिशियन न होने के कारण आने-जाने वाले मरीजों को निराश होकर वापस जाना पड़ता है।

गरीब लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने के कारण इलाज हेतु महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराना सम्भव नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय, तात्कालिक एवं लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही हेतु सदन के सम्मुख मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगाँव स्थिति स्वास्थ्य समुदायिक केन्द्र को पी0पी0पी0 मोड में देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मालचन्द-

महोदय, मेरे विधान सभा पुरोला के अन्तर्गत विकास खण्ड नौगांव के केन्द्र बिन्दु नौगांव में स्वास्थ्य समुदायिक केन्द्र पी0पी0पी0 मोड में दिया गया है, जब से उपरोक्त स्वास्थ्य समुदायिक केन्द्र को पी0पी0पी0 मोड में दिया गया है, क्षेत्र में छोटी-छोटी बातों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक ओर पूरे विधान सभा पुरोला में चिकित्सक नहीं है और मात्र ए0एन0एम0 के द्वारा कार्य चलाया जा रहा था। वहीं पर ए0एन0एम0 का स्थानान्तरण कर दिया गया है और स्वास्थ्य समुदायिक केन्द्र नौगांव में आज कोई भी चिकित्सक नहीं है, जिससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश एवं आन्दोलन के माहौल की स्थिति बनी हुई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के कार्य के विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत रा0इ0का0 नागराजाधार, रा0इ0का0 मैण्डखाल तथा रा0इ0का0 बंगियाल का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रा0इ0का0 नागराजाधार, रा0इ0का0 मैण्डखाल, रा0इ0का0 बंगियाल में 700 से 800 तक छात्र एवं छात्रायें अध्ययनरत् हैं। जो कि भवन ना होने के कारण खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं, इन विद्यालय भवनों के प्राक्कलन काफी समय पूर्व से शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। जिससे कि क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन की अन्य कार्यवाही रोक कर चर्चा करवाने का कष्ट करें।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सातसिलिंग थल मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद–पिथौरागढ़ के सात सिलिंग थल मोटर मार्ग जिसकी लम्बाई 50 किमी0 है। दो साल से सड़क लावारिस पड़ी है। सड़क की नाली बन्द है, सड़क के दोनों ओर झाड़ियाँ, सड़क पर जगह–जगह दीवाल टूटी है। सड़क पर गड्डे बने हैं। लोक निर्माण विभाग से पूछने पर उत्तर दिया जाता है कि सड़क ए0डी0बी0 के पास है। ए0डी0बी0 का कहना है टेन्डर प्रक्रिया चल रही है। सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्र की जनता कई बार चक्का जाम, धरना प्रदर्शन करती आई है, जनता आन्दोलित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत गदरपुर–दिनेशपुर–मटकोटा मार्ग को ई0पी0सी0 मोड से हटाकर एस0पी0ए0 में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरविन्द पाण्डेय–

मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उक्त रोड की हालत पूरी तरह से जीर्णशीर्ण हो चुकी है तथा लगभग 15 कि0मी0 रोड पर 60000 (साठ हजार)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः–[ ] में अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की आबादी है। सिडकुल क्षेत्र की भी मुख्य सड़क यही है। मान्यवर, रोड की दशा दयनीय होने के कारण उक्त मार्ग पर अब तक 20 से अधिक लोग सड़क पर दुर्घटना होने से जान गवां चुके हैं।

मान्यवर, इस रोड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होना जनहित में अतिआवश्यक है और ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत कार्य शीघ्र होना असमर्थ है और इनकी आवश्यकता भी नहीं है। आपसे आग्रह है कि अतिशीघ्र जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य करने के लिए ई0पी0सी0 मोड से हटाकर उक्त सड़क को एस0पी0ए0 योजना में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें। जैसा कि इसके साथ ही कई योजना को ई0पी0सी0 मोड से हटाकर मूल विभाग को दिया गया है। उसी के अनुरूप इस सड़क के लिए भी आदेश करने का कष्ट करें।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के साथ ही प्रदेश में 66 इण्टर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद सृजन किये जाने की माँग के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के गरुड़ में राजकीय इण्टर कॉलेज, गरुड़, राजकीय इण्टर कॉलेज, भटरखोला आदि कई विद्यालयों में पद सृजन के बाद भी बहुत से प्रवक्ता एल0टी0 व सभी प्रकार के पद रिक्त हैं। ज्ञात हुआ है कि सुगम क्षेत्र में उक्त विद्यालय होने के कारण यह सभी प्रकार के पदों में स्थानान्तरण या नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। यदि सुगम के कारण उपरोक्त क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं होंगी तो यहाँ के बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इस कल्याणकारी लोक महत्व के विषय पर प्रदेश में 66 इण्टर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद सृजन करने हेतु सरकार को निर्देशित करने का अनुरोध करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य डा0 पृथ्वी सिंह विकसित के निधन पर शोकोद्‌गार

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दिवंगत पूर्व विधायक मा0 डा0 पृथ्वी सिंह विकसित का जन्म 05 जनवरी, 1932 को हुआ, स्व0 श्री सन्तराम उनके पिता थे और उनकी माता स्व0 श्रीमती बुगली देवी थीं। उनकी पत्नी श्रीमती कमला देवी सेवानिवृत्त अध्यापिका थीं।

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेल्लीवाला, तहसील व जिला हरिद्वार के रहने वाले थे। वह एम0ए0, बी0टी0, पीएच0डी0 थे। वह 1991 से 1993 तक व 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री थे। समाज सेवा तथा शिक्षा के क्षेत्र में सदैव सक्रिय भागीदारी की। वर्ष 1957 से 1991 तक अध्यापक के रूप में कार्य किया। वर्ष 1991 में नेशनल इण्टर कॉलेज, धनौरी से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। 22 जनवरी, 2014 को उनका देहावसान हुआ। उनके परिवार में दो पुत्र एवं चार पुत्रियाँ हैं, उनमें से एक पुत्री का स्वर्गवास हो चुका है। मान्यवर, पृथ्वी सिंह विकसित जी से हमारा व्यक्तिगत परिचय था, वह हरिद्वार के रहने वाले थे, हम अक्सर मिलते जुलते रहते थे और वह समाज सेवा में लगे रहते थे। उनकी मृत्यु पर हम सब दुःखी हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की, समाज के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सेवा की है, उनको इस अवसर पर याद करते हैं। उनके प्रति मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 पृथ्वी सिंह जी, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री के रूप में 1991 और 1992 में और 1991 से 1993 तक एक बार, 1993 से 1996 तक दूसरी बार जो उत्तर प्रदेश में विधायक रहे, 05 जनवरी, 1932 को जिनका जन्म हुआ। मूलतः उनका पैतृक निवास ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेल्लीवाला, तहसील व जिला हरिद्वार था। जो बहुत की उत्कृष्ट श्रेणी के सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनेता थे। उन्होंने शिक्षा एम0ए0, बी0टी0, पी0एच0डी0 तक प्राप्त की थी। समाज सेवा तथा शिक्षा के क्षेत्र में वे सदैव ही सक्रिय रहते थे। उन्होंने 1957 से 1991 तक अध्यापन का कार्य भी किया, अध्यापक के रूप में भी उनकी विशिष्ट छवि पूरे क्षेत्र में थी। वर्ष 1991 में नेशनल इण्टर कॉलेज, धनौरी से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका अभी 22 जनवरी, 2014 को स्वर्गवास हो गया है, जो हम सब के लिए बहुत ही कष्टकारी स्थिति है। उनके दो पुत्र एवं चार पुत्रियाँ हैं, एक पुत्री का स्वर्गवास भी हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय कष्ट को सहन करने की प्रार्थना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना है कि उनको स्वर्ग में उच्च पद दे और सदगति दे। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, डॉक्टर पृथ्वी सिंह विकसित जी, जो एक ऐसे समाज सेवा और राजनैतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति थे। वे जिस क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं, उस क्षेत्र में मेरा निवास था। डा0 विकसित जी ने अपने जीवन में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्था खोलने का काम किया, जहाँ उस जमाने में कोई भी इण्टर कॉलेज नहीं हुआ करता था और उससे 10–15 किमी0 दूरी का जो क्षेत्र हुआ करता था तो उन्होंने उस समय वहाँ पर एक इण्टर कॉलेज की स्थापना की तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा काम था। एक डिग्री कॉलेज और इण्टर कॉलेज के साथ–साथ एक प्राथमिक विद्यालय भी उसी से जुड़ा हुआ है और गाँव में भी एक विद्यालय उनका चलाया जा रहा है। उन्होंने उस रूप में अपना जीवन जिया है। जिन्होंने अपने जीवन में द्वेष भावना को स्थान नहीं दिया है। सन् 1977 में वे विधान सभा का चुनाव लड़े और वह चुनाव हार गये। लेकिन उसके बाद भी राजनैतिक जीवन में निरन्तर काम करते रहे और समाज के बीच में काम करते रहे। सन् 1991 और 93 में वह दो बार विधायक रहे और राज्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के पद और अन्य पदों में रहते हुए उन्होंने कभी भी समाज सेवा के रूप में राजनैतिक प्रतिबद्धता को आड़े नहीं आने दिया। आज उस क्षेत्र में, जब हम देखते हैं जहाँ इण्टर कॉलेज और डिग्री कॉलेज खोले हैं तो वहाँ सैकड़ों गाँव ऐसे हैं, जहाँ आज हजारों–हजार बच्चे पास होकर निकलते हैं और देश तथा समाज में काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर विकसित जी ने उस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम किया है और इस रूप में भी हम उनको जानते हैं। जब वे इण्टर कॉलेज चला रहे थे तो 10–12 किमी0 दूर के लोग इकट्ठा होकर उनके पास गये और उन्होंने कहा कि वहाँ के बच्चे इस स्कूल में नहीं आ सकते हैं। यदि इस स्कूल की एक शाखा वहाँ पर खोल दी जाय तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को भी फायदा होगा। डाक्टर विकसित जी ने कहा कि हम इस स्कूल को वहाँ पर खोल सकते हैं, यदि उस क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर कोई एक भवन दे दें तो उस क्षेत्र के लोगों ने एक जगह देने की बात कही और लगातार 20–25 सालों तक वहाँ पर स्कूल की शाखा चलती रही। यदि उस क्षेत्र में शिक्षा को एक क्रान्ति के रूप में देखते हैं तो डॉक्टर विकसित जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज डॉक्टर विकसित जी हमारे बीच में नहीं हैं, निश्चित रूप से जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने यहाँ पर कहा और मैं अपनी भावनाओं को उनके साथ सम्बद्ध करते हुए और उनके प्रति श्रद्धांजली अर्पित करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर विकसित जी तेल्लीगाँव के रहने वाले थे और उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने का पूरा काम किया। उन्होंने पिछड़े क्षेत्र में बहुत काम किया और उन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को बढ़ाने का काम किया। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि वह कहने लगे कि मैं सिंचाई मंत्री हूँ। लेकिन मेरे खेत में पानी की गूल नहीं है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वह ऐसे शब्दों को कहते थे और हमारे गाँव के पास से नदी जा रही है। तो मैं अपनी बातों को माननीया दीदी जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों से सम्बद्ध करते हुए डॉक्टर विकसित जी की दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले, क्षेत्र के लोगों को जो आघात पहुँचा है, उनको शक्ति मिले और मान्यवर आप से निवेदन है कि हमारी भावना को उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, दिवंगत डा0 पृथ्वी सिंह विकसित का निधन 22 जनवरी, 2014 को हुआ और वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज भी हम उनके कार्यों को याद कर रहे हैं, वे एक शिक्षाविद् रहे हैं और लम्बे समय तक उनका सामाजिक जीवन रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और शिक्षा के क्षेत्र मे उन्होंने हरिद्वार जनपद में तमाम सराहनीय कार्य किये हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन्हें हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य के रूप में रहते हुए हरिद्वार जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जन समस्याओं को सदन के अन्दर रखा और उनके समाधान का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश की सेवा की और उनका जीवन हमेशा सामाजिक कार्यों में रहा और आज हमारे बीच में नहीं हैं, इससे हमारे पूरे प्रदेश को, समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को इस दु:ख की घड़ी में उनकी सहायता करें।

श्री अध्यक्ष–

डा0 पृथ्वी सिंह विकसित का जन्म 05 जनवरी, 1932 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सन्तराम तथा माता का नाम श्रीमती बुगली देवी था। डा0 विकसित ने एम0ए0, बी0टी0 तथा पी0एच0डी0 तक शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह श्रीमती कमला देवी से हुआ, जो स्वयं भी एक शिक्षिका थीं। डा0 विकसित 2 बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। डा0 पृथ्वी सिंह विकसित सदैव समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे तथा अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। आपने वर्ष 1957 से अध्यापक के रूप में अपनी कर्मयात्रा प्रारम्भ की तथा 1991 में नेशनल इण्टर कॉलेज, धनौरी से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। डा0 पृथ्वी सिंह विकसित का राजनैतिक जीवन वर्ष 1991 से प्रारम्भ हुआ। डा0 विकसित वर्ष 1991 से 1993 व वर्ष 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे तथा जुलाई 1991 से दिसम्बर, 1992 तक उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री का दायित्व भी सम्भाला। 22 जनवरी, 2014 को उनका निधन हो गया। डा0 विकसित का पैतृक ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेल्लीवाला, तहसील व जिला हरिद्वार में है। उनके पीछे परिवार में उनकी पत्नी, दो पुत्र व तीन पुत्रियाँ हैं। डा0 विकसित को सदैव एक प्रभावी अध्यापक तथा सक्रिय समाज सेवक के रूप में याद किया जाता रहेगा। मैं उनके

निधन पर हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने का बल प्रदान करे। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट जी, माननीय श्री मदन कौशिक जी, बसपा नेता श्री हरिदास जी और यू0के0डी0 नेता श्री प्रीतम सिंह पंवार जी की भावना को और इस सदन की भावना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दूँगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री हीरा सिंह बोरा के निधन पर शोकोद्गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, श्री हीरा सिंह बोरा जो एक जाना–पहचाना नाम है, ये विधायक रहे हैं। 18 नवम्बर, 1934 को जन्म हुआ था। उनका जन्म स्थान–ग्राम थपना, तहसील बंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती भागीरथी बोरा, जो शिक्षिका रही हैं। श्री बोरा जी की शिक्षा–एम0ए0, बी0टी0, आगरा विश्वविद्यालय से किया। मान्यवर, श्री बोरा जी वर्ष 1971 से 1974 में पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वे छात्र जीवन से सामाजिक तथा सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़े रहे। मान्यवर, वर्ष 1954 में स्थापित लोक कलाकार संघ के प्रारम्भिक संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे और आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में लोक संगीत के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। साठ के दशक में लम्बे समय तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। श्री बोरा जी वर्ष 1963 से अध्यापक के रूप में लम्बे समय तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता निवारण हेतु स्थापित हरिजन सेवक संघ के वर्ष 1964 से पिथौरागढ़ में जिलाध्यक्ष रहे। वर्ष 1969 में स्वैच्छिक संगठन सीमान्त अनुसूचित एवं जनजाति सेवा संस्थान की स्थापना की। मान्यवर, श्री बोरा जी सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में निवास करने वाली तथा प्रदेश की आदिम जनजाति राजी की खोज एवं उनके शैक्षिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहे। अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के लिए छात्रावास की स्थापना के साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालयों का संचालन किया। 24 नवम्बर, 2000 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जनजाति विशेषज्ञ समिति के सदस्य मनोनीत हुए। मान्यवर, श्री बोरा जी ने विशेष रूप से राजी जनजाति जो केव ड्वैलर्स थे, जो गुफाओं में रहते थे, उन पर उन्होंने साहित्य भी लिखा, अध्ययन भी किया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जागरूक भी रहे। मान्यवर, मुझे याद है जब एक बार एक जर्मन महिला मुझे ट्रेन में मिल गई थी, जिसने उनका नाम पूछा और उनका टैलीफोन नम्बर आदि मुझसे लिया। यह बहुत पुरानी बात है और वह महिला पिथौरागढ़ में जो केव ड्वैलर्स थे, जो राजी जनजाति के लोग गुफाओं में रहते थे, उनके विषय में शोध करने आयी थी। मैंने उनको

टेलिफोन किया वो उनके पास पहुँची। कैव ड्वेलर्स के विषय में बोरा जी ने बहुत कार्य किया, उनके कार्य को सभी जानते हैं। पहली बार यहाँ विधान सभा में उस राजी जनजाति के माननीय विधायक जी भी चुनकर आये, जो विधायक के रूप में लगातार कार्य करते रहे। मान्यवर, राजी जनजाति के विषय में अभी भी शोध और खोज का विषय है कि किस तरह से वे लोग गुफाओं में रहकर अपना जीवन गुजारते रहे और इस बारे में उस क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। मान्यवर, बोरा जी का देहावसान 15 नवम्बर, 2013 को हो गया है। उनके तीन पुत्र हैं, उनकी मृत्यु पर मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और पूरे सदन की ओर से शोक व्यक्त करती हूँ। मान्यवर, हमारी श्रद्धांजलि और हमारा शोक भाव उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी श्रद्धांजलि पूर्व विधायक माननीय हीरा सिंह बोरा जी को अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णनीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे और उनको स्वर्ग में सद्गति तथा उच्च स्थान प्राप्त हो। मान्यवर, बोरा जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है, वह शत–प्रतिशत सही है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उनके सबसे करीब भी रही हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी शिक्षक कन्सीट्यूएन्सी सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती थीं इसलिए भी आपका बोरा जी के साथ बहुत ही करीब का नाता रहा है। मान्यवर, 18 नवम्बर, 1934 को ग्राम थपना, तहसील–गंगोलीहाट, जिला–पिथौरागढ़ में आपका जन्म हुआ था। बोरा जी की पढ़ाई आगरा विश्वविद्यालय से एम0ए0, बी0टी0 तक हुई। मान्यवर, बोरा जी वर्ष 1971 से 1974 तक पिथौरागढ़ विधान सभा क्षेत्र से सदस्य रहे जो उस समय में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था और जिसमें आज के तीन–चार विधान सभा क्षेत्र सम्मिलित हैं, का प्रतिनिधित्व किया। वह छात्र जीवन से ही सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े रहे। 1954 में स्थापित लोक कलाकार संघ के प्रारम्भिक संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, आकाशवाणी में लोक संगीत के कार्यक्रमों में वह स्वयं प्रतिभाग करते थे, साठ के दशक में लम्बे समय तक वह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1963 से लम्बे समय तक अध्यापक के रूप में शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। गांधी जी द्वारा अस्पृश्यता निवारण हेतु स्थापित हरिजन सेवक संघ के वर्ष 1964 से जिला पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1969 में स्वैच्छिक संगठन सीमान्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति सेवा संस्थान की स्थापना की और सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में निवास करने वाली तथा प्रदेश की आदिम जनजाति राजी की खोज एवं उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सदैव प्रयासरत रहे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लिये छात्रावास की स्थापना के साथ ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी

शिक्षा हेतु विद्यालयों का संचालन करना उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा उनको जनजाति विशेषज्ञ समिति में सदस्य मनोनीत किया गया। उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जो बहुत चर्चित रहीं, 'द राजी इनविजिबल ट्रेडर्स' और 'केव डवेलर्स ऑफ कुमाऊँ हिमालयाज'। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि राजी जाति के ऊपर फोकस करके यह किताबें लिखी गईं और मैं समझता हूँ कि एटकिंसन गजेटियर के बाद किसी ने विस्तृत रूप से किताबें लिखीं हैं, तो बोरा जी ने ही पूरा शोध करके यह किताबें लिखीं हैं और इन किताबों के माध्यम से उन्होंने एक नई चीज समाज के सामने रखी। अभी 15 नवम्बर, 2013 को पिथौरागढ़ में उनका देहावसान हुआ है और उनके तीन पुत्र इस समय हैं। मैं अपनी और अपने दल की ओर से अपनी शोक संवेदनायें प्रकट करता हूँ और अपने आप को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सम्बद्ध करता हूँ। मैं प्रभु से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असह्य कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में सद्‌गति दें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री हीरा सिंह बोरा जी, जो हमारे पूर्व विधायक रहे, मैं अपने आपको माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि हीरा सिंह बोरा जी की जो प्रशंसा हमने अभी यहाँ पर सुनी है, वह वाकई प्रशंसा के काबिल हैं और जिस तरह से उन्होंने दलित और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये काम किया है, छात्रावास बनाये हैं और आकाशवाणी में भी कार्य किया है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया है, जो कि सराहनीय हैं वह बहुत अच्छे विधायक रहे होंगे, मैं अपने को, अपने दल को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और हमारे नेता विरोधी दल से सम्बद्ध करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे तथा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी संवेदनायें उनके परविार तक पहुँचाने की कृपा करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, श्री हीरा सिंह बोरा जी जो कि पिथौरागढ़ की विधान सभा से 1971 से 1974 तक विधान सभा के सदस्य चुने गये। उनका जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य रहा, उनके कार्यों की हमेशा सराहना होती रही है, वो कार्य तो उनका प्रशंसनीय रहा ही। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किये और विभिन्न सामाजिक संगठनों में, विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने समाज के निचले, पिछड़े तबकों की जो सेवा की, उसको आज भी समाज याद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान रहा। वो

स्वयं भी एक शिक्षक रहे हैं और समाज को एक नयी दिशा प्रदान करने में उनका विशिष्ट योगदान रहा, वहीं लेखन के क्षेत्र में भी और साथ ही लोक संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही। आज स्व0 बोरा जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं, अच्छे कार्यों को आज हम सब याद कर रहे हैं और भावी पीढ़ियाँ भी उनको याद करती रहेंगी। उनके निधन से पूरे उत्तराखण्ड को एक बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करे, यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी, सदन की जो भावनाएँ हैं, उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं, शोक संतप्त परिवार को पहुँचाने का कष्ट करें।

*श्री नारायण राम आर्य—

मान्यवर, इस संसार में अनेकों लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद अपनी अमिट छाप को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हीं में से एक हैं महान समाजसेवी श्री हीरा सिंह बोरा जी। उनका जन्म 18 नवम्बर, 1934 ई0 को तहसील गंगोलीहाट के धपना नामक ग्राम में हुआ था। आप एम0ए0, बी0टी0 की शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात् समाज सेवा में हमेशा तल्लीन रहे। छात्र जीवन से ही आप एक मेधावी समाज सेवक के रूप में उभर कर आये। आप कांग्रेस से सम्बद्ध रहे। साठ के दशक में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1971 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में पिथौरागढ़ जनपद की विधान सभा से सम्मानित सदस्य रहे और आपने सामाजिक क्षेत्र में अनेक अनुसरणीय कार्य किये। आप आकाशवाणी के अच्छे कलाकार रहे और समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आदिम जाति के लिए आपने कार्य किया और पिथौरागढ़ जनपद में इन जातियों के संरक्षण तथा इनकी उन्नति के लिए आपने सीमान्त छात्रावास की स्थापना की और वहां पर एक पुस्तकालय की स्थापना भी की। जिससे इस वर्ग के लोगों को काफी लाभ पहुँचा और आप पिथौरागढ़ जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में एक अच्छे लेखक, एक अच्छे समाज सेवक और एक संगीतकार के रूप में जाने जाते थे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे, 15 नवम्बर, 2013 को आपका निधन हो गया। आपके तीन पुत्र हैं। मान्यवर, तीनों पुत्र उत्तराखण्ड की सरकार में और केन्द्र सरकार में राजपत्रित अधिकारी हैं। आप अपना एक भरपूर परिवार छोड़कर गये हैं। मैं आपके माध्यम से यह शोक संदेश उनके परिवार तक पहुँचाना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें। मेरा यह संदेश पूरे सदन की ओर से उनके परिवार तक पहुँचाने का माननीय अध्यक्ष जी, आप कष्ट करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा श्री हरिदास जी, माननीय नेता यू0के0डी0 श्री पंवार जी, माननीय सदस्य श्री नारायणराम आर्य जी की संवेदना से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। श्री हीरा सिंह बोरा का जन्म 18 नवम्बर, 1934 को जिला पिथौरागढ़, तहसील गंगोलीहाट के धपना गाँव में हुआ था। श्री हीरा सिंह बोरा ने आगरा विश्वविद्यालय से एम0ए0, बी0टी0 शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह श्रीमती भागीरथी बोरा से हुआ, जो शिक्षिका थीं। श्री बोरा वर्ष 1971–1974 में पिथौरागढ़ विधान सभा सीट से तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

आप छात्र जीवन से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे तथा अल्मोड़ा डिग्री कॉलेज के छात्रसंघ के महासचिव आदि पदों पर रहे। वर्ष 1954 में प्रसिद्ध लोक कलाकार स्व0 मोहन उप्रेती द्वारा लोक कला के विकास एवं प्रचार के लिए स्थापित संस्था लोक कलाकार संघ के प्रारम्भिक संस्थापक सदस्यों में आप शामिल थे। आपने वर्ष 1958 तक आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया।

श्री बोरा साठ के दशक में लम्बे समय तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। आप वर्ष 1963 से अध्यापक के रूप में लम्बे समय तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण हेतु स्थापित हरिजन सेवक संघ के पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष के रूप में वर्ष 1964 से प्रारम्भ हुई समाज सेवा की आपकी यात्रा अनेक सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पड़ावों से गुजरी। आपके द्वारा 1969 में सीमान्त अनुसूचित एवं जनजाति सेवा संस्थान की स्थापना की गयी। सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में निवास करने वाली आदिम जनजाति राजी की खोज तथा सामाजिक एवं शैक्षिक विकास में श्री बोरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए श्री बोरा ने सीमान्त छात्रावास की स्थापना की तथा इनके शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों का संचालन किया।

श्री बोरा ने 'द राजी–इनडिजीनल ट्रेडर्स' और 'केव ड्वेलर्स ऑफ कुमाऊँ हिमालयाज' शीर्षक पुस्तकों के साथ ही अनेक रचनाओं का प्रकाशन भी किया। श्री बोरा को 24 नवम्बर, 2000 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जनजाति विशेषज्ञ समिति का सदस्य मनोनीत किया गया।

एक विचारक, चिन्तक, लेखक, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षक के रूप में श्री बोरा का योगदान सदैव याद किया जाता रहेगा। मैं उनके निधन पर हार्दिक संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को दुःख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

मैं, शोकाकुल परिजनों तक सदन की भावनाएँ प्रेषित कर दूंगा। अब हम खड़े होकर पुण्यात्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।)

सत्र के मध्य किसी भी योजना की घोषणा सदन के बाहर किये जाने तथा जिला योजनाओं का उद्घाटन भी मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आज तक किसी भी सत्र के दौरान, माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री सदन के बाहर कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। यदि परिस्थितिवश कोई घोषणा करनी भी होती है या कोई निर्णय लेना भी होता है तो वह घोषणा सदन में होती है। श्रीमन्, आश्चर्यजनक बात है कि विधान सभा की नीति, नियमों और परम्पराओं को ताक पर रख करके जिस तरीके से घोषणायें हो रही हैं। वह इस सदन का भी अपमान है और संसदीय परम्पराओं का भी अपमान है। दूसरी बात, एक शासनादेश हुआ था कि पाँच करोड़ रुपये से ऊपर की जितनी भी योजनायें हैं, उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे और उससे नीचे की जो योजनायें हैं, उनको मंत्री और उसके नीचे की जो योजनायें हैं, माननीय विधायक करेंगे। यदि उस शासनादेश में कहीं परिवर्तन हो गया है तो उसको इस सदन के पटल पर रखने की कृपा करें और आप सरकार को निर्देशित करेंगे। सरकार इससे पहले यह बता दे कि क्या उसमें कोई परिवर्तन किया है ? दूसरी बात यह है कि जिला योजनाओं का भी माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि आप माननीय नेता सदन को इसके बारे में निर्देशित कर सकें और इस सदन को इस स्थिति से अवगत करा सकें तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मान्यवर, इस प्रकार से परम्पराओं का कत्ल हो रहा है। यहाँ संसदीय परम्पराओं का और इनकी नीति और नियमों का तथा कार्य संचालन नियमावली का कत्ल हुआ है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर सदन चल रहा हो और बाहर घोषणा पर घोषणा हो रही हो, तो इस सदन का अपमान है। इसके व्यवस्था के प्रश्न पर और उसके औचित्य के सवाल पर आप निर्णय दें तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रमेश पोखरियाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। मैं थोड़ा सा किस तरह से घोषणायें हुई हैं और शिलान्यास हुए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, पिथौरागढ़ एक जिला है और यहाँ पर यह बात आ गई है और वास्तव में सदन के बाहर यह घोषणा नहीं की जानी चाहिए। जैसा कि पिथौरागढ़ में 01 हेक्टेअर जमीन मोस्टामानू, चण्डाक में बेस चिकित्सालय के लिए स्वीकृत की गई थी और यह 60 करोड़ रुपये की लागत से बनना था। दिनांक 01 फरवरी, 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक जी तथा तत्कालीन मंत्री एवं पिथौरागढ़ के माननीय विधायक श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का शिलान्यास

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया जिसमें 02 करोड़ 60 लाख रुपये स्थानीय विकास एवं अन्य कार्यों के लिए हॉस्पिटल को दे भी दिया और काम भी हो गया और अभी दो दिन पहले घण्डाक, मोस्टामानू से 6 कि0मी0 दूर रेशम विभाग की 10 नाली जमीन पर इसका शिलान्यास कर दिया गया है। जबकि इस हेतु शासनादेश में भी कोई संशोधन नहीं हुआ है, न ही एक नया पैसा निर्गत किया गया है। दूसरी जगह जहाँ यह स्थापित किया जा रहा है, उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है और न ही कोई डी0पी0आर0 बनी है और आज इसका 2 करोड़ 60 लाख रुपया जो मोस्टामानू में लग गया उसका क्या होगा ? मान्यवर, हम समझ रहे थे कि माननीय नेता सदन एक आये और दूसरे आये तो अब ठीक होगा, लेकिन वही स्थिति रहेगी तो यह हम सबके लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है और मेरी जानकारी के अनुसार जो 1800 करोड़ की योजनाओं का जो शिलान्यास किया है, घोषणायें हुई हैं, प्रिंट मीडिया से लेकर सारे मीडिया में जो एडवर्टाइजमेण्ट गये हैं वह 4 करोड़ के हुए हैं। हैलीकॉप्टर पर खर्च 5 करोड़ का हुआ है, अधिकारियों के पैट्रोल-डीजल का खर्चा मुख्यालय आने के लिए 01 करोड़ का हुआ है। समस्त अधिकारियों का एक दिन का वेतन जो दो-तीन दिन से काम कर रहे थे उनको जोड़ा जाये तो 01 करोड़ 05 लाख रुपये का है। पत्थर लिखाई पर खर्च 1 करोड़ यानि कि 99 लाख तक एक करोड़ हैं, पाण्डाल एवं भोजन नाश्ता पर खर्च 50 लाख और शिलान्यास एवं लोकार्पण में 12 करोड़ 50 लाख रुपये का खर्च हुआ, जिसमें एक हजार मकान आपदाग्रस्त क्षेत्र में बन सकते थे। जब गैरसैंण में शिलान्यास हुआ तो वहाँ पर 10 करोड़ रुपया गैरसैंण की कैबिनेट और वहाँ के शिलान्यास में खर्च हुआ। मैं एक उदाहरण भी देता हूँ कि गैरसैंण की कैबिनेट बैठक में एक ही दिन के भोजन में लगभग 02 लाख 21 हजार रुपये का खर्च किया गया, जिसका भुगतान अभी तक गढ़वाल मण्डल विकास निगम को नहीं किया गया है और मैं समझता हूँ कि शिलान्यास हेतु 01 लाख 99 हजार का भुगतान विधान सभा को करना पड़ा। तो यह स्थिति है तो हम इस छोटे राज्य को किधर ले जा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार को देना था 01 लाख 99 हजार, यदि मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं अपनी जानकारी वापस ले लूँगा। लेकिन मेरी पुख्ता जानकारी है कि 01 लाख 99 हजार का भुगतान विधान सभा ने 01 जनवरी, 2013 को किया और जो 2 लाख 21 हजार का भोजन का जो कैबिनेट का खर्चा है वह आज तक पेमेन्ट नहीं हुआ है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम बार-बार इसके लिए कह रहा है। जब यह स्थिति इस प्रदेश की है और हम लोकार्पण-शिलान्यास में अपनी शक्ति लगा रहे हैं तो किस तरह से हम इस प्रदेश को बचायेंगे। इसलिए जितनी घोषणायें हो रही हैं बाहर यह सब असंवैधानिक हैं और परम्पराओं के विपरीत हैं। मेरा आपसे निवेदन है और मैं समझता हूँ कि माननीय नेता सदन बहुत समझदार हैं, बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे भी हैं और उनको संसदीय ज्ञान का लम्बा तजुर्बा भी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी सर्वाधिक अनुभव इस प्रदेश में है और मैं समझता हूँ कि 40-45 साल का राजनैतिक जीवन इस प्रदेश का आपका भी हो

गया है, तो संसदीय परम्पराओं का यदि हम अनुपालन नहीं करेंगे तो हम कहाँ ले जायेंगे, यह इस प्रदेश का चिन्ता का विषय है। इसलिए इस सदन से इतर जितनी भी घोषणायें हो रही हैं, वह परम्पराओं के विपरीत हैं। मैं इसलिए माननीय निशंक जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आपका कोई न कोई संरक्षण मिलना चाहिए। प्रदेश की जनता में आपने इन दो सालों में, एक बार नहीं कई बार, जितनी साख आपने बटोरी है, जितनी वाहवाही आपने बटोरी है तो मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं बटोरी होगी। सब ने कहा कि निष्पक्ष होकर माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय आते हैं, इसलिए इसमें भी आपका कोई गम्भीर डाइरेक्शन जाना चाहिए। इसमें आपका कोई भी निर्देश आयेगा, उसका हम सब पालन करेंगे और पूरा प्रदेश इसका पालन करेगा। मान्यवर, आपकी जो व्यवस्था होगी उसका हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। घोषणाओं से हमें एतराज नहीं, घोषणायें आप खूब करें, बहुत अच्छी बात है प्रदेश की जनता को विकास मिलना चाहिए, लेकिन सदन चलते समय जो सदन के बाहर घोषणायें होती हैं वह निरस्त होने लायक हैं। उनको दोबारा से सदन खत्म होने पर करें या सदन के अन्दर करें। परम्पराओं और मान्यताओं के आधार पर सदन चलता है, इसको हमको बरकरार रखना पड़ेगा और कानून के आधार पर और नियमावली के आधार पर हमको यह सदन चलाना पड़ेगा। मान्यवर, हम इसको चलाने के लिए बाध्य हैं। हम नियमावली के संरक्षण के लिए आपकी विक्रमादित्य की कुर्सी पर आप हमेशा विराजमान हैं, आपका डायरेक्शन हमारे सिर–माथे पर है, इस पर आपका निर्णय चाहिए।

श्री यतीश्वरानन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय प्रभारी मंत्री जी को हरिद्वार में लोकार्पण करने थे। जिन सड़कों पर कल लोकार्पण होना था, उन सड़कों पर लगभग दो माह पूर्व कार्य पूर्ण हो गये थे, खुद हमने उनका उद्घाटन भी किया है। मान्यवर, हमने कम से कम 200 लोगों को बुलाकर इस उपलक्ष में मिठाई भी बांटी है। मान्यवर, दो–तीन दिन के अन्दर उत्तराखण्ड के अन्दर बहुत फर्जीवाड़ा हो चुका है। पुरानी योजनाओं का भूमि पूजन कराना, लोकार्पण करना, यह इस सदन का अपमान है, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, जनपद हरिद्वार के अन्दर एक तरफ तो उनके लड़के घोषणा करते हैं कि कॉलेज कहाँ पर बनना है। एक तरफ उनकी लड़की कहती है कि अमुक स्थान कन्या इण्टर कॉलेज बनेगा, अमुक स्थान पर हॉस्पिटल बनेगा और कहते हैं कि आप हमें काम दीजिए, हरिद्वार के अन्दर क्या काम कराने हैं। मान्यवर, हरिद्वार के अन्दर एक सड़क सिंचाई विभाग की थी उसकी लड़की ने खुद उस सड़क का उद्घाटन किया। मान्यवर, क्या उनको उद्घाटन का अधिकार है, जबकि वे एक सामान्य नागरिक हैं ? इस तरह की परम्परा बन्द होनी चाहिए। (घोर व्यवधान) मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री की लड़की खुद हरिद्वार के अन्दर सड़क का उद्घाटन कर रही है।

*कृषि मंत्री (श्री हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य तो बाबा जी हैं, इनको सदन के अन्दर तहजीब से बात करनी चाहिए। "उसकी" क्या हुआ ?

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, माननीय नेता सदन की लड़की ने।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, "उसकी" क्या हुआ ? माननीय नेता सदन तो आप अब कह रहे हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, इस तरह की परम्परा हरिद्वार के अन्दर रुकनी चाहिए, यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, माननीय निशंक जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है। यह सही है कि यह परम्परा भी रही है और व्यवस्था भी है कि जब सदन चल रहा होता है तो सदन के अन्दर ही घोषणाएँ होती हैं। इस दौरान जो शिलान्यास या लोकार्पण हुए। पंचायत चुनाव को लेकर जो आचार संहिता लगनी थी, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया था कि जो कार्य पूर्ण हो गये हैं उनका लोकार्पण किया जाय और जो कार्य चल रहे हैं, उनका शिलान्यास हो, इस दृष्टि से हुआ। ताकि यदि आचार संहिता लग भी जाय तो भी काम रुके नहीं, विकास का कार्य चलता रहे। मान्यवर, विशेषकर यह आपदाग्रस्त क्षेत्र है, हमारी बड़ी चिंता रही है और हमारा हाईकोर्ट में जाने का कारण भी यही रहा है कि अभी–अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार सम्भाला है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के कार्य चलते रहें और हमें पाँच मई से पूर्व चार–धाम यात्रा भी शुरू करनी है, हमें इसकी भी चिंता है कि इसके ट्रेक रूट कैसे बनें, कितने लोग इसको बनायेंगे, इस पर रात–दिन कार्य हो रहा है और यह कार्य समय पर पूर्ण हो जाय। मान्यवर, इसी संदर्भ में यह सब कार्य किया गया है। सबको पता है कि आचार संहिता एक बार लागू हो जाने पर नये कार्य शुरू नहीं किये जाते हैं, इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्य किया गया था। हमारे पास एक ही दिन था, इसके अलावा और कोई दिन नहीं था, इसके बाद सदन चलना था। मान्यवर, बजट के अन्दर जितने प्राविधान या ईश्यू आये, ऐसी ही घोषणा की गई है, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है जो बजट के बाहर हो। यदि आपके संज्ञान में हो तो बतायें, चूँकि इन बातों पर हम सतर्क थे, कैबिनेट में भी इन बातों पर चर्चा हुई थी। यदि कोई बात बजट

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विपरीत हुई हो तो यदि आप उन बातों पर ध्यान आकर्षित करेंगे तो जरूर उन बातों का संज्ञान हम लेंगे। परम्पराओं का हमें ज्ञान है कि सदन चलते हुए सदन के अन्दर ही घोषणा की जाती है और जहाँ तक हरिद्वार के माननीय विधायक ने कहा, माननीय विधायक नये हैं कि पुराने हैं, मैं नहीं जानती। यदि बहुत पुराने हैं और संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं तो उन्हें बहुत बधाई, लेकिन जहाँ तक बात शिलान्यास और लोकार्पण की है, माननीय सदस्य ने कहा कि लोकार्पण और शिलान्यास हमने कर दिया है। मान्यवर, सरकारी व्यवस्था सरकार के पास होती है। आप विधायक निधि से सम्बन्धित अपने लोकार्पण या शिलान्यास तो कर सकते हैं, शेष सरकारी कार्य के किये हुए कार्यों का लोकार्पण या शिलान्यास तो निश्चित रूप से सरकार का कोई मंत्री या विभागीय मंत्री करेगा और उसके साथ सम्बन्धित विधायक होने के नाते आपको भी पूरा सम्मान रहता है। मान्यवर, क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता तो रहेगी ही, यदि नहीं बुलाया गया तो बुलाया जाना चाहिये। इसी प्रकार से आप लोगों ने जो हरिद्वार में शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम किया है, हम मौसम की खराबी के कारण वहाँ नहीं पहुँच सकें। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप गई ही नहीं, इसलिये आपको बधाई, क्योंकि आप कोई झूठा काम करना ही नहीं चाहती हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नैनीताल जाना पड़ा, इसलिये नहीं आ पाई। अब हमने तय किया है कि जिस दिन हम खाली होंगे, उस दिन यह कार्य करेंगे। (व्यवधान) हम प्यार से फिर आयेंगे और शिलान्यास करेंगे। जो माननीय विधायक उस क्षेत्र के होंगे, उनकी अध्यक्षता में यह कार्य होगा। बाकायदा यह निर्देशित किया गया था कि सभी विधायकों की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो और विधायकों के भी नाम लिखे जायं। माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद रहे हैं, सांसदों के नाम का जिक्र करने का भी निर्देश दिया गया था, यह प्रयास भी किया गया कि कहीं पर कोई चूक न हो, माननीय विधायकों के सम्मान में कोई कमी न आये। फिर भी माननीय निशंक जी ने जो प्रश्न उठाया है, यदि विशेष प्रकरण से वह अवगत करायेंगे, इंगित करेंगे, तो उसे देखा जायेगा और यदि कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने स्पेसिफिक बताया है कि पिथौरागढ़ का बेस हॉस्पिटल, जिसके लिये एक हेक्टेयर भूमि मोस्टामानू में ले भी ली गई थी और 2 करोड़ 60 लाख रुपया उसमें खर्च भी हो गया था। रेशम विभाग में दोबारा उसका शिलान्यास कर दिया है, उस धन को कौन देगा, दोबारा जो

गया, उसको कौन देगा, सरकार कैसे देगी। यदि हम गलत हैं तो फिर इन्क्वायरी हो जाय। वह धन वसूला जाना चाहिये।

*श्री नवभात

मान्यवर, चूंकि बहुत वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न उठाया है, जो कि व्यवस्था या औचित्य का प्रश्न है, उस पर आपका भी विनिश्चय आयेगा। परम्परा यह जरूर है कि जब सदन चल रहा हो तो घोषणा बाहर नहीं हो सकती है, लेकिन प्रश्न यह है कि वह घोषणा कौन सी है। नीति संबंधित कोई भी घोषणा सदन के बाहर नहीं की जा सकती है और सामान्य विकास कार्यों की घोषणा न किये जाने की कोई परम्परा नहीं है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। जो शिलान्यास एवं लोकार्पण हुए हैं, वह विकास की योजनाओं के हुए हैं, बजट हमारे सामने है, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कर में छूट देने या कोई नया कर लगाने की घोषणा सदन से बाहर नहीं कर सकते हैं, परन्तु जो सामान्य राज–काज है, उसके लिये परम्पराओं के अन्तर्गत कोई बाध्यता नहीं है।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, पिथौरागढ़ बेस हॉस्पिटल के संबंध में बताना चाहता हूँ कि यह अस्पताल पिछली सरकार के समय में स्वीकृत हुआ था। उसके लिये जो भूमि चयनित की गई थी, वह पिथौरागढ़ शहर से पाँच कि0मी0 दूर चयन की गई थी। इस पर पूरे पिथौरागढ़वासी आन्दोलित थे कि शहर से दूर अस्पताल को बनाया जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने जिला चिकित्सालय से 500 मीटर की दूरी पर भूमि का चयन किया था। अभी भूमि का प्रकरण लम्बित है, कोई भी शिलान्यास नहीं हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि दो करोड़ 60 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, उसमें मात्र 23 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है और उसमें जो नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में प्रस्तावित किया गया है, उसे उस स्थान पर बनाने हम जा रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 2 करोड़ 60 लाख रुपया उस पर खर्च हो गया है, मेरी जानकारी शत–प्रतिशत सही है, अगर सही नहीं होगी तो इसी सदन में वापस लेंगे। यह व्यवस्था आनी चाहिये कि ऐसी जगह पर सरकार की इतनी बड़ी धनराशि खर्च हो गई है, अगर मैं सही हूँ तो उस राशि को आप कैसे वसूल करेंगे, क्योंकि यह पूरे प्रदेश का पैसा है, सरकार के किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मान्यवर, उसको कैसे वापस लेंगे जो बिल्कुल निष्प्रयोज्य हो गया, आपने तो स्थान ही बदल दिया। 02 करोड़ 60 लाख रुपया आपने खर्च कर दिया और उसके बाद आपने स्थान बदल दिया तो उस पैसे के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा ? इसमें आपका कोई निर्देश आना बहुत आवश्यक है मान्यवर।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस भूमि पर पहले बेस चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा था जैसा कि माननीय सदस्य मयूख महर जी ने कहा है उसी भूमि पर बी0एस0ए0 नर्सिंग कॉलेज 13वें वित्त आयोग में स्वीकृत हुआ है, उसका निर्माण उस पर किया जा रहा है, उसकी डी0पी0आर0 बन चुकी है। 13वें वित्त आयोग के लिए कल माननीय गुलाब नबी आजाद जी आये थे, हमने उनसे निवेदन किया है, धन अवमुक्त करने के लिए, 20 करोड़ रुपया उसके लिए केन्द्र सरकार से अवमुक्त होगा। उस भूमि पर जिस पर बेस चिकित्सालय का निर्माण होना था, उस पर अब बी0एस0ए0 नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया जायेगा। उस धन का दुरुपयोग नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था है इसमें यह निश्चित है कि कोई एक धनराशि, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय विधायकों को कहा था कि आप अपने क्षेत्र में कुछ सड़कें दे दें, वो हम बनाएंगे। वो सारी सड़कें स्वीकृत हो गयीं जितनी भी हुई। सत्ता पक्ष की हो सकता है कि बहुत ज्यादा हुई हों, विपक्ष की कम हुई हों, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब जो सड़कें स्वीकृत हो गयीं तो माननीय विधायकगणों को बुलाया गया जो संबंधित विभाग हैं और उन सब का शिलान्यास करा लिया गया। जब जो सड़कें बन कर तैयार हो गयी, लोकार्पण करा लिया गया। सारे विधायक सत्ता पक्ष के भी गये होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन विपक्ष के भी बहुत से लोग गये होंगे। 4–6 महीने पहले सब काम निपट गया। 06 महीने बाद अब फिर पत्थर बन कर लग गये। अब जो हम लोगों ने लोकार्पण, शिलान्यास किया था, एक तो वो पत्थर लग गया, वो भी इस निधि में से ही गया होगा, व्यवस्था में से गया होगा। अब नया पत्थर उसका बना है, वो भी उस बजट से ही जायेगा। सड़कें तो वही हैं तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि ऐसी दोहरी व्यवस्था बनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है ? केवल यही कि यह संदेश दें कि चुनाव आ रहे हैं, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, मुझे अफसोस होता है श्रीमन्, किस नियमावली में, किस विधान में, किस परम्परा में यह लिखा हुआ है कि तब तक कोई काम शुरू नहीं हो सकता है, जब तक कि उद्घाटन न हो, शिलान्यास न हो नम्बर–1, क्योंकि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि आचार संहिता लगने वाली थी, केवल 01 दिन रह गया था तो आपने जो कहा श्रीमन्, यह साबित हो गया कि केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ लेने के लिए आपने नीति और नियमों का कत्ल किया श्रीमन्। किस नियमावली में लिखा है कि तब तक काम

शुरू नहीं हो सकता नम्बर–1 श्रीमन्। दूसरी बात माननीय नवप्रभात जी हमारे सदन के बहुत सीनियर सदस्यों में हैं, मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन्, कि यह परम्परा केवल नीतिगत विषय नहीं है। यदि आपका बजट, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने उस बात का उल्लेख किया और जिसका प्रतिपादन कहीं न कहीं उनकी ध्वनि से परिलक्षित होता है श्रीमन्, क्या एकमुश्त धनराशि किसी के लिए स्वीकृत हो और स्वास्थ्य विभाग या कोई अन्य विभाग उसके अन्दर जो चाहे घोषणा कर दें। हाँ, आपके इस बजट में जो बजट अभी पास नहीं हुआ, मदवार पास नहीं हुआ श्रीमन्, जब तक वह मदवार स्वीकृत नहीं होता तब तक उसके बारे में बाहर घोषणा करना, उसका शिलान्यास करना यह नीति–नियम ही नहीं, यह तो सरासर असंवैधानिक है, यह तो इस सदन का भी अपमान है। (व्यवधान) श्रीमन्, मुझे मालूम है कि माननीय हरक सिंह रावत जी बहुत सीनियर विधायक हैं, अभी जब यह बोल रहे थे, मुझे अफसोस हो रहा था एक मद से दूसरे मद में धनराशि जा नहीं सकती। यदि ढाई करोड़, दो करोड़ माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस बात को कहा, श्रीमन्, यदि वह राशि बेस अस्पताल के लिए गई है तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मद से दूसरे मद में उठा करके राशि को रखा जा सकता है। जनहित की बात करते हैं, परम्पराओं और नीतियों की बात नहीं, यह जनहित का हो गया। क्या वहाँ पर बेस अस्पताल नहीं चाहिए ? श्रीमन्, जब मंत्रीगण ही गलत तरीके से सदन को गुमराह करते हैं तो मुझे अफसोस होता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसमें हमारे विधायकगण चाहे वह सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूँ कि यदि गलती है तो सुधार करो न, बिना मदों को, बिना नीति और नियमों को ताक पर रख कर नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा है और हमको मालूम है, उसकी सूची आपको दे देंगे कि घोषणायें क्या हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय निशंक जी, संक्षेप करिये।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मैं संक्षेप ही कर रहा हूँ, मैं तो लम्बा जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सूत्रों में बात कर रहा हूँ, यदि ये शासनादेश था कि उस क्षेत्र में कोई भी शिलान्यास और उद्घाटन होगा तो उसकी अध्यक्षता विधायक करेगा। तो इस सरकार ने सुनिश्चित किया कि उस विधायक को आमंत्रित करके उसकी अध्यक्षता में होगा। नम्बर दो, यदि जिला प्लान का है, शासनादेश में है कि मुख्यमंत्री किस स्तर की घोषणा कर सकता है और मंत्री किस स्तर की घोषणा कर सकते हैं। क्या उस शासनादेश में सरकार ने परिवर्तन कर दिया ? नम्बर तीन, सदन के अन्दर घोषणा होनी चाहिए, जब सदन चल रहा होता है, श्रीमन्, आपसे विनम्र निवेदन है जितनी भी घोषणायें सदन से बाहर हुई हैं, उन सबको

निरस्त होना चाहिए और जो ये प्रत्यक्ष रूप में नेता प्रतिपक्ष ने नेता सदन से अनुरोध किया कि ढाई करोड़ एक मद में खर्च, यह पहला अवसर होगा, इसलिए उसको भी निरस्त होना चाहिए। ये फर्जी घोषणायें यह सरकार बन्द कर दे। जो घोषणायें श्रीमन्, आपके निर्देश पर गैरसैंण में हुई वहाँ पर दो साल में एक ईंट या पत्थर नहीं लगा। ऐसी फर्जी घोषणाओं को करना यह सरकार बन्द कर दे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि उसको जनहित में स्थानान्तरित कर दिया। जनहित में यदि कोई चीज स्थानान्तरित की जाती है तो उसकी डी0पी0आर0 बनती है और उसका शासनादेश संशोधित होता है। आपका डी0पी0आर0 नहीं बना और शासनादेश संशोधित नहीं हुआ। उसके लिए कोई बजटरी प्राविजन नहीं किया और जहाँ तक आपने कहा है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित हैं, ये पेज 42 पर लिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए धन अवमुक्त भी कर दिया, इसके शासनादेश भी हो गये हैं। ये आप आज बता रहे हैं, पुरानी किताब खोल लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने एक भी नहीं बनाया। 13वें वित्त आयोग का आपने पैसा ही खर्च नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब कि अभी तक केन्द्र में वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना की स्वीकृति योजना आयोग भारत सरकार से प्राप्त होना लम्बित है। यह तो कपोल कल्पित बजट है। जब तक ऊपर बजट पास नहीं होता है, आप किस मद में कितना देंगे, आपको वहाँ से कितनी धनराशि आ रही है, अभी तो पता ही नहीं है। यह तो आपका अभी पूर्वानुमान है। आपने साफ लिखा है, पृष्ठ संख्या–6 को पढ़ें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह ठीक लिखा है, हमें मालूम है कि ज्यादा पैसा मिलेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो कपोल–कल्पित है। यह तो आया ही नहीं, बजट पास ही नहीं हुआ तो शिलान्यास किस बात का ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो ये शिलान्यास हुए हैं, उससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष यह स्पष्ट करें कि पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल बनना चाहिए या नहीं बना चाहिए। आप घुमा–फिराकर बात क्यों कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए लेकिन पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप तीन–तीन करोड़ रुपये किसी योजना पर खर्च कर दें और लास्ट में यह काम करें, उस समय आपको कहना चाहिए। मेरा इस काम के लिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन उस पैसे को समायोजित कैसे करेंगे ? जो पैसा जमीन में खर्च हो गया है, उस पैसे को कहाँ समायोजित करेंगे ? (कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठे–बैठे अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, वहाँ पर अभी भी डॉक्टर कार्यरत् हैं और वहाँ पर मरीज भर्ती हैं। उस टी0बी0 हॉस्पिटल को तोड़कर वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज को बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें वहाँ के लोगों ने विरोध किया। क्योंकि वहाँ पर वह हॉस्पिटल चल रहा था। (व्यवधान) इसके बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट बतायें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम पिथौरागढ़ के बेस हॉस्पिटल का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने यह कहा है कि जिस किस्म से यह शिलान्यास हुआ है कि उसकी अभी तक तो डी0पी0आर0 भी नहीं बनायी गयी है और वह स्वीकृत हो गया। (घोर व्यवधान) उस धन को आज आप कैसे समायोजित करेंगे ? उसमें 2 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च हो गये। अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको इसके आंकड़े प्रस्तुत कर दूँगा। (व्यवधान) जो स्वीकृत चीज पहले से ही है। जिसमें पैसा लग गया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नारायणराम आर्य–

मान्यवर, दोनों चिकित्सालयों को सम्मिलित करते हुए यानी श्री हर गोविन्द महिला चिकित्सालय और बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय को सम्मिलित करके एक बेस चिकित्सालय बनाने का शासनादेश जारी किया गया।

लेकिन जब हमारी सरकार बदली तो इन्होंने इस काम को परिवर्तित करके शहर से 12 किमी0 दूर बेस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। जिसका वहाँ की जनता ने घोर विरोध किया। (व्यवधान) जो आरोप माननीय नेता प्रतिपक्ष आज हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो आपने वह शासनादेश किस रूप में परिवर्तित किया, इसको बतायें ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, किसी रूप में भी परिवर्तित नहीं किया गया। जब उसका शासनादेश बना था तो आप भी उसी जिले में थे तो आपने उस पर 2 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होने दिया। उसके बाद आज आपने उसको स्थानान्तरित कर दिया तो आपके शासनादेश में कहाँ पर संशोधन है, आपकी डी0पी0आर0 कहाँ है ? आपने कोई चीज बनायी नहीं उसको उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। उसमें वह पैसा लगने दिया और अब अपने को दिखाने के लिए कि हम इसको बना रहे हैं तो आपने इस मद को बदल दिया। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि वह पैसा कैसे समायोजित करेंगे ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, पिछले दिनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरीकला एन जी ए रोड स्वीकृत हुई थी और वहाँ पर मेरे द्वारा शिलान्यास किया गया। बड़े दुःख की बात है कि मेरे शिलान्यास करने के कुछ समय बाद, कांग्रेस का एक पदाधिकारी उसी सड़क का शिलान्यास करता है और मेरे द्वारा जो सरकारी बोर्ड लगाया गया था, तो उसको उखाड़ दिया गया। क्या हमारी यही परम्परा आज बन गई ? यहाँ पर माननीय हरक सिंह जी और माननीय सुरेन्द्र सिंह जी और माननीय नवप्रभात जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, कृपया अपनी बात को संक्षेप में कहें।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहता हूँ, मैं कल की घटना को बता रहा हूँ। (व्यवधान) कल एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और बहुत ऐतिहासिक क्षण था। इस सदन के माध्यम से मैं उत्तराखण्ड की जनता को बधाई भी देता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से एक विधायक को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मान्यवर, केन्द्र के मंत्री हैं, एम्स पर उद्घाटन करने आये थे, उनसे मैंने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने धन्यवाद में अपनी बात रखें और जब मैं धन्यवाद के लिए अपनी बात रखने लगा तो वहाँ पर कांग्रेस जिन्दाबाद के नारे लगाये गये, कांग्रेसी झण्डे लहराये गये, एम्स का कार्यक्रम था, क्या यह परम्परा ठीक है, क्या इसी प्रकार से क्षेत्र में काम होंगे, क्या प्रदेश में यही परम्परा होगी, हमको बोलने नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ था तो पूरे मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के झण्डे लगे हुए थे और उस समय मैं नेता विरोधी दल था और मेडिकल कॉलेज मैंने स्वीकृत करवाया था।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एन0डी0ए0 सरकार की देन थी यह एम्स, घोषित किया था और जब शिलान्यास का टाईम आया था तो श्री सजवाण जी हमारे विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक थे, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, तो यह दरियादिली भारतीय जनता पार्टी दिखाती है और जिस प्रकार से कल वहाँ कार्य कलाप किये गये, कांग्रेसी झण्डे लहराये गये तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा था।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आपका तो धन्यवाद देने का कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, क्या विधायक को कोई प्रोटोकाल नहीं मिलेगा ?

*श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह प्रदेश की जनता का पैसा है, किसी पार्टी का पैसा नहीं है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, कांग्रेस के पदाधिकारी कैसे उस मंच पर बैठे थे, वह सरकारी कार्यक्रम था।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, कल मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था और जो बात यहाँ पर परश्यू की गई है, उससे भिन्न राय मैं रखना चाहता हूँ, जो फैक्चुअल स्थिति थी उसको बयां करना चाहता हूँ। इसमें दो राय नहीं कि जो सम्मानित अग्रवाल जी बोल रहे थे यह उनके क्षेत्र का मामला था और यह बहुत ही गौरवमई क्षण हमारे लिये थे कि जो 6 एम्स स्वीकृत हुए थे, उनमें से पहले संस्थान का शिलान्यास उत्तराखण्ड की धरती ऋषिकेश में हुआ। मैं समझता हूँ कि यह हम

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि और एक सौगात रही, अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि सब लोग दिल्ली पी0जी0आई0 जाते हैं, उससे हमको निजात मिलेगी। जहाँ तक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी का मसला है तो मैं उस पूरे प्रकरण में उनके साथ था और उनको पूरी इज्जत देने का प्रयास किया और उनका मंच पर सम्मानपूर्वक बैठने का स्थान था और वे वहाँ पर थे। वहाँ पर डा0 हरक सिंह रावत जी को बोलना था और श्री गुलाम नबी जी ने कहा कि श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी आप भी बोलेंगे क्योंकि आप संबंधित विभाग के हैं। लेकिन उस समय मौसम खराब हो गया और लग रहा था कि बारिश हो सकती है तो हम लोगों ने पूरे मामले को कटशॉर्ट कर दिया कि न आप बोलेंगे और न हम बोलेंगे और श्री गुलाम नबी जी ने सम्मानित विधायक जी से अनुरोध किया कि आपका क्षेत्र है इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव आपके द्वारा होगा। यह स्पष्ट रूप से वहाँ पर कहा गया, कहने के उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ हुई, (व्यवधान) किसी भी कार्यक्रम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है कि कौन व्यक्ति धन्यवाद कर रहा है। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या झुग्गी–झोपड़ी के लोग, लोग नहीं हैं ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, क्या ऋषिकेश में झुग्गी–झोपड़ी के लोग नहीं थे ? (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आप ले आते, किसने मना किया था। (घोर व्यवधान) आपकी विधान सभा थी, आपकी विधान सभा में कार्यक्रम हो रहा था, आपको लाना चाहिए था। यह तो सरकारी कार्यक्रम था, आपको लोगों को लाना चाहिए था। (घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, क्या ऋषिकेश में झुग्गी–झोपड़ी के लोग नहीं थे ? (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या झुग्गी–झोपड़ी के लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वे एम्स के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में चले जाएं ? (घोर व्यवधान) आप उन लोगों को अपमानित करना चाहते हैं।

*श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने शब्द वापस ले लें, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि "आपको गुण्डागर्दी करने से किसने रोका है" माननीय मंत्री जी अपने शब्द वापस ले लें।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने यह शब्द कहे ही नहीं हैं। मैंने गुण्डा शब्द कहा ही नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने शब्द वापस ले लें। (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने गुण्डा शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। (घोर व्यवधान) मान्यवर, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि माननीय प्रेम जी आपको जनता को लाने से किसने रोका था। (घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गुण्डा शब्द कहा है। सदन को गुमराह किया जा रहा है, आप अपने शब्द वापस ले लें। (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपका विधान सभा क्षेत्र था जो आपको जनता को लाने से किसने रोका था। (घोर व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह रावत–

मान्यवर, एम्स किसने दिया, यह भी सभी जानते हैं। (घोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आवेश में आकर हमें धमका रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं धमका नहीं रहा हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आपने कहा कि बस्ती के लोग थे तो क्या ऋषिकेश में बस्ती के लोग नहीं थे। जो आपने कार्ड दिया उसमें कहा कि सिर्फ एक आदमी आयेगा। तो बस्ती के लोगों को कहाँ से लाते। (घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, आप बैठ जाईये। (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय प्रेम जी, हमने आपको कितना सम्मान दिया। (घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आपको मुझे सम्मान देना ही चाहिए था। मैं कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं था, मैं क्षेत्र का विधायक था। (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं तो प्रेम जी का आभारी हूँ कि जब मैं विलम्ब से पहुँचा और सीट नहीं थी तो प्रेम जी ने मेरे लिए सीट छोड़ी थी। (घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, हम शिष्टाचारी लोग हैं। (घोर व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं तो माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके शिष्टाचार के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लोगों की बहुत चिंता की है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊधमसिंह नगर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रमाण–पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जो कल की घटना चक्र के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि कल जो गौरवमयी क्षण था उसके प्रति यू0पी0ए0 सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय खण्डूड़ी जी और माननीय निशंक जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि यह उनकी मेहनत का परिणाम है। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, स्थानीय विधायक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी को बाकायदा वहाँ पर सम्मान दिया गया और उनको फूलों का गुच्छा उपलब्ध कराया गया, उनको शाल भी अर्पित किया गया।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल—

मान्यवर, उसके लिये आपको धन्यवाद, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप उसे भी बताईये। वहाँ पर कांग्रेस जिन्दाबाद के नारे लगाये गये, क्या यही शिष्टाचार है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

मान्यवर, एक बात इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस ढंग से वह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस ढंग से वह समाप्ति की ओर था, वह बेस्ट कार्यक्रमों से एक बेस्ट कार्यक्रम कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से माहौल आखिरी में, मैं यह नहीं कहना चाहता कि सम्मानित सदस्य ने किया या किसने किया, अगर वह नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि यह सुपर हिट कार्यक्रम था। हम सभी लोगों को गुलाम नबी जी को तहेदिल से धन्यवाद करना चाहिये, हम नेता सदन का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जहाँ तक झंडा लहराने की बात इन्होंने कही, मैं यह कह सकता हूँ कि कुछ लोग बहुत उत्साहित थे, मुश्किल से एक झंडा कुछ निर्बल वर्ग के लोग लेकर आये थे। शायद उनको यह जानकारी नहीं थी कि यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया है, माननीय सदस्य हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आपने जो वहाँ पर एक शब्द कहा, उसे रिपीट करना चाहता हूँ, उससे आपको स्वयं ही पता लग जायेगा कि उसका आशय क्या है। जब वह झंडा लहराया तो शायद आदमी उससे थोड़ा उद्वेलित हो जाता है, उसे मैंने आपके अन्दर महसूस किया, आपने कहा कि मैं भी झंडे ला सकता हूँ, मुझे आधे घंटे का समय दीजिये, मैं भी अपने लोगों को ला सकता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके लोग वहाँ पर नहीं थे, जिसकी पुष्टि आपका वह बयान करता है। इसका अर्थ यह है कि वह सारे के सारे लोग आम जनता थी, हमने कहीं नहीं कहा कि वह कांग्रेस का एक माहौल था। लोग ऐसे कार्यक्रमों में हर जगह उत्साहित हो जाते हैं। मैं यह समझता हूँ कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि वहाँ पर आप अधिक से अधिक लोगों को लाते।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

श्रीमन्, दो महत्वपूर्ण बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर काफी चर्चा हो गई है, अब इस पर चर्चा नहीं होगी। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

श्रीमन्, जब माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी बोल रहे थे कि वहाँ पर दादागिरी हुई, गुंडागर्दी हुई, ठीक उसी के क्रम में हरक सिंह जी ने कहा था कि आपको किसने रोका था। हो सकता है, उसके संदर्भ में न कहा हो, लेकिन कहा था। (व्यवधान) इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन अंशों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यदि ऐसा कोई शब्द है तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि माननीय सुषमा स्वराज जी को इस सदन ने धन्यवाद कहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय निशंक जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

श्रीमन्, तीसरी बात यह है कि .... (व्यवधान)

श्री हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं नेता प्रतिपक्ष था, आप हमारे साथ सदस्य थे, जब मैं बोलता था तो यह लोग मुझे बोलने नहीं देते थे, मैं जोर–जोर से बोलकर अपनी बात उठाता था। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

श्रीमन्, जो टोकन मनी जारी हो गया, उसे दोबारा–तिबारा जारी किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात आ गई है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरक सिंह रावत—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैंने केवल इतना कहा कि वह माननीय प्रेमचन्द अग्रवाल जी की विधान सभा थी। मान्यवर, उनको जनता

को लाना था, अगर उन्होंने मलिन बस्ती के लोगों की टिप्पणी की कि मलिन बस्ती के लोग वहाँ थे, अनुसूचित जाति के लोग वहाँ थे। (घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं फिर विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि एम्स सिर्फ ऋषिकेश के लिए नहीं है, एम्स उत्तराखण्ड के लिए है, यह हिन्दुस्तान के लिए है, बिजनौर, सहारनपुर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय निशंक जी के व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय मंत्री हरक सिंह जी, माननीय मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी जी और तमाम सदस्यों को मैंने सुना। ये पीठ से पूर्व में भी निर्देश सरकार को दिये गये हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किये जायें, माननीय क्षेत्रीय विधायकों को अवश्य सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाय। माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के क्रम में पुनः सरकार को मैं निर्देशित करता हूँ कि इस स्वस्थ परम्परा को बनाये रखा जाय। (मेजों की थपथपाहट)

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा के मजरे 1–डूंगाखेत, 2–पसौली की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लांघा के मजरे 1–डूंगाखेत, 2–पसौली की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में" श्री उमराव सिंह, निवासी–ग्राम डुंगाखेत, ग्राम सभा–लांघा, पो0–लांघा, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम पंचायत पपडियान के मजरे लटीखेत की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत पपडियान के मजरे लटीखेत की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में "श्री टीकम सिंह, निवासी–ग्राम लटीखेत, ग्राम सभा–पपडियान, पो0–कटापत्थर, तहसील–विकासनगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के मजरे डूमेट की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी के मजरे डूमेट की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में "श्री नारायण सिंह, निवासी–ग्राम डूमेट, ग्राम सभा–अम्बाड़ी, पो0–अम्बाड़ी, तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौलीभूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के पुनर्निर्माण के संबंध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौलीभूड़ की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के पुनर्निर्माण के संबंध में "श्री गेन्दन लाल, निवासी–ग्राम लांघा, पो0–लांघा, तहसील–विकासनगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कांडी बिचला ढांगू ब्यासघाट किनसुर मोटर मार्ग स्थान पुलनाबढ से कांडी खण्ड तक का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में याचिका

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम कांडी बिचला ढांगू ब्यासघाट किनसुर मोटर मार्ग स्थान पुलनाबढ से कांडी खण्ड तक का डामरीकरण कराये जाने के संबंध में" श्री शिवदयाल सिंह नेगी, ग्राम कांडी, पो0–कांडी, जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के मष्टखाल नैल, रैंस कोठार मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के मष्टखाल नैल, रैंस कोठार मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में" श्री इन्द्रमणि बिन्जोला,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी–ग्राम नैल, पो0–सिलोगी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य 1–श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्रशेखर तथा श्री अरविन्द पाण्डेय, 2–श्री माल चन्द, 3–श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री महावीर सिंह रांगड़ तथा श्री दिलीप सिंह रावत, 4–श्री महावीर सिंह रांगड़ तथा 5–श्री बिशन सिंह चुफाल की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री माल चन्द, 2–श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री महावीर सिंह रांगड़ तथा श्री दिलीप सिंह रावत, 3–श्री महावीर सिंह रांगड़ तथा 4–श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुईं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारी सूचना को भी ले लीजिए। पाँच ही सूचनायें तो आई हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह नियम–58 के अन्तर्गत बनती नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आज कुल पाँच सूचनायें तो आई हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना पहले भी आ गई है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, पहले कभी नहीं आई।

श्री अध्यक्ष–

पहले घोषणा हो चुकी है, माननीय ठुकराल जी के प्रश्न पर, जो 310 में सूचना लगी थी, उसको मैं नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, टोटल 06 सूचनायें ली जाती हैं, आई भी 06 ही सूचनायें हैं।

श्री अध्यक्ष–

सब सूचनायें ले ली गई हैं, एक इसलिए छोड़ दी गई थी कि वह पहले आ चुकी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सूचना पूरे सदन में नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष–

कल दे दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पहले 310 वाली सूचना को ले लीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरी सूचना को ले लीजिए, उस पर दो मिनट बोलना है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जवाब भी तो चाहिए। जो स्वीकार होती हैं उन्हीं का जवाब आता है।

*माल चन्द–

मान्यवर, जहाँ पूरा प्रदेश लगभग आपदा से जूझ रहा है। उसी संदर्भ में पहाड़ी क्षेत्रों में या पूरे प्रदेश में लोगों की आजीविका काश्तकारी है और काश्तकारी में भी नगदी फसलें धान आदि से हम अपना जीवन पालते हैं। मान्यवर, विधान सभा पुरोला हो या पूरे प्रदेश की बात हो लेकिन आपदा से लघु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई की नहरें विधान सभा क्षेत्र पुरोला में अत्याधिक प्रभावित हुई हैं। महोदय, अब सिंचाई का समय आ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी लोग अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पायेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय सदस्य ठुकराल वाले प्रकरण पर एक दिन पूरा हाउस नहीं चला और आज आपने कृपापूर्वक सुबह कहा था कि इसको हम ले रहे हैं। पूरे विपक्ष ने हाउस चलाने के लिए कहा था कि ठीक है। (व्यवधान) मान्यवर, शुरूआत इससे होनी चाहिए, इस पीठ से निर्देश आने के बाद ही हम कह रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हम पूरे एक दिन हाउस में नहीं थे और रात 2:30 बजे समझौता हुआ। (व्यवधान)

श्री माल चन्द–

मान्यवर, पहले माननीय ठुकराल जी की बात सुन ली जाय। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, जो परम्परा रही है कि जब नियम–310 की सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता के लिए सुनते हैं, निश्चित रूप से जो नियम–58 की सूचना उस दिन आती हैं तो उसके आखिर में सुनते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपकी पीठ से आदेश हुआ कि नियम–310 की सूचना को नियम–58 पर सुनेंगे। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय मंत्री जी निर्देश दे रहे हैं या माननीय अध्यक्ष जी निर्देश दे रहे हैं ? आप लोग निर्देश क्यों दे रहे हैं ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय माल चन्द जी खड़े हो गये हैं, उनको सुनने के बाद इसको ले लेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माल चन्द जी भी अपनी सूचना को पीछे कर रहे हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने पहले बोल दिया है और कार्यवाही में आ चुका है। उसके बाद सुन लेंगे। माल चन्द जी, आप अपनी बात को कहें। (व्यवधान के मध्य)

श्री माल चन्द–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय विधायक की बात है। इसलिए माननीय ठुकराल जी की बात पहले सुन लें। (व्यवधान) (मेज की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, आपने माननीय विधायक श्री राजकुमार ठुकराल जी के मामले पर जो हमने नियम–310 की सूचना दी थी और तीन दिन से हम सूचना दे रहे थे। उस सूचना को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुनने का मौका दिया। मान्यवर, एक ऐसे मामले को हम आपके सामने लाना चाह रहे हैं। जो बिल्कुल झूठ पर आधारित है और इस सदन के एक सदस्य को किस तरीके से बर्बाद करने की साजिश इस सरकार द्वारा की गई है, इससे उत्कृष्ट नमूना और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, 02 अक्टूबर, 2011 को रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) में एक समुदाय एवं पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ। उससे राजकुमार ठुकराल का कोई सम्बन्ध नहीं है। पुलिस का संघर्ष होता है कुछ लोगों से, आम जनता का भी नहीं और इतना भयंकर संघर्ष होता है कि पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों को पीटा गया और वहाँ के जो एस0डी0एम0 थे उनको बहुत ज्यादा पीटा गया। यदि लोग उनको नहीं छुड़ाते तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी और लोगों ने उनको बचाया और एफ0आई0आर0 दर्ज करने कौन लोग गये जो ऊधमसिंह नगर के एस0ओ0 हैं। उनके द्वारा एफ0आई0आर0 लिखाई गई और जिसका अपराध संख्या 471/2011 है। मान्यवर, सरकार कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाती है और एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूने को बताना चाहता हूँ। इस एफ0आई0आर0 में मृतक जकी अहमद पुत्र मन्नु खाँ की मृत्यु एक व्यक्ति इरशाद अहमद के द्वारा चलाई गई गोली से होना बताया गया है। यह इतना गम्भीर मामला है कि सात माह बाद 156/3 सी0आर0पी0सी0 में एक व्यक्ति एफ0आई0आर0 करने जाता है। जिसका नाम सुहेल अहमद है और पहले मजिस्ट्रेट उसकी अर्जी को रद्द कर देते हैं। मान्यवर, इससे जस्टिस नहीं मिल सकता है और यह ऑफ्टर थॉट है, इसलिए 07 महीने के बाद खारिज हो गई, नीचे की अदालत ने खारिज कर दिया। उसकी अपील को फिर से किया श्री सुहेल अहमद ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ और वहाँ से 156–3 के द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज हुई। फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी घटना की फर्स्ट इन्फारमेशन है और वह 07 महीने पहले हो गई थी, लेकिन दूसरी सप्लीमेन्ट्री एफ0आई0आर0 हम कह सकते हैं। कानून की भाषा में एफ0आई0आर0 नहीं कह सकते हैं, वह दर्ज की गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आदेश आया कि दर्ज कर लो। उसमें सिर्फ इतना लिखा जाता है कि इन्वेस्टिगेट

करिये और फिर इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से एक विधायक और उसके परिवार को बर्बाद करने की साजिश इस सरकार ने बनाई उसका मैं यह उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि 7 महीने के बाद जो पुलिस के एस0ओ0 पहले एफ0आई0आर0 में कह रहे थे कि श्री जकी अहमद की मृत्यु श्री इरशाद अहमद की गोली से हुई है, वही 7 महीने के बाद श्री सुहेल अहमद दूसरी एफ0आई0आर0 करते हैं और उसमें कहते हैं कि यह जो मृत्यु हुई है वह श्री राजकुमार द्वारा हत्या की गई है। यह 07 महीने के बाद कह रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल झूठ फरेब पर आधारित और ऐसी एफ0आई0आर0 आज तक हमने नहीं देखी। इतना ही नहीं इसका इंवेस्टिगेशन हुआ, सी0बी0सी0आई0डी0 चली, सारी बातें हुई, पूरी तरह से दबाव दिया गया और श्री राजकुमार की कुर्की निकाल दी गई और मामलों में इस प्रदेश में भूमियाँ बिकती रही हैं, जमीनें बिकती रही पर उसमें कोई तेजी नहीं आई, यहाँ पर 50 किस्म के अपराध हैं, 10 अपराध तो सिर्फ देहरादून के हैं, जिसमें से अभी तक खुले नहीं। मर्डर केस हैं उसमें तेजी नहीं आई है, बलात्कार की घटना जो हरिद्वार में हुई, जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया उन अपराधियों का आज तक पता नहीं लगा। माननीय विधायक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी के घर में चोरी हो गई उसका अभी तक पता नहीं लगा। माननीय सदस्य श्री फुरकान अहमद के घर में दिन दहाड़े उनकी पत्नी के सामने चोरी हो गई, उनको किस तरह से रिवाल्वर की नोक पर डराया-धमकाया गया, उसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन एक विधायक जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जिनकी बात को सत्य जाना जाता है, संज्ञान लिया जाता है, जिनके बारे में सारे सदस्य जानते हैं कि अगर कोई विधायक कोई बात कहता है तो सत्य होना प्रमाणित किया जाता है सदन में, यह नियमावली में भी लिखा है कि यह एज्यूम किया जायेगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। श्री राजकुमार ठुकराल यहाँ पर चिल्लाये कि मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षडयंत्र हो गया है, मैं स्पॉट पर भी नहीं था तब भी मुझे 07 महीने के बाद फंसा दिया गया है, मुझे बचायें, यह यहाँ पर कहा है। वहीं पर सरकार द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि आपको फंसाया नहीं जायेगा, आपका मुकदमा वापस ले लिया जायेगा, लेकिन मुकदमा तो वापस नहीं हुआ और उनके जेल जाने का बंदोबस्त कर दिया गया, चार्जशीट प्रेषित कर दी गई। हमने पूर्व के माननीय नेता सदन के सामने इस बात को रखा, उन्होंने बहुत जगह कहा कि मैं इसको ठीक-ठाक कर दूँगा, दीपावली हो जाने दीजिए बाद में देख लेंगे, लेकिन मामला ठीक नहीं हुआ उल्टा चार्जशीट न्यायालय में चली गई। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि अभी फिर एक सिलसिला शुरू होता है और श्री राजकुमार के भाईयों, बहू और उनके परिवार के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 हो जाती है और कुर्की को टी0वी0 में खूब बढ़चढ़ कर दिखाया गया। दो पुलिस के जवान एक विधायक के घर की कुर्सी को ले जा रहे हैं, उनके सोफे को ले जा रहे हैं, उनके घर में बिस्तर तक नहीं रखा और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह रावत जी जब उनके घर गये तो उनकी माता जी ने बताया कि यह खाट हम दूसरी जगह से लायें हैं, तब हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो कितना अमानवीय व्यवहार उस व्यक्ति से किया गया जो

विधायक है, वह न्याय के लिए दर–दर ठोकर खा रहा है और उसकी कुर्की को प्रचारित किया जा रहा है, वह माननीय न्यायालय में जा रहे हैं कि देखो जब एक विधायक को ऐसे फंसाया जा सकता है तो इस प्रदेश में एक आम आदमी को कैसे फंसाया जाता होगा, वह दिखाने के लिए जगह–जगह जा रहा है और इतना ही नहीं मान्यवर, जैसे कोई हैबीच्युअल आफेन्डर होगा, इस तरह से ₹ 2500 का ईनाम रख दिया गया कि जो राजकुमार ठुकराल का पता बतायेगा, उनको जानता होगा, जो उनको पकड़वायेगा, उसको ढाई हजार रु० ईनाम दिया जायेगा। माननीय विधायक जी की बे–इज्जती करने की यह पराकाष्ठा है, इस सदन के सदस्य की इस तरह से बे–इज्जती होगी और झूठा केस होगा। जो व्यक्ति मरा है, उस पर दो–दो एफ०आईआर० दर्ज होंगी और जो व्यक्ति मरा है, उसे मारने वाला पहले कोई दूसरा व्यक्ति होगा और सात महीने बाद उस व्यक्ति को मारने वाला विधायक राजकुमार ठुकराल होंगे तो इससे ज्यादा झूठ, इससे ज्यादा फरेब और इससे ज्यादा एक विधायक को फंसाने का षडयंत्र और कोई नहीं हो सकता है। मान्यवर, इसलिए आज सारे नियमों को स्थगित करते हुए, यह जो कृत्य इस सरकार ने किया है, जिस तरह का व्यवहार हमारे एक विधायक के साथ किया है, उसकी पोल खुल जायेगी, इसलिए हम सब चाहते हैं कि सारे नियमों को स्थगित करते हुए, इस चर्चा की मांग करते हैं। इस झूठे केस में आपकी तरफ से कोई न कोई निर्देश इस सरकार को जाना चाहिए, जो बहरी हो गई है, जो सुन नहीं रही है और जो किसी के आत्म सम्मान को बिल्कुल खत्म करने पर तुली हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तार–तार करना चाहती है, बे–इज्जत करना चाहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें आपकी तरफ से कोई आदेश आये, इसमें हम आपकी तरफ से कोई व्यवस्था चाहते हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम–58 के तहत इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ठुकराल जी का यह प्रकरण पिछले दो वर्ष से लगभग तीन बार सदन में उठ चुका है। आपकी कृपा रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जितना समय आप निर्धारित करेंगे, उतना ही बोलूंगा। इस सदन के अन्दर जब ग्राह्यता पर बोला जाता है तो सरकार की तरफ से उसका उत्तर आता है और पिछली बार सदन में जब यह विषय आया तो बाद में संसदीय कार्य मंत्री जी, जो यहाँ पर विद्यमान हैं, सरकार की तरफ से उनका उत्तर आया, जिसकी एक प्रति हमने अध्यक्ष जी, आप को भी दी है। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार पर आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। माननीय

संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि माननीय ठुकराल जी, प्रेमचन्द अग्रवाल जी और शुक्ला जी, इन तीनों के मुकदमें भी वापस लिये जायेंगे और इनको सुरक्षा भी दी जायेगी। मान्यवर, यह विशेषाधिकार हनन का मामला भी बनता है, चूंकि एक बार सरकार का उत्तर आने के बाद उस पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई। यह इतना गम्भीर विषय है कि जब पार्टी की ओर से मुझे कहा गया कि आप उनके परिवार से मिलिये तो मैं उनके परिवार से मिला। मैं उनकी माँ से मिला तो उनकी माँ ने रोते हुए कहा कि यदि मेरे बेटे ने पाप किया है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ न तो सरकार खड़ी है और कहीं न कहीं उनको यह भी लगता है कि आज पार्टी के लोगों को जिस रूप में माननीय विधायक की रक्षा करनी चाहिए थी, उस रूप में वे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठुकराल जी की माँ रोते हुए बोल रही थीं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरी बात को सुन लीजिए, यह हंसी-मजाक का विषय नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है। मान्यवर, एक माननीय सदस्य उसी जिले के थे, जब उनका प्रकरण आया था तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उधर बैठे हुए सरकार की तरफ से जवाब आया था तो सायं 05 बजे तक निर्णय का इम्प्लीमेंट होगा, वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, मुकदमा वापस ले लिया गया है, कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जो सत्तापक्ष में बैठे हैं तत्समय विपक्ष में बैठे थे और सत्तापक्ष की तरफ से ऐसा जवाब आया था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौशिक जी, मेरा अनुरोध है कि जो बातें सदन में पहले उठ चुकी हैं, जिन पर पहले बात हो चुकी है, उन बातों को दोहराने का कष्ट ना करें।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, बिल्कुल नहीं दोहरायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस मुद्दे पर पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है, आप अपनी बात को संक्षेप में कहिये।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, जो सरकार का जवाब आया था, वह तो यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। सरकार के जवाब का आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी उपस्थिति में सरकार जवाब देती है, आप हमारे संरक्षक के तौर पर उसको देखते भी हैं, जब पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि कल तक आपको इसका उत्तर मिल जायेगा। मान्यवर, और वह भी

उत्तर नहीं आया, दो बार सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब आया कि हम मुकदमा वापस लेंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर आने के बाद कि हम आपको विकल्प देंगे, अच्छी सुबह होगी, इस पर समाधान निकलेगा। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मुकदमा वापस लेंगे, मेरे पास प्रोसीडिंग है, आप भी देख लीजिये। अगर संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मंत्रीगण कहते हैं कि नहीं हुआ तो आप जो मर्जी इस पर निर्णय ले लीजिये, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपने कहा होगा तो आपको यहीं इस हाउस में उसे वापस लेना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं कहा है तो इसे मान लीजिये। कौन सी परिस्थिति थी, यही परिस्थिति थी, सी0बी0सी0आई0डी0 की जाँच की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार एक जवाब देती है और उसको कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट होना चाहिये। माननीय अजय भट्ट जी ने जो विषय सदन के समक्ष रखा है, मैं उस पर जोर देते हुए मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाय। (व्यवधान) मान्यवर, आपने कहा था कि मुझे मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है, मुकदमा वापस होगा। इसलिये मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन पर आश्वासन दिया था, उस दिन सी0बी0सी0आई0डी0 जाँच चल रही थी और उस पर चार्जशीट फाइल हो चुकी थी। उस परिस्थिति में उनके द्वारा यह कहा गया था, अगर इस समय आप कहती हैं कि पहले की बात है तो आप इसी का परीक्षण करा लीजिये कि जिस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उस दिन चार्जशीट फाइल थी या नहीं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, दिनांक 05.06.2012 की कार्यवाही के अन्त के अंश मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि "मान्यवर, पहले सरकार मुकदाम वापस लेने की घोषणा कर दे। सरकार ने बड़े–बड़े मुकदमें वापस लिये हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, यह सरकार का अधिकार है, यह मुकदमा भी फर्जी है।" संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि "देखिये आप लोग परेशान मत होइये, तीन विधायक अपनी बात को कह रहे हैं, इसको वापस कराने की कार्यवाही करा दी जायेगी।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसे कई बार पढ़ा जा चुका है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब इन लोगों ने कहा कि यह बात नहीं आई है, तो मैंने इसे पढ़ा है, ताकि एक–एक बात आ जाये। यह भी कहा है कि हम जानते हैं कि यह गलत है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक परम्परा बहुत गलत पड़ रही है, चाहे वह इधर से पड़े या उधर से पड़े, जब हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य अपनी बात को कहते हैं तो ट्रेजरी बेंच से सारे लोग ऐसे आते हैं, जैसे कि चिपट रहे होंगे। बात को आ जाने दीजिये, संसदीय परम्पराओं के आधार पर बात होनी चाहिये। इधर से भी चुप रहें, उधर से भी चुप रहें, यह परम्परा जरा बनानी पड़ेगी।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह परम्परा तो इन लोगों ने डाली है, जब मैं नेता प्रतिपक्ष था, तो ये लोग मुझे बोलने ही नहीं देते थे, मदन कौशिक तो कभी नहीं बोलने देते थे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इतना गम्भीर मसला चल रहा है, इसे इस प्रकार से हवा में लेना उचित नहीं है। जिस गम्भीर मसले के ऊपर तीन दिन यहाँ हाउस नहीं चला, एक दिन तो पूरा ड्राप रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कल की सुबह बहुत हसीन होगी, यह छोटी सी बात है, इसे तुरन्त कर देंगे। हम सदन को गुमराह करने वाला प्रस्ताव अभी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ साल्यूशन निकल सकता है। सरकार ने यह बात की है तो हम अभी भी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम निराशावादी नहीं हैं, हम आशावादी हैं। मान्यवर, और मैं समझता हूँ कि आप भी इसमें कुछ न कुछ सोच रहे होंगे कि कोई चीज सदन में आ गई है। जब इतने गम्भीर मसले में आप बोल रहे हैं तो उनकी बात आ जाने दीजिए, उत्तर देना होगा, आप ही दे देना।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं सरकार का जवाब जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि "नियम–310 की सूचना को नियम–58 में माननीय स्पीकर साहब ने स्वीकार किया। मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। क्षेत्र में रहने के नाते मैं बहुत सारी बातें जानती हूँ। उस समय के घटनाक्रम की जानकारी सबको है। एक बात का आश्वासन मैं सदन में देना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसका इतिहास रहा है बदले की भावना से काम कभी नहीं किया है। मैंने आपका पूरा नोटिस पढ़ा है बदले की भावना से किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी, किसी को दण्डित नहीं

किया जायेगा, यह मैं सदन को भरोसा दिलाती हूँ।' ये पूरी बहस है। (व्यवधान) जब संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया तो लास्ट में यह आया कि (घोर व्यवधान) हम इसको वापस करने की कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरी सद्भावना को अन्यथा क्यों ले रहे हैं। बार–बार इसी को पढ़ रहे हैं। जो मैंने कहा मैं उससे मुकर कहाँ रही हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। कम से कम आपकी भावना तो है। इसीलिए कल शिलान्यास के समय आप हरिद्वार में नहीं गयीं। फर्जी थे, आप जानती थीं, आप अच्छा काम करती तो हैं, आपकी भावना अच्छी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर आप चर्चा स्वीकार करके कोई दिशा–निर्देश आप ही सरकार को देंगे, यह निवेदन करना चाहता हूँ।

*श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मदन कौशिक जी ने जो अपने विचार रखे, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मैं विस्तार में न जाते हुए मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जो आश्वासन सदन में दिया गया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, माननीय नेता सदन द्वारा, उसका पूरा पालन होना चाहिए। इसके साथ–साथ यह भी बहुत उल्लेखनीय है कि जिस केस की विवेचना हो गई और 39 लोगों को सजा हो गई 3–3 महीने जेल में रहकर आ गये और उसकी दुबारा विवेचना की जाय और फर्जी तरीके से एक आदेश पारित किया जाय तो निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये न कांग्रेस का सवाल है, न भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, यह सवाल है एक निर्दोष व्यक्ति को जो फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं भी पड़ोस के जनपद में रहती हूँ और जिले में जो कुछ हो रहा है और जैसे हो रहा है, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो निश्चित रूप से उनका संकेत यही था कि जो कुछ हुआ है, वह गलत हुआ है और जिस प्रकार से पुलिस कार्यवाही कर रही है, सरकार कार्यवाही कर रही है, वह ठीक नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से जो तथ्य सदन के सामने आ चुके हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पर विस्तृत चर्चा करायी जाय और आपकी पीठ से कोई ऐसा निर्देश आये जिससे सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले कि एक निर्दोष विधायक को ऐसी प्रताड़ना न भुगतनी पड़े, जो वह भुगत रहा है। धन्यवाद।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, यह प्रकरण इस पूरे सदन से जुड़ा है, विधान सभा के सदस्यों से जुड़ा है, संसदीय कार्य मंत्री जी से जुड़ा है और अब तो नेता सदन के मामले से जुड़ा है और श्रीमन्, सर्वोच्च पीठ वो आपसे भी जुड़ गया है। विषय है एक सदस्य के खिलाफ बहुत बड़े षडयंत्र का, विषय है उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी के आश्वासन का, विषय है श्रीमन्, आपके संरक्षण में वो सब बातों के आने का जिसमें लगभग–लगभग यह तय हुआ और नेता सदन ने यह कह दिया कि मान्यवर, कल की सुबह बहुत अच्छी होगी। मैं अभी देख रहा था उसमें बहुत विस्तारपूर्वक नहीं जाना चाहता। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने जितनी बार कहा और जो–जो कहा यह तो एक–एक शब्द इस विधान सभा के इतिहास मे अंकित है, उस पर बहुत बड़ी मैरिट और चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है। हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने अच्छी भावना से कहा। भले ही आज कुछ लोग इधर बैठे हों और कुछ लोग उधर बैठे हों, लेकिन किसी भी सदस्य के साथ इस तरह की अवमानना होती है तो षडयंत्र का शिकार यह सदन होता है। षडयंत्रों का शिकार होने के बावजूद भी उस पर यह सदन अच्छी ताकत के साथ निर्णय नहीं लेता है तो भविष्य के लिए यह लोकतंत्र की हत्या होगी और संविधान की हत्या होगी। श्रीमन्, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, यह घटना दो लोगों के बीच का घटनाक्रम नहीं है या राजकुमार ठुकराल का किसी के साथ झगड़ा हुआ हो या एक समुदाय का किसी से झगड़ा हुआ हो। एक अपराधी को पुलिस पकड़ती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है, उस अपराधी को छुड़ाने के लिए थाने में एक बहुत बड़ा दल जाता है। पुलिस के साथ संघर्ष होता है। पुलिस के लोग घायल होते हैं, सिर फूटता है, किसी की टाँग टूटती है और किसी का हाथ टूटता है। उसके बाद वहाँ का कोतवाल स्वयं रिपोर्ट दर्ज करता है कि अमुक आदमी इरशाद नामक व्यक्ति की गोली से अहमद मरा है, प्रत्यक्षदर्शियों में बी0जे0पी0 और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों में वहाँ का क्षेत्राधिकारी सी0ओ0 है और प्रत्यक्षदर्शियों में अपर पुलिस अधीक्षक है। उसके बाद पूरी जाँच होती है, जाँच में तय होता है और 39 लोग उसके लिए दोषी पाये जाते हैं और उसके बाद उन 39 लोगों को जेल हो जाती है। वह तीन महीने जेल काटकर आते हैं। एक जगह जहाँ प्राथमिकी दर्ज होती है संख्या–471/2011 उसके बाद श्रीमन्, दूसरे वर्ष 2012 में सात महीने के बाद होती है, यह भी देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, न्यायिक क्षेत्र में हमने कभी नहीं सुना कि एक विषय पर दो–दो रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट दर्ज होती है 192/2012 उसमें अचानक किसी को सपना होता है कि राजकुमार की गोली से अमुक आदमी अहमद मरा है। श्रीमन्, सवाल उठता है सात महीने बाद दूसरी रिपोर्ट का, यदि यह भी था तो जाँच करते। अब दो तीन सवाल होते हैं, विशेषाधिकार हनन का तो यह प्रस्ताव बनता ही है क्योंकि यहाँ आश्वासन आया है, इन्दिरा जी के बारे में तो, उन्होंने ठीक किया आखिर किसी सदस्य के बारे में इस तरह से होगा, संसदीय कार्य मंत्री भी हमारा अभिन्न अंग हैं, आप के बाद कहीं न कहीं नेता सदन से नहीं,

परन्तु संसदीय कार्य मंत्री से उम्मीदें जगती हैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री संसदीय परम्पराओं की रक्षा करती हैं। आपने आश्वस्त किया कि जो भी हुआ वह गलत है और इसको वापस ले लिया जायेगा। दूसरा यह कि नेता सदन जी ने यहीं पर कहा और बहुत साफ-साफ तरीके से कहा कि मुझे मालूम है और इस पर कार्यवाही होगी, आपको मैं उम्मीद दिलवा रहा हूँ कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यवाही होगी। श्रीमन्, एक-एक शब्द, आपका आदेश होगा तो नेता सदन श्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री का मैं एक-एक शब्द, पढ़ दूँगा। यह इस सदन का अपमान है, उन्होंने कहा कि मुझे आप शाम तक का समय दे दीजिए। हमने सब सदस्यों से अनुरोध किया, हाथ जोड़े और मुख्यमंत्री जी का पहला दिन था, हमने भी चाहा कि उनका पहला दिन है, उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूँ, अब यह मेरे संज्ञान में आया है। हमने उस दिन भी कहा था कि आप सांसद होते हुए भी आपके नेतृत्व में एक दल गया था और उनको इसकी सारी जानकारी थी फिर भी हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी सदन में पहली बार आये हैं, उनको इतना अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि मुझे कम से कम एक दिन तो दे दीजिए और कहा कि शाम तक हो जायेगा, हो जायेगा नहीं बल्कि आपकी आशाओं के अनुरूप होगा। जो रात जायेगी, सुबह बहुत अच्छी होगी। आखिर सदन का भी तो कुछ अर्थ होता है। मान्यवर, इस सदन में पूरे प्रदेश के एक मिनट में लाखों-करोड़ों रुपये लगते हैं। आप तो इस प्रदेश के न्याय की सबसे ऊँची कुर्सी पर बैठे हैं। इसमें तीन-चार चीजें सामने आई हैं। मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो विश्वासघात किया है और विशेषाधिकार हनन हुआ है, एक सदस्य दर-दर भटक रहा है और यह सरकार अपराध संख्या 192/2 वर्ष 2012 को मानती है या अपराध संख्या 471/2011 को मानती है। क्या इस सरकार ने, यदि वो गलत था तो क्या उस क्षेत्राधिकारी को बर्खास्त किया कि नहीं ? या आपने पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त किया कि नहीं ? या उस कोतवाल को बर्खास्त किया कि नहीं। वहाँ पर 39 लोग तीन महीने जेल के अन्दर गुजार कर आये हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? यह कोई छोटा षड्यंत्र नहीं है, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो न्याय के मन्दिर का एक सदस्य है, यदि वह सुरक्षित नहीं है और षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, यह सम्भव नहीं हो सकता है, मैं तो विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी सदस्य के साथ इस तरीके से अपमानित व्यवहार किसी भी कीमत में नहीं होने देना चाहता हूँ। मान्यवर, उसकी कुर्की हो जाय और पहले तो गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज हो जाय और दो-दो रिपोर्ट, जो संवैधानिक नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय निशंक जी, अपनी बात को संक्षेप में कहें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

मान्यवर, मैं अपनी बात को संक्षेप में कह रहा हूँ, विकास की चर्चा उसके बाद हो जायेगी। इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है ? इस सदन का एक

सदस्य दर-दर भटक रहा हो और उसकी माँ और बहिनें चौराहे पर खड़ी हों और वह कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर जाये और उस सदस्य की कुर्की हो जाती हो और कुर्की ही न हो बल्कि ऐसे अपराधियों की तरह अखबारों में निकाल दिया जाता है कि किसी को पता हो तो 2500 हजार रुपये का इनाम दिया जाता हो। मान्यवर, राजनैतिक क्षेत्र का यह दल या वह दल का विषय नहीं है और यह केवल सरकार का विषय भी नहीं है। किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है और आपके संज्ञान में यह सारी बातें हैं। उस दिन श्री अरविन्द पाण्डे यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे थे और हम लोगों को भी खराब लगा और वह अचानक बैठ गये और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की थी। हम तो आपके प्रति बहुत आभारी हैं आप रात 12:00 बजे यहाँ पर आये और आपने हर चीज को महसूस किया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार इस फर्जी मुकदमे को वापस ले। दूसरा यह है कि इतना बड़ा षडयंत्र जो लोग कर सकते हैं, वह इस राज्य पर कलंक हैं। इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जाँच होनी चाहिए और इन षड्यंत्रकारियों को जेलों के अन्दर होना चाहिए। इसलिए फिर-फिर मेरा आपसे निवेदन है कि इस सदन की गरिमा जरूर रहनी चाहिए और सरकार के वचनों की रक्षा सरकार को जरूर करनी चाहिए। इसमें चर्चा का विषय नहीं है और इसमें अभी इन्दिरा जी जरूर बोलेंगी कि यह शब्द नहीं बोले और वह शब्द नहीं बोले। मान्यवर, इस विषय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है या संसदीय कार्य मंत्री जी ने बोला है। यदि उसका निचोड़ निकाला जाय तो वह गलत नहीं है। इस सदन की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी भी है। इसलिए मेरे ये दो निवेदन तत्काल प्रभाव से, एक तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय और वह मुकदमा वापस लें और जो दूसरा मुकदमा सात माह के बाद किया गया है, उसको भी वापस लिया जाय और उन षडयंत्रकारियों की सी0बी0आई0 से जाँच कराई जाय और ऐसे षडयंत्रकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के आप निर्देश देंगे और हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, यह मेरे जनपद का मामला है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

इसमें पूरी बात आ चुकी है और इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसमें अपना जवाब दे दें और माननीय भगत जी की कोई बात इसमें नोट न की जाय। माननीय भगत जी, आप बैठ जायं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह प्रकरण लम्बे समय से चल रहा है, जिसमें माननीय सदस्य और आप एक दिन कई घण्टे तक धरने पर बैठे और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ गये और मुझे भी बुलाया तो मैं भी वहाँ पर थी। वहाँ पर इसका रास्ता निकालने पर बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानूनी दृष्टि से आप भी हमारी मदद करिये कि इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया है और चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में जाने का काम भी एक व्यक्ति ने किया है, जो उसके परिवार से संबंधित था और उसकी तारीख भी आज–कल में लगी हुई है। यह प्रकरण बहुत लम्बे समय से चल रहा था और उसकी इतनी गम्भीरता हो जायेगी और एक विधायक के सम्मान का प्रश्न है और हम निर्वाचित सदस्य का सम्मान करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा कही गई बात का संज्ञान भी उसी रूप में लिया जाता है। यहाँ सभी निर्वाचित विधायक चाहे सरकार में हों या सरकार से बाहर हों, वो इसे गम्भीरता से ले रहे हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई घण्टे अपने कक्ष में बात–चीत की, उसमें मैं भी थी और नेता प्रतिपक्ष और सीनियर साथी भी उसमें मौजूद रहे, उसके बाद आपके धरने में वे स्वयं उपस्थित हुए। यह सही है कि उन्होंने कहा कि मुझे शाम तक का समय दीजिए, मुझे कोई रास्ता ढूँढने दीजिए, उसके बाद उन्होंने डी0जी0पी0, लॉ के सेक्रेटरी, लॉ से जुड़े हुए लोग, गृह सचिव को बुलाया और पूछा कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इस पर विचार हुआ कि हमारे द्वारा इसमें कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है। वहाँ पर जो–जो राय आई हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी, फिर एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई जिसे माननीय नेता प्रतिपक्ष और साथियों को बताया गया। अन्ततः आपने फिर नाराजगी से धरना दिया तो वे फिर वहाँ पर पहुँचे और आपसे निवेदन किया कि यदि आपका कोई लॉ एक्सपर्ट हमें कोई ऐसी राय देता है जिसमें हमारे भी बच निकलने का रास्ता हो और समाधान भी हो जाये, यह भी प्रश्न वहाँ पर हुआ। आज की परिस्थिति यह है कि चूँकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, चार्जशीट भी दाखिल हो गई है और डेट भी लगी है। तो इस प्रकरण पर आपके सामने भी 3–4 घण्टे बात–चीत की गई, तो सब बात–चीत के संदर्भों में इस पर आपके द्वारा कोई निर्देश हो जाये, जिससे कोई रास्ता निकल जाए तो यह सरकार के लिए भी सुविधाजनक होगा और प्रतिपक्ष के लिए भी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक बात संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि न्यायालय में चार्जशीट हो गई है,

तो अभी-अभी मुझे जानकारी मिली है कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य के खिलाफ फर्जी डिग्रियाँ लेने के लिए रुड़की के माननीय सदस्य पर मुकदमा हुआ था और वह मुकदमा भी कुछ दिन पहले वापस कर लिया गया है, जिसकी चार्जशीट हो गई थी, तो जब उस मामले को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है तो वो मामला और ये मामले में कोई अन्तर नहीं है कि एक माननीय विधायक का मामला वापस ले लिया जाये और जिस मामले में लिखित प्रमाण होते हैं, मैं प्रकरण लाकर दे दूँगा, अभी तो सदन चल रहा है। जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने फैक्स पर देने को कहा है अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। उसे भी दे दूँगा, तो यदि यहाँ एक माननीय सदस्य का केस वापस हो सकता है, फर्जी डिग्री प्राप्त करने के लिए तो यह केस ही पूरा फर्जी है। उसमें पूरे डक्यूमेण्ट लगे हैं। मान्यवर, इसमें तो एवीडेंस की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसमें तो लिखित में जो एवीडेंस होता है और हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की मार्कशीट, लॉ की मार्कशीट और सारी चीजें आयेंगी तो वह और भी खतरनाक केस है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यह मामला पूरी तरह से वापस होने लायक है, इसलिए यह मुकदमा वापस होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा नियम-310 की सूचना, जो माननीय सदस्य श्री राजकुमार ठुकराल, विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम-310 के अन्तर्गत सूचना दी गई है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा श्री ठुकराल के विरुद्ध की गई कार्यवाही को पूर्णतया एक षडयंत्र के रूप में इंगित किया गया। इन सदस्यों का यह भी कथन था कि किसी भी सदस्य को अकारण किसी अपराध में सरकार द्वारा संलिप्त किया जाना, ऐसे सदस्य एवं समस्त सदन की समवेत अवमानना है। नेता सदन द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को इस सदन में माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया गया था कि सरकार की ओर से कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं हुई है तथा यह प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन संसदीय प्रणाली में प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। तथापि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा श्री ठुकराल के विरुद्ध सरकार की कथित संलिप्तता तथा भूमिका के आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ कि वह इस प्रकरण में एक उच्चस्तरीय जाँच तत्काल प्रारम्भ करें एवं एक माह में जाँच कर यह सुनिश्चित करें कि श्री ठुकराल के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रतिशोधात्मक, उत्पीड़नात्मक अथवा अनापेक्षित रूप से प्रारम्भ तो नहीं की गई है।

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:30 बजे तक के लिए।

सदन की कार्यवाही 03:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई

श्री मालचन्द–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। महोदय, उत्तरांचल में जो दैवीय आपदा आई है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश जनपद में इसका प्रभाव पड़ा है। विधान सभा पुरोला में हमारी मुख्य आजीविका खेती है और खेती के लिये सिंचाई का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में लघु सिंचाई को जो मद मिलती है, भारत निर्माण के तहत, जो नहरों का निवनिर्माण, जीर्णोद्धार या मरम्मत की जाती थी, वह पूर्व की भांति नहीं की जा रही है। मान्यवर, छोटी नहरें दैवीय आपदा से कहीं न कहीं प्रभावित हुई हैं और अब बड़ी नहरों का बनना असम्भव भी है। क्योंकि दैवीय आपदा में नहरों के हैड बह गये हैं और रोपाई का समय आने वाला है, इसलिये मैं समझता हूँ अब बड़ी नहरों का निर्माण हो पाना असम्भव है। मान्यवर, काश्तकार दो–तीन नहरों से ही मुख्यतः सिंचाई करते हैं, जिनका लाभ प्रत्येक काश्तकार को मिलता है। आज लघु सिंचाई में भारत निर्माण के तहत जो पूर्व में कलस्टर बनाये जाते थे और उसे चयन करने के लिये मात्र उस नहर का नक्शा और खसरा नम्बर देखकर स्वीकृति की जाती थी। लेकिन आज इसमें टेण्डर प्रक्रिया कर दी गई है और एक ही गाँव में 20–20 लाख, 50–50 लाख के टेण्डर दे दिये गये हैं, जिससे काश्तकार को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। चूंकि जो स्वीकृति की प्रक्रिया थी, जो आवश्यक नहरें थी, उनका नक्शा देखकर, उसका खसरा नम्बर देखकर, उसकी स्वीकृति हो जाती थी। आज मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह किसके द्वारा किया जा रहा है, नक्शे–खसरे सब गायब हो गये हैं और अपने–अपने चहेतों को जहाँ–जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ पर 20–20 लाख, 50–50 लाख के टेण्डर दे दिये गये हैं, जो कि कतई भी काश्तकार के हित में नहीं है और मैं समझता हूँ कि इससे सिंचाई भी नहीं हो पायेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि यह तो समझ में आता है कि सड़क का टेण्डर हो गया, पाइप लाइन का टेण्डर हो गया, बड़ी नहरों का टेण्डर हो गया, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि छोटी नहरों के टेण्डर क्यों किए जा रहे हैं। ए, बी, सी और डी ग्रेड में इसके टेण्डरों का चयन किया जा रहा है और इसके बॉण्ड की प्रक्रिया जारी है, जो बिल्कुल भी काश्तकार के हित में नहीं है। इससे पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, सारे पुराने नक्शे गायब कर दिये गये हैं और एक ही कलस्टर 50–50 लाख रुपये के बनाये गये हैं। मेरी मांग है कि छोटी–छोटी नहरों का निर्माण कराया जाय, अगर यही स्थिति रही तो इस समय धान की रोपाई नहीं हो पायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि टेण्डर प्रक्रिया के बजाय स्थानीय काश्तकारों से काम कराया जाय और जो टेण्डर हो गये हैं, उनको तुरन्त निरस्त किया जाय। भारत निर्माण में जो मद आ रही है, यह उसकी बंदरबांट की जा रही है। मान्यवर, जब मैं

2002–2003 में इसी सदन का विधायक था, तो मेरे द्वारा उस समय भी इसका विरोध किया गया था, कई लोग सस्पेंड हुए थे, जलेबी की तरह नहरें बनाई जाती हैं, जिनका कोई भी उपयोग नहीं है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह टेण्डर प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिये, ताकि काश्तकारों को इसका लाभ मिले और खेतों की सिंचाई हो, छोटी नहरों का निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो। लोग काश्तकारी से अपना भरपेट भोजन प्राप्त कर सकें। जनता में बहुत आक्रोश है। टेण्डर प्रक्रिया धड़ल्ले से चल रही है, इसलिये टेण्डर प्रक्रिया पर रोक लगाई जाय और पूर्व की भाँति, जिन्होंने खसरा–नक्शा दे रखा है, उस नहर का निर्माण होना चाहिये। लोग आन्दोलित हैं, इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र पुरोला तथा अन्य क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत लघु सिंचाई की छोटी–छोटी योजनाएँ नहरें, हौज, पाइप लाइन आदि कुल 297 योजनाएँ क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार हेतु 337.27 लाख रु0 की धनराशि की मांग की गई है, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। काश्तकारों की आवश्यकतानुसार उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए सिंचाई हेतु उपलब्ध भूमि के आधार पर छोटी–छोटी लघु सिंचाई योजनाएँ केन्द्र पुरोनिधानित भारत निर्माण ए0आई0बी0पी0 में विधान सभा क्षेत्र पुरोला में 10 कलस्टरों के अन्तर्गत 136 योजनाएँ वर्ष 2013–14 से 2015–16 निर्माण के लिये स्वीकृत की गई हैं। जिसके अन्तर्गत निर्माण कार्य शासनादेश संख्या 875/11–2009–14(05)/2005, दिनांक 01.06.2009 के अनुसार निविदा के आधार पर अनुबंध कर कार्य कराये जा रहे हैं। योजनाओं का चयन एकल योजना की दशा में 20.00 हेक्टेयर तथा एक से अधिक योजना, कलस्टर की स्थिति में 5.00 कि0मी0 की परिधि में कुल सिंचन क्षमता 50.00 हेक्टेयर के मानक पर चयनित की गई है, जिन पर अधिकतम लागत 1.50 लाख रु0 प्रति हेक्टेयर है।

श्री मालचन्द–

मान्यवर, यह तो ठीक है कि कलस्टर के माध्यम से योजना का चयन किया गया है, लेकिन मान्यवर, जो गाँव में छोटी–छोटी नहरें हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके नक्शे, खसरे काश्तकारों द्वारा दिये गये हैं। लेकिन आज वो सब नक्शे गायब हो गये हैं और एक गाँव को लेकर जहाँ पर उनकी आवश्यकता है, जो चाह रहे हैं, वो कलस्टर का निर्माण करके सीधे–सीधे टेंडर कराया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि काश्तकारों का भला इससे नहीं होने वाला है और जो आवश्यक नहरें हैं, उनका निर्माण नहीं होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि यह कलस्टर खत्म किया जाय, टेंडर प्रक्रिया खत्म की जाय और काश्तकारों को पूर्व की भांति नहरों का निर्माण किया जाय। ये काश्तकारों

की स्वयं की नहरें होती हैं, ये कोई बड़ी नहर, सरकारी नहर नहीं हैं, इसका विभाग द्वारा कर भी नहीं लिया जाता है। काश्तकारों के हित के लिए छोटी-छोटी नहरों का निर्माण किया जाता है, जो सीधे-सीधे काश्तकार को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई जाती हैं। तो मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि टेंडर प्रक्रिया खत्म कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री मालचन्द जी एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री चन्दन राम दास-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-58 पर ग्राह्यता पर सुनने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, राज्य सरकार ने वर्ष 2003 से सीधी भर्ती, तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसी कारण 2004 में उपनल का गठन हुआ। उपनल के माध्यम से कार्मिकों को रखने की प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है। मैं समझता हूँ कि इस समय समूह ग और घ में अधिकतर विभागों में उपनल के माध्यम से नियुक्तियाँ हुई हैं। परन्तु 5-6 वर्षों से जो कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं, निष्ठा से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सभी प्रकार के काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मगर अभी-अभी विभाग में नियुक्तियों के लिए सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी की है, वो उन्हीं विभागों में विज्ञप्ति जारी की है, जिनमें उपनल से भी कर्मचारी नियुक्त थे। यदि उन विभागों में नियुक्तियाँ होती हैं तो मैं समझता हूँ कि उपनल के कर्मचारी हट जायेंगे। एक तरफ पूरा प्रदेश हड़तालों का प्रदेश बना है और मैं समझता हूँ कि बहुत से बेरोजगार बी0पी0एड0 वाले हों, चाहे बी0एड0 वाले हों, एम0पी0एड0 वाले हों, चाहे योगा प्रशिक्षित हो सब नियुक्तियों के लिए हड़ताल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो आज शासनादेश हुआ है, जिस शासनादेश में यह कहा गया था कि 5-6 वर्षों से ऊपर जो कार्मिक किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जायेगा। मगर उपनल के माध्यम से जिन कार्मिकों की नियुक्तियाँ हुई हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, जिस कारण हमारे उपनल के कर्मचारी बहुत ही भयभीत हैं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में शासनादेश संख्या-1803/कार्मिक/2/2002, दिनांक 06 फरवरी, 2003 संविधान के अनुच्छेद-9 के तहत दैनिक कर्मचारियों, कार्यप्रभावित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, नियत वेतन कर्मचारियों, अंशकालिक कर्मचारियों के तदर्थ रूप में कार्मिकों को नियमितीकरण नियमावली, 2013 बनाई थी। मगर इसके उपरान्त भी विभाग द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुरूप कम्प्यूटर ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक सहित विभिन्न विभागों में पदों पर राज्य सरकार द्वारा स्थित उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के द्वारा जो सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से

विभागों में नियुक्तियाँ की थीं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात डालना चाहता हूँ कि मुझे जो ज्ञात हुआ है कि जो विज्ञप्तियाँ इस समय जारी हुई हैं, उसमें जो उपनल में हमारे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को भी उसमें शामिल कर दिया गया है। अब इसकी नियुक्तियाँ कब होंगी, मगर कर्मचारी बहुत ही परेशान हैं और व्यथित हैं और यह लगातार माँग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, इसमें अनुरोध करते हैं कि ऐसे कार्मिकों को दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तदर्थ के रूप में नियुक्ति, उनकी भी विनियमितीकरण की माँग करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अन्य कर्मचारियों को आप पाँच साल तक जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं उनको आप विनियमित कर रहे हैं। ऐसे ही उपनल के कर्मचारियों को भी यदि आप नियमित कर देंगे तो ऐसे कर्मचारी जो नौकरी में लगे हैं और जिनके परिवार पल रहे हैं, अगर उनकी नौकरी चली जायेगी तो इस प्रदेश के लिए यह एक अच्छा संदेश नहीं जायेगा। अतः मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूँगा कि उपनल द्वारा रखे गये सभी कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आपने मुझे नियम-58 पर सुना इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जो लोग वर्षों से बहुत ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं, यह उनसे जुड़ा हुआ मामला है। माननीय सदस्य चन्दन राम दास जी ने इसके विषय में कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया है, उसी में कुछ आगे बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, सरकार ने कहा कि जो भी लोग संविदा में लगातार पाँच साल से काम कर रहे थे उनको सरकार नियमित करेगी। उसके लिए एक नियमावली भी बनाई, जिसमें दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में जो भी कार्मिक थे, उनको नियमित करने के लिए सरकार ने कहा, इसके लिए कैबिनेट भी हुई और जब कोई निर्णय नहीं आया तो मंत्रिमण्डल की उप समिति का गठन भी किया गया। लेकिन उस समिति का कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। अभी सरकार के द्वारा जो लोग सालों से काम कर रहे हैं। क्योंकि 2003 से संविदा पर नियुक्ति बन्द हो गई थी, फिर 2006 में सरकार के द्वारा तय किया गया कि लोगों को उपनल के द्वारा लिया जायेगा। मान्यवर, उपनल राज्य सरकार का ही एक अंग है, यह भी राज्य सरकार की एक संस्था है। इसके द्वारा कर्मचारियों को रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उनका बहुत शोषण हो रहा है, न उनको बोनस मिलता है, न उनको लीव इनकैशमेन्ट मिलता है, न उनको कोई छुट्टियाँ मिलती हैं, कई जगह उनको पी0एफ0 भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी वह पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अभी इतनी दैवी आपदा आई, लगातार हमारे कर्मचारियों ने ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम किया और जब सरकार का

निर्णय आया कि वह शायद अब नियमित होने लगेंगे, यह 18000 कर्मचारियों के लिए खुशी की बात थी, उनको लगा कि अब वह भी नियमित होने जा रहे हैं। लेकिन समूह–ग की अभी विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें उपनल का कोई नामोनिशान नहीं है, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनका पूरा हक बनता है, क्योंकि वह नियत वेतनमान में आते हैं, जब सरकार कह रही है कि हम नियत वेतनमान को लायेंगे और उनको पक्का करेंगे। वह नियत वेतनमान में आ रहे हैं और वह पाँच साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको उसमें नहीं रखा जाना। मान्यवर, सरकार की कहीं न कहीं न्याय विभाग के द्वारा इस तरह की बातें लगातार होती रहती हैं। कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी की बात कर दी जाती है, जब सरकार एक तरफ कह रही है कि जो ऐसे लोग थे उनको हम पक्का करेंगे तो उनके लिए कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी क्यों नहीं आता है ? जब ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और वह नियत वेतनमान में भी आ रहे हैं। सरकारी संस्था के द्वारा यह काम कर रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, इनको क्यों बाहर रखा जा रहा है ? खाली एक बहाना कर देना कि इसमें कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी आता है और यह न्याय संगत नहीं है। अगर सरकार कह रही है जिनको पाँच साल से अधिक हो गये हैं, हम उन सबको कर रहे हैं तो इनको बाहर क्यों रखा जा रहा है ? ये इनके हितों की अवहेलना है। मान्यवर, वे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपदा क्षेत्र में उनके मकान बह रहे थे और वह लगातार ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और सरकार के महत्वपूर्ण स्थानों में उपनल के द्वारा वह लोग काम कर रहे हैं। मान्यवर, आपके यहाँ भी उपनल के द्वारा काम कर रहे होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी काम कर रहे होंगे और सरकार के विभिन्न स्थानों में वह अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि उपनल खुद एक सरकारी संस्थान है और उस पर सरकारी सब नियम लागू हैं और वह कर्मचारी नियत वेतनमान पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह से उन पर छलावा क्यों किया जा रहा है ? क्या यह केवल राजनैतिक स्टंट है कि चुनाव आ रहे हैं और इस प्रकार की घोषणा कर देना। मान्यवर, दूसरी तरफ जो विभागीय संविदा में आते थे, उनको दस साल के कार्यकाल पूरा होने पर पहले पक्का कर दिया गया और इसमें सरकार किन लोगों को लेकर आ रही है ? वर्ष 2011 में जो विभागीय संविदा के कर्मचारी थे उनको पहले ही रख दिया गया है और वह दस साल के अन्तर्गत आ गये हैं, अब सरकार किन को ला रही है ? इन 18 हजार लोगों को, जिनका मेन अधिकार बनता है, उनको नहीं लाकर, खाली यह कह देना कि हम इनको ला रहे हैं तथा कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर देना। जब वह नियत वेतनमान में आ रहे हैं और सरकारी संस्था के व्यक्ति हैं तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर चर्चा कराने की जरूरत है। सरकार का बार–बार जवाब आता है कि यह न्याय संगत नहीं है और इसमें कोर्ट का मामला लाकर इन लोगों के साथ अनदेखी हो रही है। पूरे सदन की

कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराई जाय। यह प्रदेश के उन 18 हजार लोगों का मामला है जो बहुत मेहनत से और ईमानदारी से और सत्यनिष्ठा से अपनी सेवायें दे रहे हैं और प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर वह कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस पर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय चन्दन राम दास जी और श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी ने जो नियम–58 के तहत उपनल के कर्मचारियों की समस्याओं पर और उसकी ग्राह्यता पर अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखे हैं, निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बहुत चिन्तित है। क्योंकि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम का जिसको हम उपनल कहते हैं, यह प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल जिस पर चतुर्थ श्रेणी है, ड्राइवर हैं, डाटा ऑपरेटर कर्मचारी हैं और भी तमाम नॉन तकनीकी और तकनीकी पदों पर समय–समय पर प्रदेश के विभिन्न विभागों में और अर्द्धसरकारी विभागों में, विश्वविद्यालयों में और मेडिकल कॉलेजों में, उनके पदों के अनुसार और उनके कार्य की अधिकता को देखते हुए उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग करके एक व्यवस्था की गई है। जिसमें लगभग उपनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में क्योंकि उपनल शुद्ध रूप से एक व्यवसायी प्रतिष्ठान है। जिसका उद्देश्य बेसिकली पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवारों को और उनको रोजगार देना और उनको पुनर्वास देना है। क्योंकि वह कम उम्र में लगभग 35 से 60 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। सरकार द्वारा उस समय जब इसकी स्थापना की गई तो यह निर्णय हुआ कि ये सैनिक कम उम्र में सेवानिवृत्त होने के कारण इन पर जब जिम्मेदारी आती है तो पेंशन से परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभायी जाती है और केवल पेंशन के बलबूते पर बच्चों की पढ़ाई और शादी करना बहुत कठिन है। इसलिए इस उपनल की स्थापना की गई। पहले यह खनन और एफ0एल0 टू जिस पर आबकारी विभाग का व्यवसाय था। उसमें भी इन लोगों ने प्राथमिकता से भागीदारी निभाई और वर्ष 2004 में सरकार ने फिर निर्णय लिया कि इस उपनल को आउटसोर्सिंग ऐजेंसी भी बनाया जाय और उस समय इसका उद्देश्य साफ था कि अधिकतर इस उपनल के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग होगी वह पूर्व सैनिक और सैनिक परिवारों के सदस्यों की होगी। लेकिन अपरिहार्य परिस्थिति में जहाँ उपयोगिता और योग्यता के आधार पर पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिवार से उपलब्धता नहीं होगी आउटसोर्सिंग या उस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए, उस स्थिति में सामान्य बेरोजगार नौजवान या तकनीकी ज्ञान जिसको है, प्रशिक्षण या योग्यता जिसकी है, उस पद की योग्यता के अनुसार उसकी भर्ती यह उपनल कर सकेगा, इसमें काफी समय लग जायेगा इसलिए जब भी चाहेंगे इसकी सूचना उपलब्ध करा दूँगा। इसी के तहत पूरे प्रदेश में 14439 कर्मचारी विभिन्न विभागों में, विभिन्न पदों पर उपनल के माध्यम से कार्यरत् हैं, इसमें ओ0एन0जी0सी0 भी है, क्योंकि केन्द्र सरकार के जो संस्थान उत्तराखण्ड में हैं, उसमें भी हैं। माननीय सदस्य श्री जीना और श्री चन्दन राम दास जी ने कहा कि इनकी लगभग 18 हजार संख्या है, साढ़े तीन हजार के आस–पास उपनल के माध्यम से जो काम कर रहे

हैं, वह देश के कोने–कोने में हैं, कलकत्ता में भी कई फैक्ट्रियों में, भारत सरकार के कई संस्थानों में आऊटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं और इस समय देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के रूप में उपनल काम कर रहा है और जो उपनल की आमदनी है, वह लगभग सौ करोड़ के टर्नओवर के आस–पास है और मात्र सौ कर्मचारी के आस–पास उपनल पूरे कॉर्पोरेशन में साढ़े अट्ठारह हजार कर्मचारियों का लेखा–जोखा करते हैं। वह लगभग 99 कर्मचारी हैं और सौ करोड़ का बिजनेस है और उसमें हमको साढ़े पाँच करोड़ का प्रॉफिट होता है। जब मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली थी तो उससे पहले उपनल के कर्मचारियों से नौ प्रतिशत इन उपनल के कर्मचारियों से सर्विस टैक्स के रूप में उपनल अपने मैनेजमेन्ट को चलाने के लिए लेता था। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन साढ़े नौ हजार है तो नौ परसेन्ट कटने के बाद बहुत कम वेतन उसको मिलता था। तो मैंने महसूस किया उपनल केवल एक आमदनी का जरिया नहीं होना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों ने मेहनत की है तो उनको तनवाह अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने उपनल का कमीशन नौ प्रतिशत से घटाकर ढाई प्रतिशत किया, जिससे कि कर्मचारियों को अधिक से अधिक सैलरी मिल सके। हमारी आमदनी का जो मुख्य स्रोत है, प्रदेश के बाहर भारत सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, जिसमें ओ0एन0जी0सी0 है, सर्वे ऑफ इण्डिया है, गेल है तो तमाम ऐसे संस्थान हैं जिसमें हमने सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये हैं तो उनमें हमको 09 प्रतिशत से लेकर के 16 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है और हमको बहुत बड़ी आमदनी होती है। इस आमदनी के बलबूते पर साढ़े पाँच करोड़ की आमदनी उपनल को हो रही है, इसमें लगभग 22 करोड़ रुपये की हमारी एफ0डी0 है, जिसमें लगभग ढाई करोड़ का हमको ब्याज मिलता है और इस प्रकार से 07 करोड़ के आस–पास हमारी आमदनी है। इसलिए तमाम जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पिछले एक साल में हमने घोषणायें की हैं और मेरी सरकार ने निर्णय लिये हैं। अभी माननीय श्री गुलाम नबी जी मुझे दिल्ली में मिले थे और उन्होंने कहा रावत जी मैं हमेशा कहता था कि जम्मू–कश्मीर अपने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अधिक सम्मान दे रहा है, लेकिन आज उत्तराखण्ड बहुत आगे निकल गया है। पंजाब में सबसे अधिक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल से लोगों को सम्मानित किया, मान्यवर, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, चूंकि आज हम यह जो तमाम सुविधाएँ अपने सैनिकों को दे रहे हैं। माननीय खण्डूड़ी जी, मेजर जनरल आर्मी से थे, उस समय सैनिक की विधवा की लडकी की शादी के लिए केवल 30 हजार रु0 दिये जाते थे, मैंने इसको बढ़ाकर 01 लाख रु0 कर दिया है। पहले जो सैनिक अपंग हैं, जो विधवाएँ हैं, उनके घर को बनाने के लिए पहले 01 लाख रु0 दिया जाता था, अब मैंने यह राशि बढ़ाकर 02 लाख रु0 कर दिया है। आज स्टाम्प ड्यूटी में भी महिलाओं की तरह ही पूर्व सैनिकों को छूट दे दी है, हाउस टैक्स में पूरे प्रदेश में उनको छूट दे दी है। आज पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड इकलौता प्रदेश है जो अपने सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को सबसे अधिक सम्मान दे रहा है। मान्यवर, आप तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा के माननीय सदस्य भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी इस तरह के सवाल उठते थे। मान्यवर, हम लोग लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लगातार यह मांग उठती रही कि अर्द्धसैनिक बलों को भी,

सैनिकों की भाँति सुविधा मिले। मान्यवर, इसमें कोई पत्रावली नहीं चली, कोई नोट नहीं चला, मैं सीधे मंत्रिमण्डल के सम्मुख चार पंक्तियाँ लेकर गया कि अर्द्धसैनिक बलों को भी सैनिकों की भाँति सुविधा मिलनी चाहिए। हमने इस सम्बन्ध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। यह पहला हिन्दुस्तान का राज्य है जो बी0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आई0एस0एफ0, सी0आर0पी0, जिसमें उत्तराखण्ड के लगभग डेढ़ लाख अर्द्धसैनिक बल सेवानिवृत्त एवं कार्यरत् हैं, इनको भी हमने सुविधा देने का निर्णय लिया है। मान्यवर, उपनल से जो लगभग 07 करोड़ ब्याज की आमदनी होती है, सैनिक पुनर्वास जो संस्था हमारी है, सैनिक फार्म है, इसमें भी लगभग 18 करोड़ की एफ0डी0 है इस पर हमें ब्याज मिलता है। मान्यवर, लगभग हमें 14–15 करोड़ रु0 की आमदनी सैनिक फार्म, सैनिक पुनर्वास संस्था की एफ0डी0 और उपनल के जो सुरक्षा गार्ड प्रदेश में जगह–जगह भेजते हैं, उससे प्राप्त होती है। इससे हम पूरे प्रदेश के अन्दर सारे सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ चलाते हैं। मान्यवर, एक भी रु0 प्रदेश की सरकार पर बोझ नहीं डालते हैं। हम अपना बिजनिस बढ़ा रहे हैं। माननीय सदस्यों की बात से मैं निश्चित रूप से चिंतित हूँ और मैंने लगातार अपने मंत्रिमण्डल के साथियों से और तमाम सदस्यों से बार–बार इस बात के लिए आग्रह किया है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि बार–बार उमा देवी का प्रकरण, तमाम कानूनी बाध्यताएँ हमारे सामने हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने तमाम कर्मचारियों का जो उपनल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत् हैं। निश्चित रूप से बड़ी ईमानदारी के साथ दैवीय आपदा के दौरान या सचिवालय में कार्य करने के दौरान हो, पूरे सचिवालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर से लेकर तमाम गोपनीय कार्य, गोपनीय फाइलों के रख–रखाव से लेकर तमाम कार्य इनके द्वारा किया जाता है। विधान सभा में भी इनके द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है। ये निश्चित रूप से बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, जब कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रेग्यूलर होता है तो उसे कम से कम 20–22 हजार रु0 मासिक वेतन मिलता है, लेकिन उपनल के ये कर्मचारी एक तिहाई वेतन में बहुत ही मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार चाहे आपकी हो या हमारी परन्तु प्रदेश सरकार को आगे बढ़ाने में इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इनके प्रति गम्भीर है और मैंने आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है। मैंने इन तमाम उपनल के कर्मचारियों से बात की थी और इनसे बहुत सारा डिस्कशन किया।

श्री अध्यक्ष–

संक्षिप्त में अपनी बात को पूर्ण कीजिये।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर कितनी गम्भीर है, कितनी प्रयासरत है। मैंने उनके सामने रखा था कि अगर पाँच साल वाला शासनादेश जो हमारी सरकार ने किया है, यदि उसके दायरे में हम आपको लाते हैं तो उस शासनादेश में बहुत स्पष्ट है कि जिस समय आप

सेवाओं में आये हों, उस पद की आपकी योग्यता होनी चाहिये, उस समय पद सृजित हो और आज जब आप रेग्यूलर होंगे तो भी पद सृजित हो। हमने उपनल में जो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, मैंने उन सभी की समीक्षा की और जिस समय यह पदों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे थे, मात्र 400–500 उपनल के कर्मचारियों को ही इस शासनादेश का लाभ मिल पाता। मैंने दूसरा विकल्प इनके सामने रखा है, हम बहुत जल्दी ही, मैं इस सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सदस्यों को और आप सदस्यों के माध्यम से उन साढ़े 18 हजार उपनल के कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो विकल्प सोचा है, उससे भले ही उपनल को आमदनी में नुकसान होगा, उसकी आय घटेगी, लेकिन इस प्रदेश के नौजवानों के हित में प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यह जो कर्मचारी हैं, वह उसी विभाग में संविदा पर, जिस पर यह आउटसोर्सिंग पर हैं, जो ढाई परसेन्ट हम लेते हैं, वह भी इनको ही मिलेगा। वह उसी विभाग का, जैसे कोई सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत है, तो उसी विभाग का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी माना जायेगा। जिस तरह से समय–समय पर 05 साल का, 10 साल का शासनादेश सरकारें करती हैं, उसका उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस पर बहुत गम्भीरता के साथ सरकार विचार कर रही है, मैं यह आश्वासन इस सदन के माध्यम से देना चाहता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम उपनल के कर्मचारियों की चिन्ता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 99 आदमी हैं, 100 करोड़ का काम करते हैं, 16 प्रतिशत का कमीशन लेते हैं, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आज भी फोर्थ क्लास इम्प्लाई 20 से 22 हजार रुपया महीना कमाता है, ये लोग 07 या 08 हजार में काम कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी और मेहनत से वह काम कर रहे हैं, इसे भी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया था। लेकिन अभी जब समूह 'ग' की रिक्तियाँ निकाली गईं तो जहाँ पर उपनल के कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको पद से हटा दिया गया है, आगे आप क्या करेंगे और सैनिकों के कल्याण के लिए आप क्या कर रहे हैं, इससे आपकी नीयत स्पष्ट हो रही है। आप उन पदों को रिक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर उपनल के कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं। मान्यवर, आपका विभाग सरकारी विभाग है, चूँकि उपनल उत्तराखण्ड सरकार का एक निगम है, आप हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, जहाँ उनको 25–30 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, वहीं आप उनको 7–8 हजार रुपये ही दे रहे हैं। वह इसी प्रत्याशा में काम कर रहे हैं कि कल के दिन मौका मिलेगा तो उनको भी पक्का किया जायेगा। आज उनके पद रिक्त दिखाकर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरे क्षेत्र में एक जे0ई0 बालम सिंह हैं, जो काफी लम्बे समय से काम कर रहे हैं, जिनको बराबर प्रमाण–पत्र मिलता रहा है कि इनका

काम बहुत उत्तम कोटि का है, उनको आज सुबह ही पत्र दे दिया गया कि आपको कल से नौकरी से हटा दिया गया है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय जीना जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि उपनल के माध्यम से जो लोग सेवारत हैं, क्या उन्हें उसी विभाग का संविदा या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी घोषित करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या उनकी सेवा को निरन्तर बनाये रखा जायेगा, किसी को सेवा से पृथक नहीं किया जायेगा, इस विकल्प पर भी सरकार गम्भीरता के साथ विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, विकल्प पर विचार नहीं, उनको कल से वापस ले लिया जाय। यदि यह चार साल बाद निर्णय करेंगे, तो वह क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर आ चुका है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे चुका हूँ। इस तरह सचिवालय में भी कुछ कर्मचारियों को हटाया गया था, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करके उनको निर्देशित किया और किसी को नहीं हटाया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी सदस्य को नहीं हटाया जायेगा। जो भी सेवारत है, उसमें जब भी हम शासनादेश जारी करेंगे, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन उस पर नहीं मिल जाता और शासनादेश जारी नहीं हो जाता है, तब तक मैं केवल कह ही सकता हूँ कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। हमारी नीयत में कोई शक नहीं है। (व्यवधान) किसी को नहीं हटाया जायेगा, सब लोग यथावत् काम करेंगे, उनकी सेवाओं को पृथक नहीं किया जायेगा। हम शासनादेश में स्पष्ट रूप से यह जारी करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री चन्दन राम दास जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा धनौल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलदार की जनता और उस क्षेत्र के जनमानस के द्वारा समय–समय पर एक महाविद्यालय की मांग वर्षों से की जा रही है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी एक डेढ़ वर्ष पूर्व उस क्षेत्र में गये और जन समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने वहाँ पर घोषणा भी की। कमान्द राजकीय महाविद्यालय की घोषणा जो जनमानस की मांग थी, उन्होंने घोषणा की, लेकिन वह घोषणा, मात्र घोषणा ही रही और इस क्षेत्र की छात्र–छात्राएँ चम्बा जिले में चिन्यालीसौंण, टिहरी व देहरादून में उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। एक गरीब किसान का बेटा, एक खेत खलिहान में पढ़ने वाला बालक आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण हायर एजूकेशन नहीं ले सकता है और आज जो चिंता और चिंतन का विषय है, राजनीतिक व्यक्तियों, जो हम सब लोगों पर आज जो अविश्वास की भावना पैदा हो रही है कि अमुक व्यक्ति कोई क्षेत्र में आता है और आश्वासन, घोषणा करके जाता है, पर धरातल पर कोई काम नहीं होता है तो यह चिंता का विषय है। मैं समझता हूँ कि इस महाविद्यालय के लिए क्षेत्र की जनता ने जमीन और मानक सारे पूरे होने के बावजूद भी शासन स्तर पर इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्षेत्र की जनता बड़ी आक्रोशित है। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग आज चिंतन करें कि अगर हम कोई घोषणा करते हैं तो वह पूरी होनी चाहिए। मैं आप सबसे आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय को सदन में रखते हुए समस्त कार्यवाही रोकते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि डिग्री कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस क्षेत्र में की गई थी परन्तु उसके साथ यह शर्त थी कि इस कमान्द क्षेत्र में 12 इण्टर कॉलेज होने की स्थिति में ही यह बनेगा। इसके क्रम में प्रस्तावित स्थल के आस–पास 07 इण्टर कॉलेज अवस्थित होने की सूचना के कारण उक्त घोषणा की पूर्ति नहीं हो पायी है। वर्तमान में महाविद्यालय की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय इण्टर कॉलेज, कमान्द के पास उपलब्ध 11 एकड़ भूमि को उच्च शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी बताना है कि इस प्रस्तावित स्थल के आस–पास संचालित विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों का विवरण निम्नवत् है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल 50 कि0मी0, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी 50 कि0मी0, राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़ 33 कि0मी0। कमान्द क्षेत्र में प्रस्तावित महाविद्यालय हेतु उपलब्ध हो सकने वाली अनुमानित छात्र संख्या लगभग 600 है। महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर नियमों की पूर्ति होने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्र के जो जनपद हैं, ऊँचाई वाले स्थानों पर और जो घाटी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ के लोग खेती करते हैं। उसी के हिसाब से लोग सब्जी का उत्पादन भी करते हैं और फलों का उत्पादन भी करते हैं और यह उनका साल भर का आय का साधन है और यह एक मात्र रोजगार का साधन भी है। एक समय था जब गाँव के लोग केवल नमक और कपड़े खरीदते थे, वह अपनी परिस्थितियों के लिए अपना रास्ता निकाल लेते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में गाँव के लोगों ने खेती करना बन्द कर दिया है। क्योंकि जंगली जानवर इतने ज्यादा हो गये हैं, बन्दर और जंगली सुअर इतने ज्यादा हो गये हैं कि लोगों ने खेती करना बन्द कर दिया है। गाँवों से लोगों का पलायन होना शुरू हो गया है और जनता आन्दोलित है। कई बार देखते हैं और जहाँ भी जाते हैं तो लोगों की एक ही समस्या है। रास्ते की समस्या नहीं है, विद्यालय की समस्या नहीं है। उनकी एकमात्र समस्या है कि बन्दरों को यहाँ से भगाया जाये। इस प्रकार क्षेत्र के लोग वन विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर धरने पर बैठते हैं। लेकिन विभाग की ओर से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलता है। इसी तरह से यह मामला जब हमारी सरकार थी और मैं वन मंत्री था, उस समय एक प्रस्ताव हमने रखा था। कुमाऊँ क्षेत्र में टनकपुर में इनके लिए एक बाड़ा बनाया जाय और गढ़वाल क्षेत्र में हरिद्वार में इनके लिए एक अलग से बाड़ा बनाया जाये। उस बाड़े के अन्दर अमरूद और अन्य फल के पेड़ लगाये जायें। इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि वह घरों के अन्दर भी घुसने लगे हैं, यहाँ तक जो बच्चे अपने आंगन में खेलते हैं उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। इसलिए इन बन्दरों के आतंक को देखते हुए लोगों ने खेती करना बन्द कर दिया है और लोगों ने गाँवों से पलायन करना शुरू कर दिया है। लोगों की एक ही आशा है कि इन बन्दरों से किस प्रकार निपटा जाये। सरकार से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह लोक महत्व का विषय भी है, इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य बिशन सिंह चुफाल जी ने उठाया वह अतिमहत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जंगली जानवरों से खेती का

भारी नुकसान हो रहा है। कुछ नियमों और कानूनों से सरकार भी बंधी है और व्यवस्था से भी बंधी है। जहाँ तक जंगली जानवरों में सुअर का सवाल है, उसे मारने की अनुमति दे दी गई। बन्दरों के लिए बाड़े बनाने हैं और वन विभाग को यह तय करना है। वन एवं पर्यावरण विभाग से शहरी क्षेत्रों में बन्दर मानव संघर्ष निवारण हेतु मानक कार्य प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत उत्पाती बन्दरों को रेस्क्यू करने की समस्या के निदान हेतु प्रदेश में दो बन्दर बाड़े, एक वन प्रभाग केदारनाथ तथा दूसरा चम्पावत वन प्रभाग के रेंज में बनाये जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के अन्तर्गत जंगली सुअर जनित समस्या के निराकरण हेतु प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के आदेशों के अनुसार उत्पाती जंगली सुअर/सुअर समूह को नष्ट करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा चिन्हित जंगली सुअर/सुअर समूह को नष्ट करने की माँग अपने निकटतम रेंज कार्यालय अथवा सीधे प्रभागीय कार्यालय में औचित्य सहित प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उत्पाती जंगली सुअर/सुअर समूह को मारने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्राविधान है। परन्तु बन्दरों को केवल बाड़े के अन्तर्गत रखने का ही प्राविधान है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, आपने जो बाड़े का प्रस्ताव किया था, बाड़ा बनना कब से शुरू होगा ? मान्यवर, यह प्रस्तावित है कह रहे हैं तो कब से यह कार्य शुरू होगा। (व्यवधान) उस समय हमने प्रस्ताव किया था। जो यह जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किया गया ? (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है, इसकी जानकारी मिल जाय। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक प्रयास यह किया गया था कि बन्दरों का बधियाकरण कर दिया जाय। श्रीमती मेनका गांधी जी, माननीय सांसद द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया है कि यह परीक्षण असफल रहा है और काम बन्द कर दिया जाय और भारत सरकार द्वारा इसमें वैज्ञानिक आधार का परीक्षण होने तक बधियाकरण हेतु धनराशि के उपयोग पर विचार किया जा रहा है, पुनर्विचार हेतु निर्देशित किया गया है की बधियाकरण एलाव कर दिया जाय, यह सही है कि केदारनाथ वन विभाग तिडोली में, चमोली में बाड़े बनाना था और चम्पावत वन प्रभाग, टनकपुर में बनाना था। आपकी बात ठीक है कि अभी बाड़े नहीं बने हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, कब से शुरू हो जायेगा, यह बता दें और आप कह रहे हैं कि भारत सरकार का प्रस्तावित है। (व्यवधान) प्रदेश का पूरा पहाड़ पलायन कर चुका है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से भी सरकार को निर्देश होने चाहिए कि तत्काल इस पर कार्यवाही की जाय। (घोर व्यवधान) और जनपदों में यह कार्य शीघ्र किया जाय।

*श्री मदन सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पहाड़ के जितने विधायक हैं, वह आपके साथ हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं सदन में निर्देशित करती हूँ कि जब बाड़ा बनाने की बात कही गई है, जो अभी नहीं बने हैं केवल बहानेबाजी से कार्य नहीं चलेगा और तत्काल इस पर कार्य प्रारम्भ करें और समय निर्धारित करें कि कब तक बनाया जायेगा। (मेज की थपथपाहट) इसमें अल्मोड़ा, चिड़ियापुर और टिहरी इन तीन जगह पर बनाये जायेंगे और तत्काल बनाये जायं और सदन को सूचित किया जाय। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, अभी चम्पावत की बात हो रही थी, वह साफ हो गया है, यानी टनकपुर साफ हो गया क्या ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह एक बहुत छोटा से विधेयक है, जिसमें सदन से अनुमति माँगी है कि मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी अर्थात् इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2014)

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 9, वर्ष 2002) में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

संक्षिप्त नाम शीर्षक और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का

2. (1) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी: अर्थात्:–

(2) आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे।

धारा 4 का

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्:–

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपने पद धारण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 3, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सामान्य बजट पर चर्चा के लिए परिचर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मान्यवर, मैं बजट के पृष्ठ संख्या–17 पर माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो शब्द कहे हैं, उनका शत–प्रतिशत मैं समर्थन करता हूँ। इसमें लिखा है कि–

निःशब्द मैदान में लेटी हुई है जो नदी,

पत्थरों से, ओट में जा–जाके बतियाती तो है।

दुःख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर,

और कुछ हो या न हो, आकाश–सी छाती तो है।

यानी कि उनका कहना ठीक ही है कि इस बजट की किताब में कुछ नहीं है, इस किताब के पृष्ठ संख्या–17 पर आपने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी नहीं है इस किताब में कि क्या कहूँ इस स्टाइल में यह कविता लाई गई है, इसका अर्थ यह है कि मैं क्या कहूँ जो हो रहा है होने दो, बाकी देखा जायेगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, शिक्षक हम रहे हैं और आप बता रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विद्यार्थी तो हम भी रहे हैं, कभी–कभी शिक्षक को भी इण्टरपिटेशन बताना पड़ता है। मान्यवर, यह बजट वास्तव में सत्य से परे है, अभी तो यह कपोलपंती है, क्योंकि अनुमान पर है। पृष्ठ संख्या–6 पर साफ लिखा है कि "यद्यपि अभी वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना की स्वीकृति योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त होना लम्बित है।" तो अभी तक इसको कहीं से कहीं तक स्वीकृति नहीं मिली है, अच्छा होता कि बाद में जून–जुलाई में बजट ले आते, अभी लेखानुदान ले आते, हम साथ देने को तैयार

होते, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। केन्द्र से किस मद में कितना पैसा हमको मिलेगा, किस टाईप से हम उस पैसे का यूटिलाइज करेंगे, तो जब ऊपर से बजट आता और तब आप निर्धारित करते तो ठीक–ठाक मदों का पता भी लगता कि कैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपने लिखा है बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, मैं शत–प्रतिशत आपका समर्थन कर रहा हूँ। कुछ बोलने लायक भी नहीं है, फिर भी कुछ जगह पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, पृष्ठ संख्या–9 पर दो चीजें आपने कही हैं, पहली तो आपने कहा है कि "स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा के गाँव बुघाणी (पौड़ी) स्थित पैतृक आवास को संग्रहालय के रूप में विकसित किए जाने एवं इसके संचालनार्थ आवश्यक पदों का सृजन प्रस्तावित है।" मान्यवर, दूसरा मैं आप से कहना चाहता हूँ कि राज्य के 60 वर्ष व अधिक आयु के लघु एवं सीमांत उन्हीं कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी, जो खेत जोत रहे हों, उनको आप पेंशन देंगे। मान्यवर, नयी मदें भी बजट में होती हैं, माननीय संसदीय मंत्री जी तो काफी विज्ञ हैं, आपको बड़ा ज्ञान है, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक का काफी ज्ञान है, हम तो कुछ मामलों में आपको गुरू भी मानते हैं। बजट किस तरह से होता है और बजट के प्रोविजंस क्या हैं। इस किताब में जो नई मदें दी गई हैं, मैंने थोड़ा उनका अध्ययन किया है। इसमें स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, बुघाणी के लिए आपने मात्र सात हजार रू0 रखा है और दूसरा जो राज्य के 60 वर्ष व अधिक आयु के लघु एवं सीमांत कृषकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी, जो खेत जोत रहे हों।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जुतवा रहे हों।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह इसमें आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। लेकिन इनके लिए कहीं भी आपने नई मद में पेंशन की व्यवस्था नहीं की है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जब हमारा उत्तर आयेगा तो हम स्पष्ट कर देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जब आपका उत्तर भाषण आयेगा तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि इन सभी चीजों का क्लियर उत्तर आये। अब मैं बजट भाषण के पृष्ठ संख्या–10 पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसमें उल्लेख है कि "प्रदेश में आई भीषण आपदा को न्यूनतम समय में प्रबन्धित किए जाने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश को 25 सेक्टरों में विभाजित किया जायेगा।" मान्यवर, सात माह व्यतीत होने के बाद यह सरकार आपदा के सम्बन्ध में कहती है कि 25 सेक्टरों में विभाजित किया

जायेगा। कब किया जायेगा यह स्पष्ट नहीं है, दो–तीन दिन में ही किया जाता, अभी बजट सत्र चल रहा था, अभी करते तो हम कहते कि सरकार ने कोई कार्य किया है। मान्यवर, वर्तमान में हम 8वें महीने में चल रहे हैं, फिर भी किया जायेगा, करेंगे, हो जायेगा, ऐसी शब्दावली सरकार की ओर से प्रयुक्त की जा रही है। अभी तक सरकार द्वारा एक भी सेक्टर स्थापित नहीं किया गया है। मान्यवर, बजट में पृष्ठ संख्या–12 में लिखा है कि एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत प्रदेश के चौखुटिया, अल्मोड़ा, चम्पावत आदि जगहों पर ट्रामा सेण्टर खोले जायेंगे। मान्यवर, पहले ही इस प्रदेश के अन्दर बहुत ट्रामा सेण्टर खोले गये हैं। मैं अपने ही विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के ट्रामा सेण्टर की बात बताता हूँ, जिसमें स्टाफ के लोग रह रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा है और वह पत्र माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मिल भी गया होगा। इस ट्रामा सेण्टर में एक भी डॉक्टर नहीं है। इसमें ई0एम0ओ0 तक नहीं है, जो इमरजेंसी में होना चाहिए, वह आज तक नहीं है। मान्यवर, कहा गया है कि भेड़ एवं बकरी पालन हेतु अलग मंत्रालय की स्थापना की जायेगी, जिससे कि प्रदेश के वृहद भू–भाग में इस पारम्परिक व्यवसाय को पुनर्जीवित कर उसका आर्थिक उन्नयन किया जा सके। मान्यवर, इस मद में बकरी पालकों को भूमि, बकरी खरीदने हेतु तथा सीड कैपिटल आदि हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें कहना चाहता हूँ कि आप यह मंत्रालय बकरी पालने को जो भी बना रहे हैं, खोल दीजिए न। मंत्रालय तो कल बँटने वाले हैं, अब कब करेंगे बँटवारा, आज 11वां दिन हो गया है। ग्यारह दिन तक तो आप किसी को मंत्रालय दे नहीं पाये हैं, हम भी यह देख रहे थे कि कहीं कोई मंत्रालय बँटेगा। मंत्रीगणों की स्थिति यह है कि सभी हमारे मित्रगण हैं। एक माननीय मंत्री जी का पत्र हमारे पास वापस आ गया है और इसमें कह दिया है कि चूँकि मेरे पास विभाग नहीं है इसलिए मैं इस पत्र का संज्ञान नहीं ले सकता हूँ। वह पत्र मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, यदि आप कहें तो उस पत्र को मैं आपको दे दूँ, जैसा आप उचित समझें। इस बजट का क्या औचित्य समझा जायेगा, बजट भाषण के पृष्ठ 13 पर लिखा है कि "प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमाऊँ में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जायेगा। गढ़वाल सम्भाग के भगवानपुर, जिला हरिद्वार तथा कुमाऊँ सम्भाग के जनपद पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जायेगी, यह मेडिकल कॉलेज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से स्थापित किये जायेंगे।" कितना भद्दा मजाक है, यह आपकी नई मदें हैं और इसके बारे में आप इस किताब में घोषणा कर रहे हैं, एक पैसा आप दिखा दीजिये, जो आपने नई मदों में जोड़ा है, कोई बजटरी प्रोविजन आपने किया हो। जो मैं कह रहा हूँ कि यह बजट सत्य से परे है, झूठ का पुलिन्दा है, अगर न कहें तो फिर क्या कहें। मान्यवर, यदि आपको असंसदीय भी लगे तो आपको अधिकार है, उसे बाहर निकालने का, यदि बोलने में कोई ऐसी बात हो जाय, नई मदों की बुक भी आपने हमको दी है, या तो आप किताब भी नहीं देते हमको। जब कहीं पर

आपने कोई प्रोविजन किया ही नहीं है, तो इसमें लिखने का क्या मतलब है, ऐसे लिखने से क्या होगा। पृष्ठ–17 पर आपने लिखा है कि 'राज्य के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, दिनांक 16 जून, 2013 को राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 3.28 लाख बैंक ऋणियों को बैंकों द्वारा ऋण भुगतान में एक वर्ष की मोरेटोरियम अवधि का लाभ प्रदान किया जायेगा।' मोरेटोरियम मतलब, मेरे हिसाब से आपने उस अवधि को फ्रीज कर दिया है या आपने एक साल के लिए उसकी वसूली रोक दी। यदि आपने एक साल की वसूली रोक दी तो यह तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, क्योंकि अगले साल तो उसने लेना ही लेना है, लेकिन इसके साथ ही आपने इसके ब्याज को भी फ्रीज करना चाहिये था। क्योंकि ब्याज तो मीटर की तरह घूम ही रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह रिजर्व बैंक के आदेश हैं, हमारे नहीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें बैंकों की किश्ते आनी प्रारम्भ हो गई हैं और बैंक मैनेजरों ने कहा है कि अगली बार आपको ब्याज समेत देना पड़ेगा। यदि गलत है तो इसके कोई स्टैंडिंग आर्डर्स होने चाहिये, क्योंकि यह लोन आपके खच्चर वालों ने लिया है, मैक्सी कैब चलाने वालों ने लिया है, घोड़े और ढाबे वालों ने लिया है, इसके स्पष्ट आदेश बैंकों को जाने चाहिये, यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठी हैं, वह वित्त मंत्री भी हैं, आप कह रही हैं कि यह गलत आया है, इसलिये इसकी लिखित चीजें जानी चाहिये ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिल सके। वैसे तो किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ, आपने पृष्ठ संख्या–14 के रेकेम्ड प्वाइंट में लिखा है कि "प्रदेश के पारम्परिक मेलों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तराखण्ड के 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु निःशुल्क यात्रायें सम्पन्न कराई जायेंगी।" चार धाम जाने वाले सारे रास्ते टूटे हैं, तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने इसमें देश के तीर्थ स्थान लिखा होता या देश के चार धाम लिखा होता, तो बात समझ में आती। आपने लिखा यहाँ के, यहाँ तो चार धाम अभी टूटे हुए हैं, रास्ते ध्वस्त हैं, लेकिन इसके लिए भी बजट का कोई प्रोविजन इसमें नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसी पृष्ठ में लिखा है कि "कुम्भ की भाँति कलियर शरीफ में भी अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु एक विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी, ताकि विश्व प्रसिद्ध कलियर शरीफ की गरिमा के अनुरूप ही इसका स्वरूप भी बनाया जा सके।" बनाई जायेगी, करेंगे, होगा, यह आपके शब्द हैं। मान्यवर, लेकिन इसके लिए भी आपने बजट में कोई प्रविजन नहीं

करा है। इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मान्यवर, पंजाबी एकेडमी आप बना रहे हैं, उर्दू और फारसी एकेडमी आप बना रहे हैं। आपने कहा है कलियर शरीफ में उर्दू एवं फारसी एकेडमी बनाएंगे। देहरादून में पंजाबी एकेडमी बनाएंगे। इसका भी कहीं बजटरी प्रोविजन नहीं है। संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकाण्ड की शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जायेगा। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्कृति के स्वरूप से उत्तराखण्ड में आने वाले देश एवं विदेशों के नागरिकों को भी लाभान्वित किया जायगा। लेकिन बजट में तो कोई प्राविधान है ही नहीं। या तो कट ऑफ डेट रख दें कि एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने कोई आश्वासन। खैर आश्वासनों का तो कोई पालन सरकार करती नहीं है इसलिए आश्वासन पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन कुछ तो आना चाहिए। प्रदेश के राज्य शिल्पियों, काष्ठ शिल्पियों, माटी–शिल्पियों एवं वृद्ध पुरोहितों, ग्रंथियों, मौलवियों एवं पादरियों हेतु एक विशेष पेंशन योजना संचालित की जायेगी। इसमें भी कहीं से कहीं तक बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। कहाँ से करेंगे आप ? जब आपने लिख ही दिया था तो पत्रकारों के लिए भी लिख देते। जब भी करते भविष्य में अगर इसको हम आश्वासन भी मान लें तो पत्रकार भी जो रात–दिन यहाँ काम करते हैं, मर खप कर काम करते हैं और निष्पक्ष रहते हैं, उनको झेलना भी पड़ता है, उलाहना भी झेलनी पड़ती है, कोई भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। अगर इसमें उनकी पेंशन का प्रोविजन भी कर देते तो आपकी वाहवाही होती। यद्यपि इसमें बजट का प्रोविजन कहीं से कहीं तक नहीं है, पैसा कहाँ से लायेंगे, यह आपने लिखा नहीं है। पेज नं0–25 पर आपने लिखा है कि नदियाँ अपने उद्गम के दिनों से ही हमारी संस्कृति, समृद्धि, आर्थिक गतिविधियों की वाहक रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। मुख्य नदियों एवं उप नदियों की घाटियों में स्टेट हाईवे की तर्ज पर सड़कों का निर्माण किया जायेगा। कब किया जायेगा ? इस साल किया जायेगा या अगले बजट में फिर जायेगा, अगली बार हम फिर यही किताब पढ़ेंगे। इसलिए कोई स्पेसिफिक इसमें चीज नहीं है। बजट में कहीं इस किताब के अन्दर प्रोविजन नहीं है, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ। जो आपने कहा कि हम इतने कॉलेज खोल देंगे और इतने हम नर्सिंग हाउस खोल देंगे, वो सारी की सारी चीजें वो पहले ही, मैंने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी के जमाने में स्वीकृत हैं, स्वीकृत पड़ी हुई हैं। उनका पैसा भी स्वीकृत हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो उत्तर भाषण देते समय माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी देंगे, उसको हम स्वीकार कर लेंगे, अगर कहीं कोई गलत बात हमने कही होगी तो। मान्यवर, कुपोषण के बारे में बहुत बढ़िया बात कही है कि हम कुपोषण को हटा देंगे। पृष्ठ संख्या–16 पर मैं आपको बताता हूँ कि सरकार कितना अच्छा बजट प्रस्तुत कर रही है। पृष्ठ संख्या–16 का चौथा बिन्दु उत्तराखण्ड के कई क्षेत्रों के निवासी प्रोटीन की कमी तथा अन्य आवश्यक खनिजों की कमियों के कारण कुपोषण आदि के शिकार

रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस समस्या के निदान हेतु प्रत्येक जनपद के सर्वाधिक कुपोषण वाले एक ब्लाक को चिकित्सा विभाग द्वारा चिन्हित किया जायेगा। कब किया जायेगा चिन्हित, एक ब्लाक होगा। राशन की दुकानों से ऐसे क्षेत्रों को प्रति राशन कार्ड दो किलो नमक तथा एक किलो सामान्य दाल, एक किलो पर्वतीय दाल, यानि कि कुपोषण दूर करने के लिए दो किलो नमक और दो किलो दाल बाजार वाली और एक किलो पहाड़ की दाल उपलब्ध कराई जायेगी। चिन्हित किया जायेगा, एक ब्लाक किया जायेगा और ऊपर लिखा है कि उत्तराखण्ड के कई क्षेत्र प्रोटीन की कमी से कुपोषण के शिकार हैं। एक ब्लॉक को चिन्हित करेंगे, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे, कोई न समय सीमा है, न बजट में आपने कोई प्रोविजन किया है। इसीलिए मैंने कहा कि "और कुछ हो या न हो आकाश की छाती तो है, फिक्र नहीं अब कोई उपलब्धियों के नाम पर।" इसलिए मैंने यह आपकी कविता पढ़ दी है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब जवाब देंगे तो तैयार रहियेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसको तो अब मैंने नीचे रख दिया है। दो किलो नमक, कुपोषण, 95 ब्लाक। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सब उत्तर देंगे, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बजट के बारे में थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ। आपने बजट की किताब में कुल प्राप्तियाँ दिखाई हैं 29825.16 करोड़ की और कुल व्यय आपका है 30353.78 करोड़ राजकोषीय घाटा जो मैंने हिसाब लगाया था वह है 528.62 करोड़, जो हम ऋण चुका रहे हैं, उसमें हम जो समझे हैं मूलधन की वापसी की किश्त, जो मूलधन होगा उसकी जो किश्त साल भर की दे रहे हैं, वह है 1757.79 करोड़ और जो मूलधन पर ब्याज दे रहे हैं, वह 2947.93 करोड़, यानि कि जो हम कुल दे रहे हैं, मूलधन की किश्त के रूप में वापस कर रहे हैं, जो हमने ऋण चुकाना है और जो मूलधन पर ब्याज देना है, वह मिलाकर हमारा हो गया है 4705.72 करोड़, वेतन एवं भत्ते राज्य कर्मचारियों को दे रहे हैं 8538.11 करोड़ और सहायता प्राप्त कर्मचारियों के वेतन भत्ते वगैरा दे रहे हैं 6056.84 करोड़, पेंशन, ग्रेच्योटी इत्यादि हम दे रहे हैं 2424.48 करोड़। इस तरह हमारे कुल खर्चा हुआ 11618.43 करोड़ रुपया। यह हमारा सारा खर्चे में जा रहा है। मूलधन की वापसी, ब्याज की वापसी, वेतन भत्ते, सहायता प्राप्त कर्मचारियों का मिला करके 11618 करोड़ तो ये गया और 4705 करोड़ रुपया आपका मूल धन

की वापसी में गया। आपकी कुल आय हुई 29 हजार करोड़, इसमें 16 हजार करोड़ तो आपका निकल गया। बाकी आपकी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 13–14 हजार करोड़ में आप क्या करेंगे ? इधर आपने 18 हजार करोड़ की तो घोषणा कर दी। आप कहाँ से प्रबन्ध करेंगे ? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी किश्त जाने वाली है ऋण की 4705.72 करोड़, ये किश्त देने का प्राविजन कहाँ से करेंगे। क्योंकि बजट में हमने कहीं से आय का नहीं लिखा है कि हम आय कहाँ से करेंगे। बिना आय का तो बजट नहीं चलता। ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है जहाँ से इसकी भरपाई करेंगे। सरकार पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को बताये, सबको इसकी चिन्ता है कि ऋण चुकाने के लिए और बजट घाटे को कम करने के लिए और जो हमने बजट घाटे को कम करना है, राजकोषीय घाटा कम करने के लिए हमारी कौन सी नीति है, इसका भी बजट में कोई प्राविधान नहीं है। इसमें न तो हमने कोई गैर जरूरी खर्चे काटे हैं और न कोई कर लगाया है। मान्यवर, कर न लगायें बहुत अच्छी बात है, चुनावी वर्ष होने के कारण न भी लगायें और कर लगना भी नहीं चाहिए। आपने जो वैट घटाया है वह रंगों और पिचकारी पर, कितने लोग हमारे यहाँ पिचकारी और रंग खेलते हैं। जो कैबिनेट में आकर के आपने दोबारा लगाया है, उस पर आपने घटाया है। मैं कहता हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं।

आप तहसीलों की स्थापना कर रहे हैं। आपके वहाँ डी0एम0 नहीं है, आपके वहाँ एस0डी0एम0 नहीं है, आपके वहाँ दफ्तरी नहीं है। आप तहसील पर तहसील खोले जा रहे हैं। पहले एक तहसील में दो–तीन विकास खण्ड आते थे, आज एक विकास खण्ड में दो–तीन तहसील आ रही हैं। मान्यवर, प्रशासनिक इकाईयाँ खुलनी चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। परन्तु उनके लिए बजट में प्रोविजन, उनकी व्यवस्थाओं के लिए प्रोविजन होना चाहिए। मान्यवर, एक एस0डी0एम0 तीन–तीन जगह की कोर्ट देखता है, वही एस0डी0एम0 रानीखेत में है, वही द्वाराहाट में है और वही भिक्यासैंण में है। अगर वह तीन जगह देखेंगे तो क्या काम होगा ? तो फिर उस प्रशासनिक इकाई का क्या मतलब हुआ और पहले व्यक्ति को पता होता था कि हमारी तहसील उस जगह पर है और वहाँ जायेंगे, हमको हमारा मूल निवास प्रमाण–पत्र मिल जायेगा। अब तो और दुविधा हो गई कि यदि हम भिक्यासैंण में गये तो वहाँ के कर्मचारी कह देंगे की यहाँ कोई नहीं है और हमारे एस0डी0एम0 साहब रानीखेत गये हैं और तीन दिन तक वहाँ पर रहेंगे तो वह बेचारा तीन दिन के बाद आयेगा। फिर उसने कहा आज तो नहीं हैं, वह चौखुटिया में बैठे हैं और तीसरे दिन कहा वह गोपेश्वर बैठे हैं और फिर कहा थैलीसैंण बैठे हैं। आखिर क्या व्यवस्था इस प्रदेश को दे रहे हैं ? इस तरह से हम छोटी इकाई खोलते हैं तो उनकी व्यवस्था भी करनी बहुत जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह अपनी व्यवस्था को चुस्त और दुरस्त करे। आपने आकस्मिकता निधि से बिना हाउस की परमीशन के पैसा ले लिया और कम भी नहीं लिया। (व्यवधान) और आप के ही बजट के आंकड़े बता रहे हैं और आपकी कमियाँ गिना रहे हैं। इस निधि से आपने पहले ही पैसा ले लिया। मान्यवर,

आपने 160 करोड़ रुपये चालू निर्माण कार्यों के लिए पहले ही ले लिये हैं और आज उसकी मांग कर रहे हैं और 8 करोड़ रुपये पुलों के निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए ले लिया है और प्रदेश के मार्ग, पुलियों के अनुरक्षण के लिए उस निधि से 20 करोड़ रुपये ले लिये हैं और सड़क, भवन, पुल आदि हेतु, भूमि अधिग्रहण करने हेतु आप पहले 10 करोड़ रुपये ले चुके हैं और जिला योजना के लिए 50 करोड़ रुपये आप पहले ले चुके हैं। केदार विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के लिए 50 करोड़ रुपये आप पहले ले चुके हैं। जब यह सारा पैसा ले चुके हैं तो अब आपको समायोजित करना है इस बजट में, अगर आप राज्य आकस्मिकता निधि से कोई फण्ड लेते हैं तो उसकी प्रतिपूर्ति कहीं से न कहीं से करनी पड़ेगी और यह स्थिति सरकार की है।

बेरोजगारों के लिए आपने बड़े–बड़े सब्जबाग दिखाये हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, इससे पहले मैं बजट की एक कमी और बताना चाहता हूँ कि होमवर्क बजट में किस तरह से किया है ? बहुत शोर हुआ कि हमने इसका वार्षिक आकार बढ़ा दिया है और हर साल बढ़ाते जा रहे हैं। आप कितना ही बढ़ा दें, अगर वह पैसा जमीन पर नहीं उतरा तो उसका क्या फायदा ? किसी प्रदेश के विकास का मापदण्ड जिले से और गाँव से होता है और वह पैसा जब जाता है तो वह जिला प्लान के माध्यम से जाता है और 30 से 35 प्रतिशत तक का पिछला बजट अभी तक खर्च नहीं हुआ है और वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 का भी यही हाल था और वर्ष 2014–15 में बजट फिर आप आवंटित कर रहे हैं। यह कैसे खर्च करेंगे और काम करेंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है ? वर्ष 2012–13 में कृषि एवं एलाइड क्षेत्रों के लिए 699 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, लेकिन उसमें खर्च हुआ 459 करोड़ रुपये यह कृषि जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस विभाग में तो शत–प्रतिशत खर्च होना चाहिए था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2013–14 में 712 करोड़ रुपये का फिर से प्राविधान कर दिया था। आखिर होमवर्क करने की आवश्यकता थी। इस मद में जिसमें खर्च नहीं हुआ, उसमें समायोजित कराना चाहिए था, जो पिछला पैसा था। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। वर्ष 2012–13 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु 711 करोड़ रुपये के सापेक्ष 388 करोड़ रुपये ही खर्च हुए और आपने फिर उसमें 868 करोड़ रुपये दे दिये। जब खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं तो यह पैसा क्यों ले रहे हैं और इसका आकार बढ़ाने में क्या फायदा है ? जमीन पर पैसा लग ही नहीं रहा है और प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है।

मान्यवर, इसलिए जब आप होमवर्क करके बजट ठीक तरीके से नहीं बना पा रहे हैं और बजट का पैसा जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, बजट का प्रोविजन आप नहीं कर रहे हैं, वाह वाही लूटने के लिए बजट भाषण में कई बातें कह दे रहे हैं, तो प्रदेश का भला कैसे होगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। मान्यवर, बेरोजगारी के बारे में आपने कहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे, मैं कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मैंने बेरोजगारी के आंकड़े सरकार से मांगे, पिछली बार भी मांगे थे और संशोधन करने के बाद

संशोधित आंकड़े बेरोजगारी के आये हैं। मैं जनपदवार पढ़ रहा हूँ, जनपद अल्मोड़ा में बेरोजगारों की संख्या 65742 है और इसमें लाभार्थी 1074 हुए हैं, जिनको आपने सह कौशल भत्ता दिया है, तो इसका प्रतिशत 1.63 आता है, यह रोजगार सह कौशल विकास भत्ते के अन्तर्गत 09 नवम्बर, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक का है, इसे 09 नवम्बर को लागू कराया। मान्यवर, 31 दिसम्बर, 2013 तक नैनीताल में 74307 बेरोजगार पंजीकृत हैं और 3454 लोग लाभार्थी हैं, जिसका प्रतिशत 4.65 है, पिथौरागढ़ में पंजीकृत बेरोजगार 56944 हैं, जिसमें 2811 लोग लाभार्थी हैं, जिसका प्रतिशत 4.9 है, ऊधमसिंह नगर में 75477 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसमें 2761 लोगों को लाभ मिला है और जिसका प्रतिशत 3.65 है, बागेश्वर में 25967 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसमें 623 लोगों को लाभ मिला है, जिसका प्रतिशत 2.4 है, चम्पावत में 19714 हैं, जिसमें 785 लोगों को लाभ मिला है, जिसका प्रतिशत 4 है, देहरादून में 140706 पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिसमें 2667 लोगों को लाभ मिला है, जिसका प्रतिशत 1.9 है मान्यवर, देहरादून जो इतना बड़ा जिला है, जिसमें 1.9 प्रतिशत लोगों को मिल रहा है। टिहरी में 56952 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 1544 लोगों को मिल रहा है, जो 2.71 प्रतिशत है। उत्तरकाशी में 32421 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर 3456 लोगों को मिल रहा है। मान्यवर, यह मैंने पूरे उत्तराखण्ड के बेरोजगारों को जो सहकौशल भत्ता दे रहे हैं, उसकी एक तस्वीर सामने रखी है, ताकि सरकार इससे कोई सबक ले सके। मान्यवर, कैसी विडम्बना है एक लाख लोगों में से एक प्रतिशत लोगों को यह देहरादून में मिल रहा है। मान्यवर, यहाँ पर बेरोजगारों के साथ कैसा भद्दा मजाक किया जा रहा है और अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, उससे पूरा सदन भी सहमत नहीं है।

मान्यवर, सरकार ने कुछ दिन पहले एक शासनादेश निकाला कि हम सारे लोगों को, जिसमें उपनल के कर्मचारी भी सम्मिलित थे, जो करीब–करीब 14439 हैं, लगभग 15 हजार के बीच हैं और इसमें स्पेसिफिक तौर पर भी कहा कि उपनल के लोगों को भी हम इसमें समायोजित करेंगे, नियमित करने जा रहे हैं। इसमें सरकार की बड़ी वाहवाही हुई, तालियाँ बजीं, लोगों ने जिन्दाबाद भी किया। लेकिन कल जब विज्ञप्ति निकल गई, तब सबकी आँखें खुली की खुली रह गईं कि जिन पदों पर उपनल के कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे हैं, उन पदों के विपरीत सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल दी। मान्यवर, जब विज्ञप्ति निकाल दी, जैसे ही उनका चयन होगा तो जो कर्मचारी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, वे तो ऑटोमैटिक ही बाहर हो जायेंगे, स्वतः बाहर हो जायेंगे तो बेरोजगारों के लिए कोई स्पष्ट आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं आया है। मान्यवर, एक विज्ञप्ति अभी पुलिस की भी निकली है, जो 04 फरवरी, 2014 को निकाली गई है। यह विज्ञापन सारे अखबारों में निकाला गया है। इस विज्ञापन में पुलिस विभाग द्वारा कहा जाता है कि उत्तराखण्ड पुलिस में आरक्षी और फायरमैन के 440 पदों पर विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है परन्तु इस हेतु जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 15 जून, 2013 से पूर्व जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत होंगे, वही लोग फार्म भर

सकते हैं। मान्यवर, 16 जून से आपदा आई और आप कह रहे हैं कि 15 जून से पहले पंजीकृत लोग फार्म भरेंगे। मान्यवर, इसके बाद भी लोगों ने पढा होगा, लोग पास भी हुए होंगे और यह तो आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए और भी खतरनाक बात है, वहाँ के लड़के जिन्होंने हाईस्कूल और इण्टर किया होगा, वे आरक्षी और फायरमैन के पद पर अप्वाइंट होना चाहते हैं, उनका तो आपने अवसर ही खत्म कर दिया है। मान्यवर, इस प्रकार छः माह पूर्व रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य कर देने से प्रदेश के कई युवाओं को जिन्होंने उक्त तिथि के बाद सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराया है, उनका तो भविष्य ही अंधकारमय हो गया है, उनकी एक अपोर्चुनिटी सरकार ने ले ली है और दुबारा जब इंस्पेक्टर के लिए आपने पद निकाले हैं, अभी दो–तीन दिन पहले तो उसमें से यह शर्त हटा दी। यह बहुत ही खतरनाक बात है, आखिर यह किसने कर दिया है, आज की तिथि में तो सारे डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। क्या इतनी गम्भीर बात को मंत्रिमण्डल के साथी यद्यपि उन्हें विभाग नहीं मिले हैं, क्या उत्तराखण्ड का दर्द उनको नहीं है, क्या इसमें संशोधन नहीं होने चाहिए।

मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी प्रेषित कर दिया है और उसमें साफ लिखा है "मान्यवर, अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पुलिस में आरक्षी और फायरमैन के 440 पदों पर विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, किन्तु इस हेतु जारी विज्ञप्ति में विभाग द्वारा अभ्यर्थियों हेतु सेवायोजन कार्यालय में 15 जून, 2013 से पूर्व पंजीकृत होने की शर्त रखी गई है। इस प्रकार छः माह पूर्व रोजगार दफ्तर में पंजीकरण अनिवार्य कर देने से प्रदेश के कइ युवाओं, जिन्होंने उक्त तिथि के बाद सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराया है। वह उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, उत्तराखण्ड पुलिस में भर्ती होकर राज्य की सेवा करने का उनका सपना अधूरा रह जायेगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि विभाग द्वारा जिस तिथि को विज्ञप्ति जारी की जाती है, अभ्यर्थी को उक्त तिथि से एक दिन पूर्व की तिथि तक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य होता है। किन्तु उत्तराखण्ड पुलिस हेतु जारी विज्ञप्ति की तिथि से छः माह पूर्व ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण को अनिवार्य कर कई युवाओं को इस हेतु आवेदन करने से ही वंचित कर दिया गया है, जो प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के साथ घोर अन्याय ही नहीं, बल्कि उनके भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ भी है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित पुलिस भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में रखी (विज्ञप्ति की तिथि से छः माह पूर्व ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण) अनुचित शर्त को संशोधित करते हुए विज्ञप्ति तिथि से एक दिन पूर्व की तिथि तय किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य के साथ अन्याय न हो।"

मान्यवर, यह किसने बना दिया, क्या इसको देखने वाला कोई नहीं है ? सरकार को इतना भी ध्यान नहीं रहा, सरकार अपने आप में मस्त रही, यह नहीं देखा गया कि हमारे नवयुवकों का कितना अहित हो जायेगा, आखिर यह शर्त

क्यों लगाई गई? जब हमने जगह-जगह से इस बारे में आवाज उठानी प्रारम्भ की तो बाद में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई, उसमें यह शर्त हटा दी गई। आखिर हम किसको एडजस्ट करना चाहते हैं, क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है, यह कोई हल्की-फुल्की बात नहीं है, यह यहाँ के बेरोजगारों के लिए सरकार की मंशा है, इसलिये मैंने आपको यह बताना उचित समझा कि किस तरह से यहाँ पर बेरोजगारों के साथ मखौल किया जा रहा है और मजाक किया जा रहा है।

गैरसैंण राजधानी, राजधानी के मुद्दे पर मैंने आपसे पहले कहा था और आपके माध्यम से सरकार को आगाह किया था। 14 जनवरी, 2013 को जब विधान भवन का शिलान्यास हो रहा था तो मैंने उस दिन भी कहा था, जहाँ आप राजधानी करना चाहें, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप यहाँ पर यह भी बताईये कि यहाँ पर आप ग्रीष्मकालीन राजधानी खोल रहे हैं, पक्की राजधानी खोल रहे हैं या कच्ची राजधानी खोल रहे हैं, शीतकालीन खोले रहे हैं, कुछ तो बता दीजिये। लेकिन सरकार निरूत्तर रही और उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह आप भी रहे और मैं भी रहा और हुआ क्या, जो पैसा वहाँ के लिए रिलीज किया गया, उससे अभी तक एक भी ईंट नहीं लगी है। दोबारा आपको भूमि पूजन करने वहाँ जाना पड़ा, सम्भवतः एक ईंट आप लगा आये होंगे। उसके बाद भी तब से आज तक कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। पिछली बार बजट में आपने अनुपूरक में 25 लाख रुपया रायपुर में विधान भवन के लिए मांगा था, मैं इसे माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वह भी अभी तक हुआ या नहीं, मुझे नहीं मालूम है, छोटा सा राज्य, जिसमें एक करोड़ की भी आबादी नहीं है और तीन-तीन विधान भवन, एक जिसमें हम यहाँ पर बैठे हैं, एक में हम रायपुर में बैठेंगे और एक में हम गैरसैंण जायेंगे, कुछ दिन पिकनिक मनाने के लिये। यह इस प्रदेश की स्थिति है और यह प्रदेश का विकास हो रहा है। (व्यवधान) मैं यही तो कह रहा हूँ कि राजधानी नहीं है, जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, यह खाली विधान भवन है। यह तर्क किसी को नहीं सूझता है कि कल को राजधानी कब बनेगी। आप चाह क्या रहे हैं, एक छोटे से प्रदेश में आप तीन-तीन विधान भवन बना रहे हैं।

गैरसैंण में जब कैबिनेट की बैठक की गई, हमारा मानना है कि उस बैठक में 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ है, यह तो उत्तर भाषण में सरकार बतायेगी। लगभग 10 करोड़ रुपया शिलान्यास और कैबिनेट की बैठक में खर्च हुआ है और वहाँ पर ईंट भी नहीं लग पाई। मैंने आज सुबह भी कहा था। मान्यवर, गैरसैंण की एक दिन की कैबिनेट बैठक के भोजन में 02 लाख 21 हजार रुपये का खर्च किया गया, जिसका भुगतान गढ़वाल मण्डल विकास निगम को आज तक नहीं किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ इस सदन के सामने रख रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ, कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है और इसकी इन्क्वायरी भी करा लें, आज तक उनको पेमेन्ट नहीं किया गया। गैरसैंण में विधान भवन के शिलान्यास हेतु 01 लाख 99 हजार का भुगतान मुझे लगता है कि विधान सभा को करना पड़ा।

सरकार ने वो भुगतान भी नहीं दिया जहाँ तक मेरा ख्याल है। 01 लाख 99 हजार का भुगतान शिलान्यास के दिन उसमें पाण्डाल था और चीजें थीं, ये सारी चीजें थीं। अब रही सरकार के वहाँ जाने की बात, सरकार तो हवा हवाई हो गई है। नीचे तो जाते ही नहीं, हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, उस दिन भी हेलीकॉप्टर से ही गये, नीचे सड़क मार्ग से एक या दो मंत्रीगण गये, बाकी गये नहीं और कुछ मंत्रीगण तो वहाँ पहुँचे ही नहीं। तो इस तरह से जो जनता की गाढ़ी कमाई है, वो कैसे खर्च हो रही है, वो मैंने आपको आज यहाँ पर गैरसैंण की बात बता कर, आपके सामने रखना चाहा। सबसे बड़ी बात यह है कि कल फिर सरकार ने इसी तरह से जो आर्थिक मामले का बजट है तो उनका खर्चा कैसे हुआ, 18 सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कल किया, हो गई बात आज सुबह भी आ गई, सारी चीजें आ गई, लेकिन हमारी जानकारी में जो खर्चा आया है 04 करोड़ रुपये मीडिया पर खर्च हुआ है, प्रचार–प्रसार पर, हैलीकॉप्टर का 05 करोड़ रुपये, अधिकारियों का पेट्रोल, जो जिलेवार आये हैं, उसमें 01 करोड़ रुपये, समस्त अधिकारियों का एक दिन का वेतन 01 करोड़ रुपये, जितने वेतन पर लगे थे दो–तीन दिन से लगातार तैयारियों पर लगे थे, पत्थर लिखाई एक पत्थर की कीमत 06 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक की है और बहुत फाईन किस्म का पत्थर वहाँ पर लगाया गया है। वो भी करीब–करीब 98 हजार लगभग 01 करोड़ रुपये का है, पाण्डाल एवं भोजन, नाश्ता, खाने और अन्य चीजों पर पानी–वानी पीने पर 50 लाख रुपये इसका भी खर्च आया। 12 करोड़ 50 लाख रुपये, हमारी कैलकुलेशन कहती है कि इतना खर्चा आया। उत्तर भाषण देते समय सरकार बताये कि वास्तविक खर्चा जिलेवार क्या आया। अगर हमारी इन्फारमेशन गलत है, कम बाकी है तो हम इसको बैक कर जायेंगे, लेकिन इतनी चीजें हमारे पास अभी तक जो आई हैं, वो खर्चे में आई हैं।

सरकार को बताना चाहिए कि शिलान्यास, लोकार्पण के प्रचार–प्रसार पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, कितनी धनराशि आने–जाने पर, तेल–ईंधन पर खर्च हुई, कितनी धनराशि पत्थर लिखाई पर खर्च हुई, कितनी धनराशि हेलीकॉप्टर पर खर्च हुई। मान्यवर, मुझे नेता प्रतिपक्ष मेरी पार्टी ने और प्रदेश की जनता ने बनाया है, अल्मोड़ा मेरा मूलतः जिला होता है, मुझे सरकारी सूत्रों से खबर आनी चाहिए थी। मैं यहाँ बैठा हूँ, वैसे भी जब सत्र चलता है, तब ऐसे लोकार्पण और शिलान्यास नहीं किए जाते हैं और न ही कोई मीटिंग रखी जाती है जिलों में, क्योंकि विधायकगण यहाँ पर अपने काम में रहते हैं। पहले दिन सत्र खत्म हुआ, दूसरे दिन शिलान्यास। सारे मंत्रीगण मान्यवर, सारी सरकार हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह पर गई और जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, वहाँ हमारे माननीय विधायक गये और लोग नहीं जा पाये तो ऐसी स्थिति में एक दूरभाष पर हमको भी तो कोई खबर आनी चाहिए थी। नेता सदन ही कह देते कि आप अल्मोड़ा के रहने वाले हैं आप भी वहाँ खड़े होईये, हम खुशी–खुशी जाते, हमको कोई इन्फारमेशन आती, हमारे अधिकांश विधायकों को खबर नहीं गई। (व्यवधान) उनको भी ले गये। वो तो

सत्ता पक्ष के माननीय विधायक होने के कारण आपको लाभ मिल गया। आप पौड़ी भी उड़े उसी हेलीकॉप्टर से, यह भी पता है मुझे। हम तो कह रहे हैं कि अल्मोड़े में जो माननीय मंत्री जी गये थे, हमको भी कह देते चलो तो हम नहीं जाते क्या, हम भी जाते। तो मान्यवर, इतना खर्चा, इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई को जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, यह प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है, प्रदेश के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है।

मान्यवर, आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश की बात आई, यह पूरा देश जानता है कि 06 जो हमारे यहाँ पर एम्स खोले गये, इसके लिए हमको माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी को बधाई देनी चाहिए। मान्यवर, और साथ में सुषमा स्वराज जी को बधाई देनी चाहिए और जो खण्डूड़ी जी जो उनसे खींच के लाये, माँग के लाये कि इसको लाइये। हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रमेश पोखरियाल जी उनको बधाई दी जानी चाहिए। इन लोगों ने कहा कि एक हमारे यहाँ दीजिए। उत्तराखण्ड राज्य बहुत छोटा राज्य था, नवोदित राज्य था, इस पर केन्द्र की नजर बहुत कम जाती है। जैसे केन्द्र की नजर आज नहीं गई, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 8 हजार करोड़ रुपया हमारी सरकार ने माँगा। हम भी इस पर सरकार के साथ कन्धे से कन्धे मिलाकर चलते हैं। एक नया ढेला नहीं दिया गया है और सरकार ने बजट में भी प्रोविजन नहीं किया है कि किस तरह से हम इनको पुनर्वासित करेंगे। सरकार बताये, अगर आपने 8 हजार माँगा था पुनर्निर्माण के लिए यानि दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए, इसमें एक नया पैसा नहीं दिया गया। इस तरह से कम नजरें हमारी प्रदेश की ओर आती हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ अटल जी को, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ और उनके दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सुषमा स्वराज जी, खण्डूड़ी जी और निशंक जी को, आपने 06 एम्स इतने बड़े राज्य में जहाँ तीन-तीन सौ, चार-चार सौ सीटें हैं, वहाँ नहीं दिया, उत्तराखण्ड जैसे राज्य को दिया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)-

मान्यवर, जो सदन के मेम्बर नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, अगर झूठ है तो बतायें। जिस एम्स के बारे में इतनी बड़ी बात हो रही है। वह डेढ़ साल से चल रहा है और उसका लोकार्पण आज किया जा रहा है। उसमें लड़के पढ़ने लग गये हैं। उसका आज दूसरा साल लग चुका है। यह सरकार की उपलब्धियों में है। अच्छा हुआ हर साल चुनाव से पहले कर्णप्रयाग और ऋषिकेश रेल लाइन का उद्घाटन, टनकपुर, बागेश्वर रेल लाइन की बातें सुर्खियों में आती थीं। गौचर की हवाई पट्टी पर रेल लाइन उद्घाटन की तख्ती आज भी लगी है। अच्छा हुआ इस सरकार को सद्भावना आई, अभी

तक नहीं कर रखा है, 10 दिनों में कहीं और न कर दें। पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो लगातार–लगातार यहीं पर रेल लाइन के उद्घाटन होते रहे हैं, ये तमाम बातें ऐसी हैं। माननीय सदस्य जी ने मुझको एक बात में रोका था कि पिथौरागढ़ के बारे में मैंने बताया कि दो करोड़ साठ लाख रुपये वहाँ पर मोस्टामानो, चन्डाक में, वहाँ के बेस हॉस्पिटल के लिए खर्च हो चुका है और उसको रेशम विभाग में अंतरित कर दिया गया है। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर सदन में हों तो कृपया बता भी दें। फिर उन्होंने बाहर मुझसे कहा इसका कोई भी उद्घाटन वहाँ पर नहीं हुआ। अगर इसका दोबारा शिलान्यास नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ कि इस सदन के पटल पर माननीय विधायक पिथौरागढ़ खड़े होकर कह दें कि कोई शिलान्यास नहीं हुआ है। अगर वह कह दें तो मैं उसको वापस ले लेता हूँ। मेरा तो इतना ही कहना था कि पिथौरागढ़ में बेस हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी के जमाने में माननीय निशंक जी ने उद्घाटन किया और माननीय प्रकाश पंत जी ने उसकी अध्यक्षता की। 260 करोड़ से इसको बनना था और बजटरी प्रॉविजन हो गया। 2 करोड़ 60 लाख रुपया आ भी गया। अब भविष्य में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था सोची गई थी, इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया। इसमें कोई विवाद भी नहीं था। मैंने अभी पिथौरागढ़ फोन करके बात की तो उन्होंने बताया कि कोई विवाद नहीं था, मैंने कहा मेरे मुख से कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। माननीय विधायक जी ने मुझे लॉबी में बताया, उसका तो उद्घाटन हुआ ही नहीं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अफसोस की बात है हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं सामने कोई मंत्रीगण नहीं हैं। पहले तो नेता सदन को यहाँ पर होना चाहिए था।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह व्यवस्था का सवाल भी इसलिए उठता है कि आखिर माननीय नेता सदन हो या माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो वह सारे के सारे एक से ले करके हर विभाग को छूते हैं। मान्यवर, इधर की संख्या देख लें और उधर की संख्या देख लें और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने लोगों को तो बिठायें, तब तो उनका कुछ करने का मन होगा। इस सरकार को इतनी भी फुरसत नहीं है कि इतना बड़ा सदन चल रहा है और यहाँ पर माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और कोई भी मंत्री सदन में न हो, मुझे इसमें बहुत आपत्ति है। इस दिशा में हम आपका संरक्षण चाहेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण इसमें भी चाहेंगे कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हों तो इनके दल के लोग तो यहाँ पर बैठ जायं और सब बारी–बारी से चले गये हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, हमारे दल के लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, इसमें सरकार के दल के लोगों को सुनने की जरूरत है। श्रीमन्, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप निर्देशित करें की सारे लोग सदन में आयें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जहाँ तक निशंक जी का यह प्रश्न है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पहली बात तो यह कि सम्मानित वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा बातें उठाई जा रही हैं, उनका संज्ञान लिया जा रहा है और हम लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को न तो मंत्रियों पर भरोसा है और न ही मंत्रियों को मुख्यमंत्री पर भरोसा है। सदन चल रहा है और बजट पेश हो रहा है और कौन विभाग किसके पास है, यह पता ही नहीं है। श्रीमन्, यह एक गम्भीर विषय है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे तो कहीं जानबूझकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास तो किसी के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है। (हँसी) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने यह कहकर ठीक कहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय नेगी जी अपनी घर की स्थिति को देखकर ठीक कह रहे हैं। (हँसी) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात को अब समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो माननीय निशंक जी ने कहा वह गम्भीर बात तो है ही और हमने तो बोलना है ही यहाँ हों या बाहर हों। हमने तो रिकॉर्ड में दर्ज करना है और वह दर्ज हो रही है। लेकिन सवाल यह है, जिस सदन में आप बैठे हो या जिस पीठ पर आप बैठें हों और आपके साथ यह नियम होता हो,

अगर नेता प्रतिपक्ष बोलता हो और मैं अपने मुख से यह कहना नहीं चाह रहा था और लोग कहेंगे कि ये खुद ही बात कह रहे हैं। जब उस विभाग के अधिकारी ही न हों तो संज्ञान कौन लेगा ? वह जमाने तो लद गये हैं, जहाँ श्री नारायण दत्त तिवारी जी और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी रात दो–दो बजे तक किस विधायक ने क्या–क्या कहा वह पढ़ते थे और लोगों को बताते थे और यहाँ किसको बताने की फुरसत है, चाहे पूर्व नेता सदन हों या चाहे आज के नेता सदन हों और दोनों के आपसी संघर्ष में अपने–अपने पैर फंसे हुए हैं और उनकी लड़ाई चल रही है। मैं पिथौरागढ़ की बात बता रहा था तो उसका माननीय निशंक जी द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2010 में शिलान्यास किया गया और तत्कालीन जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री एवं पेयजल मंत्री जी थे श्री प्रकाश पन्त जी ने अध्यक्षता की है और 2 करोड़ 60 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से रिलीज हुआ, जो आज खर्च हो चुका है और उनके पास एक पैसा भी बचा नहीं है और उस जगह पर लग गया और जो 4 किमी0 दूरी पर है, वहाँ पर लग गया था। अब रेशम विभाग की जमीन पर पुनः इसका कल शिलान्यास कर दिया गया है। माननीय विधायक जी अगर आ गयें हों तो कृपया आप सदन में कह दें कि नहीं किया गया है। तो सदन उनको सत्य कहने का संज्ञान ले लेता है और हम सत्य मान लेंगे और उन्होंने कहा कि किया ही नहीं है। (माननीय विधायक श्री हरीश धामी बैठे–बैठे अपनी बात कहने लगे।) (व्यवधान)

मान्यवर, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि नहीं किया गया और दूसरे माननीय विधायक, धारचूला के कह रहे हैं कि किया गया है। क्योंकि वह सुविधा बाजार की नहीं थी। (व्यवधान) वह पिथौरागढ़ के लिए सुविधा नहीं थी। आपका जो संयुक्त हॉस्पिटल खुलता है, वह रैफरल हॉस्पिटल का काम करता है। मान्यवर, डीडीहाट, मुन्स्यारी, धारचूला, बेरीनाग से और तमाम जगहों से लोग उसमें आते हैं, रैफर किए हुए केस उसमें आते हैं, मैं माननीय विधायक को यह भी बता दूँ कि पिथौरागढ़ के लिए जिला चिकित्सालय बीच रास्ते में है, जहाँ पर उल्का देवी का मन्दिर है, जहाँ पर प्राइमरी की शिक्षा मेरी हुई है तो मैं समझता हूँ कि उल्का देवी के मन्दिर के सामने थोड़ा नीचे बहुत बड़ा जिला चिकित्सालय है, इसका जिला चिकित्सालय से मतलब नहीं था यह तो रैफरल हॉस्पिटल है, तो आप कह रहे हैं कि हो गया और माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि नहीं हुआ। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारा प्रदेश है। इसको ठीक से सजाना–संवारना पूरे सदन की जिम्मेदारी है। जहाँ गल्तियाँ हो रही हैं उसको उजागर करना विपक्ष का काम है और सही काम करना ट्रेजरी बैंच का काम है, इसलिए जो 2 करोड़ 60 लाख रुपये का खर्चा हो गया है, तो मेरी चिन्ता का विषय है कि उसको कैसे वसूल आप करेंगे। आपने दूसरी तरफ कर दिया और माननीय मंत्री, मेडिकल एजुकेशन सुन रहे होंगे अपने चेम्बर में, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर बी0एस0ई0 नर्सिंग खोल रहे हैं, तब लेंगे, यह और भी खराब बात है क्योंकि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेण्ट अलग–अलग

डिपार्टमेण्ट है, या तो एक ही मंत्री जी के पास होते, दोनों अलग–अलग हैं, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सामने बैठे हैं और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री दूसरे माननीय मंत्री जी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, वर्तमान में एक ही मंत्री हैं और वे हैं माननीय मुख्यमंत्री। थोड़ा संशोधन कर लें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, संशोधन कर लिया, मैं आपकी अंतरवेदना को समझ रहा हूँ, वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा गलत किया है, कल एक मंत्री जी ने एक पत्र वापस कर दिया और कहा कि मेरे पास विभाग न होने की वजह से पत्र लौटाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, डेढ़ घण्टा हो गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, थोड़ा सा और रह गया है। मान्यवर, सरकार ने शिलान्यास किया, पिथौरागढ़ का एक नमूना मैंने दिखाया, माननीय निशंक जी उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, वे शिलान्यास करके आ गये और श्री प्रकाश जी उसकी अध्यक्षता करके आ गये और नई सरकार ने फिर एक शिलान्यास की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ दी, एक नम्बर जोड़ दिया कि हमने इतनी चीजों का कर दिया है, यदि ऐसे ही शिलान्यास पूरे प्रदेश में हुआ है तो यह प्रदेश गया गर्त में। अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए, विभाग तक तो माननीय नेता सदन दे नहीं पा रहे हैं और कहते हैं कि मैंने इतने करोड़ के काम कर दिये हैं। खुद कुछ दिन पहले माननीय नेता सदन महोदय ने कहा था कि मैं भजन कीर्तन करता हूँ, अब तो भजन कीर्तन का वक्त आ गया है। प्रदेश का विकास कार्य बिल्कुल ठप हो गया है। जब वो हरिद्वार के सांसद के रूप में थे और केन्द्रीय मंत्री थे, अरे जब विकास कार्य ठप हो गया था तो 09 दिन में आते ही आपको कौन सा अलादीन का चिराग लग गया कि आपने 1 हजार 8 सौ करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया, इस पर ट्रेजरी बैंच से कोई माननीय सदस्य अभी नहीं बोलेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत ही सम्मानित और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन वकील भी हैं, ज्ञानी तो हैं ही लेकिन वकालत बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने कीर्तन–भजन करने की बात की तो आदरणीय नेता सदन के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वो वास्तव में बहुत

कीर्तन और भजन करते हैं, भगवान के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, सुबह और शाम निश्चत रूप से करते हैं तो उसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, फिर आपकी अन्तरवेदना टपकी है और फिर से कह रहे हैं, वास्तव में आप सही कह रहे हैं, यह तो नहीं बताया कि वास्तव में 09 दिन में काम किया, भजन कीर्तन करने वाले हैं, हवा हवाई हैं, यह अपनी बातों से आपने साबित भी कर दिया है। तो मैं आभारी हूँ कि आप हमारी बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो मैं यह बता रहा हूँ कि 09 दिन में कौन सी बातें हो गई, मेरे क्षेत्र में एक रोड है एरोब, जो कि बन गई है और उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, उसका कल शिलान्यास हो रहा है, तो मैं ताज्जुब कर गया कि हे प्रभु, हम कैसे इस प्रदेश को चलायेंगे, हे भगवान, इसको बचाओ, इस प्रदेश को कैसे चलायेंगे मान्यवर, यदि मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे भी कहता कि अल्मोड़ा शिलान्यास में मत जाईये। मैं आपको भी रोकता, क्योंकि कल आपको भी इसका भागीदार बनना है। मेरे क्षेत्र में तो तमाम ऐसी बातें हो गई हैं, जिनका शिलान्यास अब हो रहा है, परन्तु जो सड़कें तीन साल पहले बन चुकी हैं और इन पर गाड़ियाँ भी घुर्र–घुर्र घूम रही हैं। मान्यवर, कल कुछ नगर पंचायतें घोषित हो गईं। कितनी अजीब बात है कि मैं अभी कुछ दिन पहले माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा जी के विधान सभा क्षेत्र गैरसैंण गया था तो मेरे सामने सबसे पहले वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष ने एक ही डिमांड रखी कि साहब कलम–दवात रखने वाली एक कुर्सी–मेज हमें दिलवा दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि यह अभी तक नहीं आया है, तो इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि साहब हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया है। मान्यवर, नगर पंचायत, पुरोला, नगर पंचायत, गैरसैंण, नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़, नगर पंचायत, पोखरी, नगर पंचायत, ऊखीमठ, नगर पंचायत, गंगोलीहाट, नगर पंचायत, अगस्तमुनि, नगर पंचायत, कपकोट, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक बनी थीं, ये 09 नगर पंचायतें बनी थीं, वर्ष 2011–12 में हमने खोली थीं। जब यह सरकार आई तब यह नगर पंचायतें कार्यरूप में आई, तब चुनाव हुआ। मान्यवर, इनके बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, दरी नहीं है और इनका चेयरमैन कहाँ बैठे, यह कुछ व्यवस्था नहीं हुई है। मान्यवर, पूरा प्रोविजन करके सरकार बदल गई। लेकिन पुरानी सरकार की जिम्मदारियों को निभाना नई सरकार की जिम्मदारी होती है। नई सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

इस सरकार ने हमारी सारी अच्छी योजनाओं को काट दिया है। हमारी सरकार द्वारा चलाई गई पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना को काट दिया, अटल आवास योजना को काट दिया, लोकपाल बिल को काट दिया, स्थानान्तरण एक्ट को समाप्त कर दिया, चार जिले काट दिये। इस तरह से तमाम हमारी अच्छी योजनाओं को काट दिया। इस सरकार की कोई अच्छी टेंडेंसी नहीं है। हम कहते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार कोई अच्छा कार्य करती है और यदि भारतीय जनता पार्टी

की सरकार आयेगी तो सहर्ष उन्हें लागू करेगी। मान्यवर, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पुरानी सराकार के अच्छे कार्यों को खारिज किया जाय। केन्द्र में भी ऐसा नहीं होता है। पुरानी सरकार की योजनाओं को लागू करना नई सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छी परम्परा नहीं पड़ रही है। मान्यवर, यहाँ पर सात नई नगर पंचायतें बना दी गई हैं। नगरपालिका परिषद् मुनि–की–रेती, ढालवाला (टिहरी गढ़वाल), नगर पंचायत, घनसाली (टिहरी गढ़वाल), नगर पंचायत, बेरीनाग (पिथौरागढ़), नगरपालिका, शिवालिक नगर, टिहरी विस्थापित (हरिद्वार), नगर पंचायत, भगवानपुर (हरिद्वार), नगर पंचायत, बनबसा (चम्पावत), नगर पंचायत, सतपुली (पौड़ी) बना दी हैं। यानि कि 09 पहले बनी थीं और 07 अब बन गई हैं, इस तरह से कुल 16 नगर पंचायत और नगरपालिका परिषदें हो गई और इनके बैठने के लिए चेयर तक की व्यवस्था नहीं है। आखिर हमारा क्या दृष्टिकोण है, नगर विकास की बात हम कर रहे हैं। यह कोई हँसी–मजाक की बात नहीं है। मान्यवर, मैंने अभी 08 दिसम्बर को एक पत्र लिखा है कि जनपद चमोली के भ्रमण के दौरान एक प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला और भेंटकर अवगत कराया कि सरकार द्वारा 08 दिसम्बर, 2011 को गैरसैंण को नगर पंचायत बनाये जाने की अधिसूचना होने के बाद और दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने पर नगर पंचायत, गैरसैंण अस्तित्व में नहीं आ रही है, जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति घोर असंतोष एवं आक्रोश है।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है। ट्रामा सेण्टर खोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं हैं, दवाईयाँ सड़ रही हैं, दवाईयों की डेट एक्सपायर हो रही है। माननीय मंत्री जी, भले आदमी हैं, विटामिन लेते हैं और उत्तर भी प्यार–प्यार में भला–भला दे देते हैं, थोड़ा नाराज भी नहीं होते हैं, लेकिन विभाग तो खत्म कर दिया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र रानीखेत के लिए मैंने ई0एम0ओ0 के लिए माननीय मंत्री जी को दस बार लिख दिया है कि एक ई0एम0ओ0 दे दो, एक गायनोकोलॉजिस्ट दे दो, यहाँ पर चमोली जिले के सारे पेशेंट आते हैं, बागेश्वर से रैफरल सेंटर के रूप में वाया सोमेश्वर होते हुए लोग आते हैं, सल्ट से, स्याल्दे से लोग आते हैं, नैनीताल जिले के बेताल घाट से भी लोग रानीखेत रैफरल सेंटर में आते हैं, भिक्यासैंण से भी लोग आते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं दिया है। माताएँ, बहिनें प्रसूति पीड़ा से चिल्लाती रहती हैं, डॉक्टर कहते हैं हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हैं। लोग हल्द्वानी और अल्मोड़ा भागते हैं। आखिर हम क्या सुविधा दे रहे हैं, जनकल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को हम कहाँ पर साकार कर पा रहे हैं। मान्यवर, डॉक्टर के मामले में हालत खराब हैं, मैं एक–एक जिले का बताता, लेकिन आप शार्ट करो कह रहे हैं, तो डॉक्टर्स में 140 में से 112 पद आपके चमोली जिले में खाली हैं, जो कि एक आपदाग्रस्त क्षेत्र है, मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, यदि आपकी इजाजत है तो इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। मेरे यहाँ ट्रामा सेंटर में लोग रह रहे हैं, यही हालत सभी जगह की है। तो

आखिर हम प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हैं, हम कितनी ही घोषणायें कर दें। अब रही जिलों की बात चार जिले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषित किए, पी0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, इन्होंने राजस्व आयुक्त को लिखा है, जिलाधिकारी पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी और उत्तरकाशी। विषय–सुगम प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत जिलों के आकार को कम करते हुए यमुनोत्री, कोटद्वार, रानीखेत तथा डीडीहाट जिलों के गठन के संबंध में। जिले घोषित कर दिये गये, 08 दिसम्बर, 2011 को इनका जी0ओ0 भी हो गया। उस समय माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री थे, मैंने इनका हाथ पकड़कर करवाया था कि मान्यवर, जब आप अन्य जगहों का कर रहे हैं तो रानीखेत को भी कर दीजिये, क्योंकि पचास साल पुरानी मांग है। माननीय निशंक जी ने कहा कि यार वहाँ पर विद्रोह भी होगा, इसका कार्यालय आदि कहाँ पर होगा, मैंने कहा की एक ही जगह के लोग हैं, आप रानीखेत नाम से जिला दे दो, काम कहीं से भी हो, हम सबको पटा लेंगे, कहीं हम ग्रीष्मकालीन ऑफिस खोल देंगे और कहीं शीतकालीन खोल लेंगे। क्योंकि यह छोटा राज्य है, ऐसी परम्पराएँ यहाँ पड़ गई हैं। हमने कहा आप दे दीजिये और निशंक जी ने बड़ी कृपा करके हमको चार जिले दिये। लोग कहते हैं, आपने जिले नहीं बनाये तो हम कहते हैं कि अगर जिले नहीं बनाये तो इन्होंने खारिज कैसे किए ? (व्यवधान) मेरी बात आ जाने दीजिये। आपने 17 मई, 2012 को जिले खारिज कर दिये, मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि चार ही नहीं और भी जिले बनाईये, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करिये, कमिश्नरी बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिये आप तत्काल रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार और यमुनोत्री जिले की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उन्होंने कोई औचित्य खत्म नहीं किया, आपके शासनादेश ने उनको खारिज किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जनपद रुद्रप्रयाग की हालत और भी खराब है। 81 श्रेणी ख के डॉक्टर हैं, इसमें से 62 पद खाली हैं, 19 ही काम कर रहे हैं, मेरे आँकड़ों के आधार पर संशोधित कर लीजिये, कम–बाकी भी हो सकते हैं, यह आपदाग्रस्त जिले हैं। मान्यवर, मैं गलत नहीं कह रहा था, मैंने शिलान्यास संबंधी योजनाओं का प्रारूप डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े से अभी फैक्स से मंगवा लिया है। मुझे माननीय विधायक जी ने यह कहा था। मान्यवर, थोड़ा सा ऐसा होता है कि वकालत किया हुआ आदमी बिना प्रूफ के नहीं बोलता है। मुझे भी एकदम से झस्स कहते हैं हमारे यहाँ, घबराहट हुई कि मैं कहीं गलत तो बात नहीं कह गया हूँ। तो इसमें आ गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 17वें नम्बर पर है पिथौरागढ़ बेस चिकित्सालय भवन का निर्माण,

इसका शिलान्यास हुआ है कल। शिलान्यास की लिस्ट आ गई है। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे कि नहीं हुआ, पहले आपने कहा कि हो गया, लेकिन मैं सदन के सामने गलत नहीं था, मैंने अपने को प्रमाणित भी कर दिया। मान्यवर, मैं आपके दर्शन के लिए, 17 नम्बर पर अगर आप देखना चाहें तो देखकर वापस कर दीजिए। (तत्पश्चात् उपरोक्त पत्र माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करा दिया गया।) तो कहने का मतलब है कि आपके सामने अवलोकनार्थ दे दिया, इसको शिफ्ट कर दिया गया, दुबारा शिलान्यास कर दिया गया, इस सदन में दिखा दिया मैंने। माननीय निशंक जी ने जिसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और ये पत्र अभी पिथौरागढ़ से मैंने मंगाया जिलाधिकारियों से, अगर यही शिलान्यास हुए हैं तो फिर हो गया बंटाधार, गई भैंस पानी में। इसलिए मान्यवर, मैंने जो कहा कि यह बजट झूठ का पुलिन्दा है और इसमें कुछ भी नहीं है, अस्पतालों की हालत मैंने बता दी। अल्मोड़ा जिले में अस्पतालों में, अस्पतालों की स्थिति और बता रहा हूँ माननीय मंत्री जी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, दो घंटे हो रहे हैं, दो घंटे।

श्री अजय भट्ट–

बस खत्म कर रहा हूँ मान्यवर, सर वैसे तो यह चार घंटे का समय है। मैं प्रिविलेज भी हूँ आपकी कृपा से मुझे बोलने के लिए आपने संविधान में भी और नियमावली में भी नेता प्रतिपक्ष को आप देते हैं जगह, लेकिन आप अगर बैठो कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, मान्यवर, मैं एक निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि अस्पतालों की हालत कैसी है और डॉक्टर्स कैसा कर रहे हैं। अल्मोड़ा में चूँकि आपका आवास भी वहीं है, आप जानते हैं पत्रकार यूनियन, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष पी0सी0 तिवारी जी की पत्नी श्रीमती मंजु तिवारी, जो पुरातत्व विभाग में अधिकारी थीं। रात्रि के समय उनको हॉस्पिटल ले जाया गया इमरजेन्सी में। देखा तो वहाँ डॉक्टर था ही नहीं। जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो उस समय वहाँ से गायब था। उनके बेटे ने कहा कि मेरी माँ को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं गैस का है, उन्होंने खुद भी कहा कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसे सिम्टम हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है, आप देखिये, उन्होंने कहा नहीं गैस का है, आप दवा लीजिए और गैस का है कहा, उसके बाद उनको घर भेज दिया। घर पहुँच कर उनकी मृत्यु हो गई। उनको हार्ट अटैक था और जो आदमी वहाँ था, वो डॉक्टर था ही नहीं, वो डॉक्टर नहीं था, एक साधारण सा व्यक्ति था, कोई होम्योपैथ का कम्पाउण्डर या जो भी था। मैंने इसके लिए उच्चस्तरीय जाँच की मांग करी थी

मान्यवर। यह हमारे जिले का मामला है, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ, जिस जिले में मैं निवास करता हूँ और जिस जिले में आप भी निवास करते हैं। जब यह हालत स्वास्थ्य की है, इतनी लापरवाही डॉक्टर्स करेंगे क्यों, क्योंकि ऊपर से हनक नहीं है, सरकार की हनक नहीं है, पता लगना चाहिए था, रात-रात में सर्वेक्षण होने चाहिए थे। हम भी इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे, गद्दे फूंकवा दिये थे, जब इतने बड़े कीड़े पड़े थे मसूरी में लप-लप-लप-लप, हमने कहा फूंको गद्दे लाओ यहाँ। उस दिन से सारा प्रदेश चौकन्ना हो गया था। मैं उत्तरकाशी को जाता था, हल्द्वानी के डॉक्टर चौकन्ने रहते थे, मैं हल्द्वानी को जाता था तो रुद्रप्रयाग के डॉक्टर चौकन्ने रहते थे कि कहीं भी प्रकट हो जायेगा। आखिर कौन देखेगा; मॉनीटरिंग करने की ड्यूटी किसकी है, ये हालत है स्वास्थ्य की मान्यवर।

पटवारियों की हड़ताल की वजह से जो हालत हुई, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति आपको पता है। 05 सितम्बर को देहरादून के जिला होम्योपैथी अधिकारी डा0 जे0 पी0 शर्मा की पत्नी श्रीमती राजेश शर्मा की दिन दहाड़े हत्या, हत्यारे का पता नहीं, 10 सितम्बर को तेग बहादुर रोड जैसे पॉश इलाके में किरायेदार ठेकेदार सत्येन्द्र सैनी की पत्नी नीरू सैनी की दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी, हत्यारों का कुछ पता नहीं। 08 अगस्त को रात्रि में राजपुर रोड के इलाके में एक मंत्री जी के पूर्व पी0आर0ओ0 की हत्या और पॉश इलाका और दिन दहाड़े ईद के दिन, जिस दिन चप्पे-चप्पे पर पुलिस रहती है और उसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। 12 सितम्बर को मसूरी में मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल में मेरठ के स्वास्थ्य अधिकारी के बेटे निशांत की हत्या, पहले खुदकुशी सरकार ने बताया, बाद में जब शव का दुबारा मेरठ में पोस्टमार्टम किया गया, पीट-पीट कर हत्या होना बताया, उसका अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया। मान्यवर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास के समीप नग्न युवती की कटी लाश और उनको चैलेन्ज, जो करते हो कर लो, कानून व्यवस्था तो देख ली, काशीपुर में सर और हाथ काटकर ले गये, उसकी सरेआम हत्या कर दी। बड़कोट की युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी, पुलिस थाने के समीप ही 100 मीटर की दूरी में, उसके हत्यारे नहीं पकड़े गये। हरिद्वार की दीपा पुत्री पप्पू जसवन्त, लेबर कॉलोनी, उसकी हत्या और बलात्कार, उसका भी कोई पता आज तक नहीं लगा और पथरी हरिद्वार की घटना 13 वर्षीया छात्रा से बलात्कार, वह सुबह के समय शौच को जा रही थी, उसकी हत्या, उसका आज तक पता नहीं लगा है। पुरोला तहसील में अभी हाल में बी0ए0 की छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद पेट्रोल डालकर हत्या, बीस दिन बाद उसका राड़ी टॉप में अधजला शव मिला, उसके हत्यारे का पता नहीं।

मान्यवर, बी0एड0 प्रशिक्षित जो लोग थे उनकी विज्ञप्ति आनी थी, माननीय मंत्री जी ने निकाल दी है या नहीं निकाली, मैं नहीं जानता हूँ। मार्च के बाद विशिष्ट बी0टी0सी0 वाले हमारे छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में वह आ ही नहीं सकते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बी0एड0, टी0ई0टी0 पास बेरोजगारों के बारे में कहा है। इस पर सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि पद बढ़ाये जायेंगे। जो पद हमारे पास खाली हैं, उन पदों की विज्ञप्ति की बात हो गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्योंकि पद तीन, साढ़े तीन हजार हैं और आप दो या ढाई सौ निकालने जा रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 980 पद हमारे पास, जो पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग के वह पद निकले और जो डिमान्ड है, क्योंकि 31 मार्च तक जिन्होंने टी0ई0टी0 पास बी0एड0 प्रशिक्षितों ने किया, उससे पहले उनको नौकरी देने की बात है। कैबिनेट के माध्यम से यह तय हो चुका है कि पदों का सृजन किया जायेगा। पाँच हजार पद पुनर्जीवित किये जायेंगे, यह तय हो चुका है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, राज्य सैक्टर का, जिला सेक्टर का पैसा जमीन पर नहीं लगना। सिडकुल व टी0एच0डी0सी0 की भूमि का घोटाला। टी0एच0डी0सी0 में कुछ सत्ता पक्ष के ताकतवर लोगों ने नियमों को विपरीत दिशा में रख करके, नियमों को ताक पर रखके, कुछ लोगों को जमीन एलॉट करा ली। क्योंकि जो जिलाधिकारी टिहरी है, वही आपके पुनर्वास आयुक्त भी होते हैं। उन्होंने जब जमीन दे दी और हल्ला गुल्ला हुआ, उधर से पावरफुल लोग सत्ता पक्ष के थे, उन्होंने जमीन अपने नाम करा ली, अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली, उसे बेचने का सौदा हो गया। बात बहुत बढ़ी, हमने उठाया, आपकी कृपा से सदन में उठाया और बाहर भी उठाया और टी0एच0डी0सी0 को हमने लक्ष्य किया कि इन लोगों ने दे दी। तो टी0एच0डी0सी0 खुद हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह तो बहुत गम्भीर मसला है और आप सी0बी0आई0 इन्क्वायरी के लिए हमको पत्र दीजिए। जब यह खलबली मची तो सरकार कितनी चालाक है, सरकार ने जल्दी से एक इन्क्वायरी बिठाई और वह पट्टे निरस्त कर दिए। यद्यपि स्टेट का भला हो गया और वह निरस्त हो गया, लेकिन अपराध तो हो गया। वह अपराध जिसने किया, वह बड़ा मगरमच्छ आज तक पहुँच से बाहर है, पकड़ा नहीं गया है। मंत्रियों की खींचतान अपने रिश्तेदारों को बिना एन0ओ0सी0 लिये हुए विभाग में उच्च प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना। कभी कोई महिला, कभी कोई पुरुष। आखिर इस प्रदेश में किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ाई चलती रहेगी। जब ध्यान किसी महिला की ओर और किसी पुरुष की

ओर जायेगा तो विकास की ओर कहाँ ध्यान जायेगा। कितनी गम्भीर बात है, यह सब यहाँ होता रहा है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोनलकारियों के मामले में, उच्च न्यायालय में पैरवी ठीक से नहीं हुई और सर्वोच्च न्यायालय में भी पैरवी ठीक से नहीं हुई। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसमें पुनः एस0एल0पी0 लगाई जाये और समझाया जाय कि वास्तविकता इसमें क्या है। हम आज आन्दोलनकारियों के बदौलत पक्ष और विपक्ष बने हैं। इसलिए दोबारा से इनके मामले को उखाड़ा जाये। डेन्टल सर्जन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, क्या जरूरत थी इनको फिजीशियन बनाने की। लोग निकल गये थे, 100 पोस्ट थी या 150 पोस्ट थी, आपने कह दिया एज फिजिशियन हम इनको भेज रहे हैं। वह डेन्टल सर्जन थे, हाईकोर्ट में प्राइमाफेसी पहली हेयरिंग में ही मामला उड़ गया। आप धोखाधड़ी कर रहे हो, जो डेन्टल सर्जन हैं, उनको आपने फिजीशियन बता दिया, इससे हमको घाटा हो गया। मान्यवर, आप डेन्टल सर्जन ही कह देते और कोई डॉक्टर तो मिलता हमको, तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं होती। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय भट्ट जी ने अभी कहा है। (व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी इसी समय इसमें जवाब दे रहे हैं, इनको भरोसा नहीं हैं कि भविष्य में जवाब अलग–अलग देने का हमको मौका मिलेगा, क्या ऐसा है ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं सभी के जवाब अभी दे देता हूँ, जो माननीय भट्ट जी ने बात कही है। (व्यवधान) उन्होंने अनुमति दी है इसलिए मैं खड़ा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त भी कर रहा हूँ। प्रदेश के व्यापारी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 को लागू न करने की बात कह रहे हैं। इसमें सरकार को अपना जवाब क्लीयर करना चाहिए कि वह क्या चाहती है। क्या व्यापारियों का संरक्षण चाहती है ? या उनका शोषण चाहती है ? इस बात को भी मैं आपके उत्तर भाषण में चाहूँगा और देहरादून के राजीव क्रीड़ा स्थल में प्रतीक रिजोर्ट और बिल्डर द्वारा अवैध तरीके से आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है। जो कि वहाँ पर सरकारी जमीन है। उसमें उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। वरन कागजों की हेराफेरी ने ऐसा साबित कर दिया है जैसे की यह जमीन इसी बिल्डर की होगी। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। अल्मोड़ा के चितई मोटर मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है और सरकार सड़कों को ठीक

करने की बात कहती है और उसमें कई हादसे हो गये हैं। इस बारे में आपको भी पता होगा, अभी एक युवक की मोटर साइकिल उसमें घुस गई और जिसकी उसी स्थान पर मौत हो गई। महंगाई से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। केन्द्र सरकार ने गैस की कीमत कम तो की किन्तु सब्सिडी के बाद के सिलेंडर में और अब उनको याद आ रही है चुनाव के समय में कि सब कुछ दे दो और इससे पहले याद नहीं आई। पहले निर्विवाद रूप से गैस मिलती थी, आज 40–40 गैस सिलेंडर लगा दे रहे हैं और गाँव से लोग आ रहे हैं शहरों में और कहा जा रहा है कि आज सिर्फ 40 सिलेंडर हैं। वह आदमी दूसरे दिन फिर आ रहा है और उससे कहा जा रहा है कि 40 ही सिलेंडर हैं और अभी आपका नम्बर नहीं आया है। इस तरह से लोगों का आधा पैसा तो आने–जाने में ही खर्च हो रहा है। इसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है।

मान्यवर, आज तक औद्योगिक पैकेज के लिए कोई बात नहीं हुई है और अच्छी बात है कि माननीय नेता सदन प्रदेश के लिए चिन्तित हैं और दो–दो बजे तक नहीं सो रहे हैं, वह कह रहे हैं और भगवान करे कि आप उठे रहें और चौकन्ने रहें और चौकीदार की तरह आप सेवा करते रहें और हम भी आपसे कुछ सीखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप कुछ दिन पहले मिल जुलकर करते और इससे पूर्व के नेता सदन, आप मिलकर केन्द्र सरकार पर जाते तो बहुत चीज ले आते और आप तो अच्छी जगह पर थे। लेकिन इसके लिए आपने कोई उत्कृष्ट प्रयास नहीं किया। क्योंकि माननीय नेता सदन कभी न कभी, किसी न किसी पद पर रहे हैं। आपने केन्द्र में श्रम एवं रोजगार और जल संसाधन मंत्रालय में कार्य किया है तो कितने बेरोजगार लोगों को आज तक रोजगार दिया, आप अपने उत्तर भाषण में दे दें और उन तक मेरा संदेश पहुँचा दें। मान्यवर, सब कुछ ठीक–ठाक नहीं है। मैं अपने भाषण को समाप्त करने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि सरकार बहुत इतरायें नहीं और सरकार ठीक से काम करें, विपक्ष उनको रचनात्मक सहयोग देगा। सरकार जिस तरीके से कर रही है उसका उत्कृष्ट नमूना यह लिफाफा है। मान्यवर, हमको दिन में तीन बजे बुलाया गया था कि आएं, हमारे नये माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह है, हम तीन बजे से महामहिम राज्यपाल जी के अगल–बगल, बंगले में घूमते रहे। वहाँ पता चला की 22 लोग अलग बैठे हैं और शेष लोग अलग बैठे हैं और बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उस दिन कई लोगों को इधर–उधर होना पड़ा और बड़ी मुश्किल से माननीय नेता सदन सायं 6:30 बजे अपनी शपथ ले पाये। इसलिए सारी चीजें ठीक नहीं हैं और ठीक नहीं होने का एक प्रमाण और देता हूँ, जब सारे मंत्री वही रख दिये हैं, यानी सारे चेहरे वही हैं और एक ही चेहरा बदला गया है तो उनको भी विभाग वही दे देते। मान्यवर, आज ग्यारहवां दिन है और ग्यारह दिन तक इस प्रदेश का कोई रखवाला नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है और कोई मंत्री के पास फाइल नहीं जा रही है। कोई मंत्री इसमें अथॉराइज्ड नहीं किए हैं और यदि कोई फाइल जा भी रही है तो वह लौट जा रही है और ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि हम फाइल किस मंत्री को दें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दे रहे हैं। वहाँ ढेर लग जा रहा है, तो वहाँ पर वही फाइलें हो रही हैं, जिसमें माननीय नेता सदन और कुछ मंत्रीगण इन्ट्रेस्टेड हैं, उसके अलावा नहीं हो रही हैं।

मान्यवर, मैं इसलिए इस बजट का पूरी तरह से विरोध करता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार अभी भी चेते, आगे

समय है और समय रहते सरकार नहीं चेती तो इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए इसमें आपका संरक्षण भी चाहिए और जो प्वाइंट मैंने इसमें बोले हैं उसका उत्तर भाषण में एक-एक करके उत्तर आना चाहिए और जहाँ पर निर्देश देने की आवश्यकता है खुले मन से कृपा करके निर्देश देने की कृपा करेंगे, इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि अगले दिन बजट भाषण ले लीजिए क्योंकि आज फाइनेंस कमीशन भी आया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बजट पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम-53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री राजकुमार, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री सरवत करीम अन्सारी, श्री महावीर सिंह रांगड़ तथा श्री चन्दन राम दास की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से मैं माननीय सदस्य श्री महावीर सिंह रांगड़ की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण तथा डामरीकरण के लम्बित प्रस्तावों के सम्बन्ध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना, जो विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में मछोड नामक स्थान पर तहसील की मांग के सम्बन्ध में है, को नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद बागेश्वर में ए0डी0बी0 द्वारा 02 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य न किये जाने के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)-

[ए0डी0बी0 वित्त पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तृतीय चरण के लिए 89 कार्यों, जिसमें जनपद बागेश्वर के 06 मोटर मार्ग भी सम्मिलित हैं, की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 28.06.2012 द्वारा प्रदान की गई। दिनांक 03.10.2012 को प्रकाशित निविदा सूचना में जनपद बागेश्वर से सम्बन्धित कार्यों की निविदाओं के ऑन लाइन प्रकाशन की तिथि 25.10.2012 तथा निविदा प्राप्ति की तिथि 27.11.2012 थी। ए0डी0बी0 से स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 02.10.2013 को चयनित ठेकेदार को अनुबन्ध गठित करने हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत किए गए थे। बिड डॉक्यूमेंट की शर्तानुसार चयनित ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध

नोटः-[ ] ये अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु परफोर्मेन्स सिक्युरिटी परियोजना निदेशक कार्यालय में समयान्तर्गत प्रेषित नहीं किए जाने के कारण बिड डॉक्यूमेंट की शर्तों का उल्लंघन होने के फलस्वरूप प्रमुख अभियन्ता के पत्र दिनांक 22.01.2014 द्वारा ठेकेदार सी0ई0सी0एल0 इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उत्तराखण्ड राज्य में 10 वर्षों के लिए किसी भी निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया गया। पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु ए0डी0बी0 से दिनांक 23.01.2014 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में दिनांक 29.01.2014 को पुनः ऑन लाइन निविदा प्रकाशित की गई है तथा निविदाएँ 01.03.2014 को प्राप्त की जानी हैं। निविदा प्राप्ति के उपरान्त उन्हें ए0डी0बी0 से शीघ्र स्वीकृत कराकर निर्दिष्ट कार्य कराये जायेंगे।

2. वर्तमान में जिला बागेश्वर में उक्त निर्दिष्ट मार्गों सहित कतिपय मार्गों के सुधारीकरण कार्य गतिमान हैं। निर्दिष्ट मार्गों में से ही काफलीगैर–झिरौली–देवलधार–पौड़ीधार मोटर मार्ग एस0पी0ए0 मद के अन्तर्गत स्वीकृत कि0मी0 01 से 06 में पैच मरम्मत का कार्य लागत ₹ 14.77 लाख, प्रगति पर है तथा शेष लम्बाई में पैच मरम्मत हेतु अनुरक्षण कार्य प्रस्तावित है। इसी प्रकार, बागेश्वर–कपकोट–तेजम राज्य मार्ग के कि0मी0 01 से कि0मी0 10 तक पैच मरम्मत हेतु 8.47 लाख की स्वीकृति एस0पी0ए0 मद में प्रदान की गई है और कि0मी0 01 से 06 तक पैच मरम्मत का कार्य कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु समय–समय पर जिलाधिकारी स्तर से भी आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा मोटर मार्गों को विभागीय गैंग एवं डोजर/जे0सी0बी0 मशीन द्वारा वर्ष भर कच्चे पैच एवं गड्ढा भरान का कार्य कराकर यातायात हेतु सुचारू रखा जा रहा है]

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत आई0टी0आई गैंडाखाल के निर्माणाधीन भवन का कार्य पूर्ण करने के संबंध में श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[कृपया विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–53 के अधीन आपके द्वारा दिनांक 06.02.2014 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गैण्डाखाल के भवन निर्माण के संबंध में चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गैण्डाखाल वर्तमान में किराये के भवन पर संचालित है। उक्त संस्थान के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि ₹ 168.74 लाख के सापेक्ष ₹ 110.00 लाख की धनराशि

नोटः–[ ] से अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान तक 67.147 लाख की धनराशि व्यय की गई है। अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम के स्तर पर है। कार्यस्थल के समीप विद्युत विभाग द्वारा लाइनों से सम्बन्धित कार्य किए जाने एवं जून, 2013 में दैवीय आपदा के कारण कार्य प्रभावित रहा। कार्यदायी संस्था द्वारा वर्ष, 2013 में उक्त कार्य का पुनरीक्षित आंगणन उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य किये जाने तथा अवशेष कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, प्रकरण पर तत्काल अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। अतः कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 05 बजकर 54 मिनट पर दिन बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून : जगदीश चन्द्र,

दिनांक : 11 फरवरी, 2014 सचिव, विधान सभा,

उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–*8 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–18 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित माननीय सदस्य विधान सभा, श्री मदन कौशिक द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–*8 के उत्तर का संलग्न विवरण

1. पिछड़ी जातियों हेतु संचालित योजनाएँ:–

(1) पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना।

(2) पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति।

(3) पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास।

(4) अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।

2. अनुसूचित जातियों हेतु संचालित योजनाएँ:–

(1) अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना।

(2) अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति।

(3) अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना।

(4) अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति योजना।

(5) पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति।

(6) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की अन्तिम परीक्षा पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग व्यवस्था।

(7) ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशाला संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासकीय वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक अथवा आवर्तक अनुदान दिया जाता है।

(8) राजकीय औद्योगिक आस्थान का संचालन।

(9) अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन।

(10) अनुसूचित जातियों हेतु आई0टी0आई0 की स्थापना।

(11) आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन।

(12) अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन।

(13) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों की बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान।

(14) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

(15) गौरादेवी कन्याधन योजना।

(16) अटल आवास योजना।

(17) विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, शिल्पी ग्राम योजना, स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना, टर्म लोन योजना।

(18) अनुसूचित जाति के इंजिनियरिंग व मैडिकल संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र–छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए जाने की योजना।

3. अनुसूचित जनजातियों हेतु संचालित योजनाएँ:–

(1) कक्षा 01 से 10 तक छात्रवृत्ति।

(2) दशमोत्तर कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति।

(3) राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय।

(4) राजकीय जनजाति छात्रावास।

(5) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

(6) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कालसी (देहरादून)।

(7) गौरादेवी कन्याधन योजना।

(8) पुत्री की शादी एवं बीमारी हेतु अनुदान।

(9) अटल आवास योजना।

(10) परीक्षा पूर्व कोचिंग।

(11) जनजाति उपयोजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता।

(12) आदिम जनजाति (बंक्सा एवं राजी) का विकास।

(13) जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना।

(14) शिल्पी ग्राम योजना।

(15) स्वरोजगार अंशपूँजी (उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित)

(16) संविधान के अनुच्छेद, 275(1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता।

(17) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

(18) अनुसूचित जनजाति के इंजिनियरिंग व मेडिकल संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र–छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किये जाने की योजना।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–24 पर)

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में छोटे, बड़े प्राइवेट तथा धर्मार्थ पंजीकृत चिकित्सालयों की सूची:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पंजीकृत चिकित्सालय का नाम
1	2	3
1.	देहरादून	दून चिकित्सालय, देहरादून पं0 दीन दयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून एस0पी0एस0 चिकित्सालय, ऋषिकेश अशोक एक्स–रे एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, न्यू रोड, देहरादून भण्डारी हॉस्पिटल, केनाल रोड, देहरादून चौहान हॉस्पिटल, विकासनगर, देहरादून सोनम एक्स–रे एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश वैश्य नर्सिंग होम, देहरादून आशीर्वाद हॉस्पिटल, देहरादून सिंह अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर एण्ड एक्स–रे, आराघर, देहरादून निशा नर्सिंग होम, इन्दिरा नगर कॉलोनी, देहरादून सबदेवा अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, नेशविला रोड, देहरादून नेगी सर्जिकल सेन्टर, आराघर, देहरादून लूथरा पैटरनिटी एण्ड इन्फर्टिलिटी सेन्टर, 58 चकराता रोड, देहरादून दून नर्सिंग होम, हरिद्वार रोड, देहरादून लूथरा नर्सिंग होम, देहरादून चन्द्रा हॉस्पिटल, कोलागढ़, देहरादून माँ कालिका विजय एक्स–रे एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, मच्छी बाजार, देहरादून सावित्री नर्सिंग होम, देहरादून रेवती नर्सिंग होम, देहरादून किरान्ती नर्सिंग होम, देहरादून 8, इन्दर रोड, देहरादून आहूजा पैथोलॉजी एण्ड इमेजिंग सेन्टर, देहरादून सैनी आई0वी0एफ0 एण्ड फर्टीलिटी रिसर्च सेन्टर, देहरादून बिग नं0 5 मंदिर, गुरुद्वारा गली, प्रेम नगर, देहरादून सामु0 स्वा0 केन्द्र, विकास नगर

1	2	3
	देहरादून	त्यागी डायग्नोसिस सेन्टर, देहरादून आर्डिनेन्स फैक्ट्री हॉस्पिटल, रायपुर, देहरादून हिमालयन हॉस्पिटल इन्स्टीट्यूट, देहरादून प्रसाद हॉस्पिटल, ऋषिकेश चन्द्र क्लीनिक, देहरादून श्री पद्मावती जच्चा–बच्चा एण्ड सर्जिकल सेन्टर, देहरादून हिमालयन इन्स्टीट्यूट ट्रस्ट, ऋषिकेश जनकल्याण हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून इलेक्ट्रौनिक्स एवं प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन, निरंजनपुर, देहरादून प्रेमसुख हॉस्पिटल एण्ड डायलिसिस सेन्टर, देहरादून सामु0 स्वा0 केन्द्र, डोईवाला, देहरादून धनवन्तरी हॉस्पिटल, विकासनगर, देहरादून न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल, देहरादून कथेरिया एक्स–रे एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून सी0एम0आई0 हॉस्पिटल, देहरादून रैपगे हॉस्पिटल, विकासनगर, देहरादून उत्तरांचल डायर केयर सेन्टर, देहरादून, ऋषिकेश रुची अल्ट्रासाउण्ड एण्ड कलर डोप्लर, देहरादून रेवती आई0बी0एफ0 लैब, रेवती नर्सिंग होम, देहरादून आस्था हॉस्पिटल, बल्लूपुर चौक, देहरादून विकास डायग्नोस्टिक सेन्टर, हरबर्टपुर, देहरादून गोविन्द हॉस्पिटल, जोगीवाला, देहरादून जौहरी अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, देहरादून अपोलो क्लीनिक, बल्लूपुर रोड, देहरादून सी0एम0आई0 हॉस्पिटल, 54, हरिद्वार रोड, देहरादून सूरी डायग्नोस्टिक सेन्टर, देहरादून 01–ए, ओंकार रोड, बी/एच, जी0पी0ओ0, देहरादून 35, ओल्ड कनाट पैलेस, चकराता रोड, देहरादून रावल नर्सिंग होम, ई0सी0 रोड, देहरादून चौहान हॉस्पिटल, विकास नगर, देहरादून महावीर हॉस्पिटल, विकासनगर, देहरादून सिटीहार्ट एण्ड मेडिकल सेन्टर, देहरादून प्रसाद हॉस्पिटल, ऋषिकेश लाइफ लाइन हॉस्पिटल, देहरादून हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ऋषिकेश गोयल डायग्नोस्टिक सेन्टर, देहरादून राजकीय पशु हॉस्पिटल, विकासनगर, देहरादून सामु0 स्वा0 केन्द्र, प्रेमनगर

1	2	3
	देहरादून	लन्ढोरा कम्यूनिटी हॉस्पिटल, मसूरी भारत हार्ट इन्स्टीट्यूट, देहरादून बौठियाल नर्सिंग होम, देहरादून मन्नत डायग्नोस्टिक सेन्टर, ऋषिकेश, देहरादून सामु0 स्वा0 केन्द्र, सहसपुर चान्दना नर्सिंग होम, चकराता रोड, देहरादून पुरीज संजीवनी हॉस्पिटल, ऋषिकेश, देहरादून गुरु तेग बहादुर साहिब हॉस्पिटल, रेसकोर्स, देहरादून क्षेत्रीय चिकित्सालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमाद्वार, देहरादून बोहरा मदर एण्ड चाइल्ड केयर सेन्टर, देहरादून जिला महिला चिकित्सालय, देहरादून सत्यम मेडिकल सेन्टर, ई0सी0 रोड, देहरादून सामु0 स्वा0 केन्द्र, रायपुर, देहरादून सवरन क्लीनिक, देहरादून कनिष्क सर्जिकल एण्ड स्पेशियालिटी हॉस्पिटल, अजबपुरकला, देहरादून मदर केयर सेन्टर, देहरादून 50/3, देहरादून रोड, अपोजिट हैप्पी होम स्कूल, देहरादून हरबर्टपुर क्रिश्चियन हॉस्पिटल, देहरादून फोर्टीज एस्कोर्ट हॉस्पिटल, देहरादून करुणा नर्सिंग होम, डोईवाला, देहरादून आद्या हार्ट केयर सेन्टर, ई0सी0 रोड, देहरादून अरोग्या क्लीनिक, विकासनगर, देहरादून सिकन्दर डायग्नोस्टिक सेन्टर, देहरादून बोहरा हॉस्पिटल, 197, हरिद्वार रोड, देहरादून महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल, देहरादून मैक्स सुपर स्पेशियालिटि हॉस्पिटल, मसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून भरतरी नर्सिंग होम, चकराता रोड, देहरादून संजय आर्थोपेडिक स्पेन एण्ड मेटरनिटी सेन्टर, जाखन, देहरादून आर्युमैक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांवली रोड, देहरादून पद्मनाभ हेल्थकेयर प्रा0लि0, गढ़ीकैण्ट रोड, देहरादून गंगोत्री चैरीटेबल हॉस्पिटल, हरिद्वार रोड, देहरादून श्री डायग्नोस्टिक सेन्टर, नियर डिल्ट्रोन स्कूल, देहरादून उत्तराखण्ड इन्टेन्सीव केयर सेन्टर, 5–न्यू रोड, देहरादून दून एम0आर0आई0 प्रा0लि0, क्रास रोड, देहरादून सूर्या हॉस्पिटल, देहरादून

1	2	3
	देहरादून	हैल्थ लाइन, 5/114/IV, कान्वेंट रोड, देहरादून कालिन्दी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून गोयल एक्स–रे एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर, ऋषिकेश डा0 जैन वीडियो ऑन व्हील्स लि0, सचल चिकित्सा वाहन, देहरादून ओ0एन0जी0सी0 चिकित्सालय, बल्लूपुर रोड, देहरादून ममता डायग्नोस्टिक सेन्टर, अपोजिट एम0के0पी0 कॉलेज, देहरादून ओम डायग्नोस्टिक सेन्टर, देहरादून अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, देहरादून
2.	ऊधमसिंह नगर	आयुर्वेदिक महेश्वरी क्लीनिक, रुद्रपुर कृष्णा डेन्टल क्लीनिक, किच्छा सम्यक् आयुर्वेदिक क्लीनिक सेन्ट मेरी हॉस्पिटल, बाजपुर यशवन्त क्लीनिक, सितारगंज गुप्ता हेल्थकेयर एण्ड सी0टी0 स्कैन, किच्छा गुरु फिजियोथेरेपी एवं हेल्थ, किच्छा गुरु फिजियोथेरेपी एवं हेल्थ, रुद्रपुर तराई पैथोलॉजी एवं लेबोरेटरीज, रुद्रपुर सेन्टर पैथोलॉजी एवं लेबोरेटरीज, खटीमा नेशनल पैथोलॉजी लेबोरेटरीज, बाजपुर डेन्टल क्लीनिक, आवास विकास, रुद्रपुर सितारगंज पैथोलॉजी एवं लेबोरेटरीज, सितारगंज शक्ति पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, लालपुर, किच्छा हिमालयन पैथोलोजिकल लेबोरेटरीज, किच्छा संजीवनी नर्सिंग होम, बाजपुर नैनी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, किच्छा न्यू हिमालयन पैथोलॉजिकल, किच्छा संजय पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, गदरपुर नेशनल पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, किच्छा लाइफ केयर पैथोलॉजिकल लैब, काशीपुर मार्डन पैथोलॉजिकल लैब, किच्छा कुमार होम्योपैथी, किच्छा अरोरा हॉस्पिटल एण्ड पैथोलॉजी, गदरपुर आनन्द क्लीनिक एवं रावत डायग्नोस्टिक, काशीपुर डा0 पंकज चौहान होम्यो क्लीनिक, जसपुर गगनदीप क्लीनिक, बाजपुर शोभा पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, बाजपुर शोभा पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, शक्ति फार्म, सितारगंज

1	2	3
	ऊधमसिंह नगर	अम्बिका पैथोलॉजिकल लैब, रुद्रपुर
		खिन्द्रा पैथोलॉजिकल लैब एण्ड एक्स–रे, खटीमा
		अरोरा पैथोलॉजिकल लैब, रुद्रपुर
		एस0एस0 डायग्नोस्टिक सेन्टर, काशीपुर
		सेन्टर पैथोलॉजिकल लैब, बाजपुर
		शेट्टी होम्यो क्लीनिक, रुद्रपुर
		सूर्य पैथोलॉजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, काशीपुर
		मै0 सयखण्ड अस्पताल, काशीपुर
		मै0 डिफेंस डायग्नोस्टिक सेन्टर, काशीपुर
		सत्या नेत्रालय, सितारगंज
		सत्या डायग्नोसिस लैब, सितारगंज
		मै0 के0जी0एन0 पॉली क्लीनिक, बाजपुर
		मै0 सौमू ह्रदयालय, काशीपुर
3.	टिहरी	स्मृति नर्सिंग होम, घनसाली
		आयुष नर्सिंग होम, चम्बा
		शर्मा क्लीनिक, घनसाली

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–06 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–25 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के द्वितीय मंगलवार हेतु मा0 विधान सभा सदस्य डा0 जीतराम द्वारा पृच्छित अतारांकित प्रश्न संख्या–06 का उत्तर:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	नवनिर्मित / विस्तारित	संयुक्त सर्वेक्षण की तिथि	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मोल्थाखाल–टीला	नवनिर्मित	18.03.2013	12.800	मार्ग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25–11–13 के द्वारा परमिटों पर पृष्ठांकन किया गया है
2.	किल्बोखाल–खाल्यूडाण्डा	नवनिर्मित	19.05.2011	13.00	–तदैव–
3.	किल्बोखाल–रकोली	नवनिर्मित	01.03.2011	18.75	–तदैव–
4.	गैण्डखाल–डांसी	नवनिर्मित	18.05.2011	6.00	–तदैव–
5.	रिंगालपानी–म्वीड़	नवनिर्मित	18.05.2011	6.50	–तदैव–
6.	रिंगालपानी–जसपुर	नवनिर्मित	18.05.2011	3.00	–तदैव–
7.	स्योलीखंद–चौखव	नवनिर्मित	01.03.2011	6.00	–तदैव–
8.	देवराजखाल–जैखाल	विस्तारित	28.02.2011	7.00	–तदैव–
9.	घुमाकोट–पीपली	नवनिर्मित	22.03.2013	18.125	सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है। वाहन संचालन हेतु मार्ग उपयुक्त पाये जाने पर पृष्ठांकन हेतु प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
10.	मजेड़ाबैण्ड–जड़ावखांद	नवनिर्मित	23.03.2013	12.00	–तदैव–
11.	कोविला–बाड़ाडाण्डा	नवनिर्मित	31.01.2013	5.00	–तदैव–
12.	गवाणी–पालीखार	नवनिर्मित	28.02.2011	–	–तदैव–
13.	चौकीसैण–जाख	नवनिर्मित	27.02.2011	–	–तदैव–
14.	वैन्यूर–ग्वाली–पीरसैण–जगतपुर	नवनिर्मित	26.02.2011	–	–तदैव–
15.	गोडख्याखाल–बिशल्ड	नवनिर्मित	28.02.2011	–	–तदैव–
16.	कोटद्वार–बस्डा–ठिमलसैण–सिरस्वाणी–गुनेठी	नवनिर्मित	01.03.2011	–	–तदैव–
17.	डान्डानागराजा–थिंडवाड़ा	नवनिर्मित	28.11.2011	–	–तदैव–
18.	ग्वाली–जगतपुर–देघाट	नवनिर्मित	26.02.2011	–	–तदैव–
19.	चोपड़िख्–कुलमोडी–सालणा	नवनिर्मित	28.02.2011	3.50	–तदैव–
20.	चौखू–कण्डेरी	नवनिर्मित	26.02.2011	8.00	–तदैव–
21.	नौड़ी–साठ	नवनिर्मित	26.02.2011	4.250	–तदैव–
22.	मंजीन–काण्डा	नवनिर्मित	28.02.2011	3.00	–तदैव–
23.	किनगोड़ीखार–सल्डा सम्पर्क मार्ग	नवनिर्मित	28.02.2011	–	–तदैव–
24.	रामपुर–गवाणा	नवनिर्मित	28.02.2011		–तदैव–
25.	बिडोली–बिजोली	नवनिर्मित	26.02.2011	–	–तदैव–
26.	फरसाड़ी–गढ़कोट–छांवरी		28.02.2011		

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–24 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–33 पर)

ESTD-1943

The Garhwal Motor Owner's Union Ltd.
गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड

Head Office
Kotdwara, Pin - 246149
Pauri Garhwal (Uttarakhand)
E-mail : gmoulk@rediffmail.com
Web Site - www.gmou.in

Ph. (01382) 222004, Traffic 222153, 228611, 224320
Fax : 226004 (PP)

पत्रांक : [illegible] दिनांक : [illegible]

[illegible]
कोटद्वार

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक सं0 1781/[illegible]/2013-14 दिनांक 08-02-14 के सम्बन्ध में [illegible] कोटद्वार-[illegible] [illegible] सूची निम्नवत है :-

दिनांक	वाहन संख्या	दिनांक	वाहन संख्या
01-01-2014	UK12PB-0145	17-01-2014	UK12PB-0098
02-01-2014	UK12PB-0126	18-01-2014	UK12PB-0135
[illegible]	[illegible]	[illegible]	UA13-0382
[illegible]	UK12PB-0135	20-01-2014	UK12PB-0015
05-01-2014	UA13-0382	21-01-2014	UK12PB-2415
06-01-2014	UK12PB-0015	22-01-2014	UK12PB-0145
07-01-2014	UK12PB-2415	23-01-2014	UK12PB-0098
08-01-2014	UK12PB-0145	24-01-2014	UK12PB-0135
09-01-2014	UK12PB-0126	25-01-2014	UA13-0382
10-01-2014	UK12PB-0098	26-01-2014	UK12PB-0115
11-01-2014	UK12PB-[illegible]	27-01-2014	UK12PB-2415
12-01-2014	UK[illegible]	28-01-2014	UK12PB-0145
13-01-2014	UK12PB-0098	29-01-2014	UK12PB-0098
14-01-2014	Nil	30-01-2014	UK12PB-0135
15-01-2014	UK12PB-0145	31-01-2014	[illegible]
16-01-2014	Nil		

अतः सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

संलग्नक :

भवदीय

[illegible]
जनरल मैनेजर

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–35 पर)

मा0 विधान सभा सदस्य डा0 जीतराम द्वारा पृच्छित अतारांकित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर:–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	नवनिर्मित विस्तारित	टिप्पणी
1.	गोल्खाखाल–टीला	नवनिर्मित	मार्ग सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28–11–13 के द्वारा परमिटों पर पृष्ठांकन किया गया है
2.	किल्बोखाल–खाल्यूडाण्डा	नवनिर्मित	–तदैव–
3.	किल्बोखाल–टिकोली	नवनिर्मित	–तदैव–
4.	गैण्डखाल–ढांसी	नवनिर्मित	–तदैव–
5.	रिंगालपानी–ग्वील	नवनिर्मित	–तदैव–
6.	रिंगालपानी–जसपुर	नवनिर्मित	–तदैव–
7.	स्योलीखंद–चौखम्ब	नवनिर्मित	–तदैव–
8.	देवराजखाल–जैखाल	विस्तारित	–तदैव–
9.	सलूड–डंग्रा		(जनपद चमोली) इन मार्गों पर संयुक्त सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
10.	वरचक–रौजी		–तदैव–
11.	परसारी–वमियाली		–तदैव–
12.	काण्डई पगना		–तदैव–
13.	कुसुमगाड–सुरसाल		(जनपद रुद्रप्रयाग) इन मार्गों पर संयुक्त सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।
14.	ल्यूम बैण्ड से कुण्डलिया		–तदैव–
15.	कणसौल–जावरी		–तदैव–
16.	मोहनखाल से बाड़व		–तदैव–
17.	क्यार्क बैण्ड उथिण्ड		–तदैव–

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा/247–15–10–2015–25 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।